16

महंगाई वेतन

विषय सूची

क्र0 सं0	विषय	शासनादेश सं0 तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान, दिनांक 01 जुलाई, 2000 से लागू दर	सं0–008 (बजट) / स0वि0उ0 / कैम्प / 2001, देहरादून, दिनांक–10 जनवरी, 2001	221–222
2	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान, दिनांक 01 जनवरी, 2001 से लागू दर	सं0–2090 / वि0सं0शा0 / 2001, देहरादून, दिनांक–28 जून, 2001	223–226
3	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान, दिनांक 01 जुलाई, 2001 से लागू दर	सं0 75 / वि0 अनु0–3 / 2001, देहरादून, दिनांक–24 अक्टूबर, 2001	227–228
4	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान 01 जनवरी, 2001 व 01 जुलाई, 2001 के शासनादेशों के प्रस्तर 3 में संशोधन विषयक	सं0 277 / वि0 अनु0–3 / 2002, देहरादून, दिनांक–01 मार्च, 2002	229–230
5	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान, दिनांक 01 जनवरी, 2002 से लागू दर	सं0 413 / वि0 अनु0–3 / 2002, देहरादून, दिनांक–29 मई, 2002	231–232
6	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान, दिनांक 01 जुलाई, 2002 से लागू दर	सं0 639 / वि0 अनु0–3 / 2002, देहरादून, दिनांक–18 दिसम्बर, 2002	233–236
7	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के कर्मियों का 01 जनवरी, 2001, 01 जुलाई, 2001 एवं 01 जनवरी, 2002 से देय महंगाई भत्तों के शासनादेशों के प्रस्तर–3 में संशोधन विषयक	सं0 648 / वि0 अनु0–3 / 2002, देहरादून, दिनांक–21 दिसम्बर, 2002	237–238

8	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान, दिनांक 01 जनवरी, 2003 से लागू दर	सं0–923 / वि0 अनु0–3 / 2003, देहरादून, दिनांक–16 जून, 2003	239–240
9	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के कर्मियों का 01 जनवरी, 2003 से लागू महंगाई भत्तों के शासनादेशों के प्रस्तर–3 में संशोधन विषयक	सं0 1053 / वि0 अनु0–3 / 2003, देहरादून, दिनांक–18 अक्टूबर, 2003	241–242
10	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान, दिनांक 01 जुलाई, 2003 से लागू दर	सं0 1065 / वि0 अनु0–3 / 2003, देहरादून, दिनांक–24 अक्टूबर, 2003	243–244
11	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान, दिनांक 01 जनवरी, 2004 से लागू दर	सं0 1261 / XXVII(3)ग / 2004, देहरादून, दिनांक–07 जून, 2004	245–246
12	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान, दिनांक 01 जुलाई, 2004 से लागू दर	सं0 1411 / XXVII(3)म / 2004, देहरादून, दिनांक–02 नवम्बर, 2004	247–248
13	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान, दिनांक 01 जनवरी, 2005 से लागू दर	सं0 174 / XXVII(3)म / 2005, देहरादून, दिनांक–11 मई, 2005	249–250
14	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान, दिनांक 01 जुलाई, 2005 से लागू दर	सं0 09 / XXVII(7)म / 2005, देहरादून, दिनांक–22 अक्टूबर, 2005	251–252
15	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान, दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू दर	सं0 29 / XXVII(7) / 2006, देहरादून, दिनांक–26 अप्रैल, 2006	253–254
16	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते दिनांक 01 जुलाई, 2006 से भुगतान	सं0 29(1) / XXVII(7)म0म0 / 2006, देहरादून, दिनांक–29 सितम्बर, 2006	255–256
17	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते दिनांक 01 जनवरी, 2007 से भुगतान	सं0 29 / XXVII(7) / 2007, देहरादून, दिनांक–24 अप्रैल, 2007	257–258
18	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते दिनांक 01 जुलाई,	सं0 279 / XXVII(7)म0भ0 / 2007, देहरादून, दिनांक–01 अक्टूबर, 2007	259–260

19	राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत का भुगतान, दिनांक 01 जुलाई, 2007 से लागू दर के शासनादेश, दिनांक 01 अक्टूबर, 2007 के हिन्दी रूपान्तर की तृतीय पंक्ति एवं अंग्रेजी रूपान्तर की द्वितीय पंक्ति में दिनांक / Dated में संशोधन	सं0–317 / XXVII(7)पे0 / 2007, देहरादून, दिनांक–15 अक्टूबर, 2007	261–262
20	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते दिनांक 01 जनवरी, 2008 से भुगतान	सं0 18 / XXVII(7)म0म0 / 2008, देहरादून, दिनांक–21 मार्च, 2008	263–264
21	केन्द्र सरकार के छठे वेतन आयोग के क्रम में लागू महंगाई भत्ते की दरें राज्य कर्मचारियों को पुनरीक्षित दर पर उपलब्ध कराया जाना	सं0 396 / XXVII(7) / 2008, देहरादून, दिनांक–17 अक्टूबर, 2008	265–266
22	दिनांक 1–1–2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों, निगमों / सार्वजनिक उपक्रमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं / यू0जी0सी0 वेतनमान में कार्यरत पदधारकों तथा न्यायिक सेवा के अधिकारियों को दिनांक 01–07–2008 से महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण	सं0 152 / XXVII(7)म0म0 / 2009, देहरादून, दिनांक–27 मई, 2009	267–268
23	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2009 से महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण	सं0 144 / XXVII(7)म0म0 / 2009, देहरादून, दिनांक–28 मई, 2009	269–270
24	दिनांक 1–1–2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत स्थानीय निकाय / विश्वविद्यालय के शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा न्यायिक सेवा के अधिकारियों को दिनांक 01–01–2009 से महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण	सं0 164 / XXVII(7)म0म0 / 2009, देहरादून, दिनांक–26 अगस्त, 2009	271–272
25	दिनांक 1–1–2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों / स्थानीय निकाय तथा न्यायिक सेवा के अधिकारियों को दिनांक 01–01–2009 से महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण	सं0 299 / XXVII(7)म0म0 / 2009, देहरादून, दिनांक–15 अक्टूबर, 2009	273–274
26	Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners	No-76 Finance Section-3/2001, Dated : Dehradun : October 24, 2001	275–276
27	Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners	No.-414/Finance Section-3/2002, Dated : Dehradun : May 29, 2002	277–278
28	Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners	No.-640/Finance Section-3/2002, Dated : Dehradun : December 18, 2002	279–280
29	Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners	No.-924/Finance Section-3/2003, Dated : Dehradun : June 16, 2003	281–282
30	Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners	No.-1066/Finance Section-3/2003, Dated : Dehradun : 24 October, 2003	283–284

31	Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners	No.-1260XXVII(3)P/2004, Dated : Dehradun : 07 June, 2004	285–286
32	राज्य सरकार के कर्मचारियों/पेंशनर्स के वेतन/पेंशन में दिनांक 1–04–04 से 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता/महंगाई राहत को मूल वेतन में आमेलन विषयक व्यवस्था में संशोधन	सं0 1311/XXVII(3)म0पें0/2004, देहरादून, दिनांक–13 जुलाई, 2004	287–288
33	राज्य सरकार के कर्मचारियों/पेंशनर्स के वेतन/पेंशन में दिनांक 1–04–04 से 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता/महंगाई राहत को मूल वेतन/पेशन हेतु बजट आवंटन एवं भुगतान की प्रक्रिया	सं0 1341/XXVII(3)म0पें0/2004, देहरादून, दिनांक–06 अगस्त, 2004	289–290
34	सेवानैवृत्तिक लाभ का समय से भुगतान, न्यायिक/विभागीय कार्यवाही की समाप्ति पर ग्रेच्युटी के विलम्ब से अदायगी के भुगतान पर ब्याज का भुगतान	सं0 979/XXVII(3)पें0/2004, देहरादून, दिनांक–10 अगस्त, 2004	291–294
35	राज्य सरकार के कर्मचारियों/पेंशनर्स के वेतन/पेंशन में दिनांक 1–04–2004 से 50% महंगाई भत्ता/राहत को मूल वेतन/पेंशन में विलय हेतु चिकित्सकों के एन0पी0ए0 के विषय में स्पष्टीकरण एवं एक अन्य संशोधन	सं0 1358/XXVII(3)म0पें0/2004, देहरादून, दिनांक–27 अगस्त, 2004	295–296
36	राज्य सरकार के पेंशनर्स के पेंशन में दिनांक 1–4–2004 से 50% महंगाई राहत का मूल पेंशन में विलय विषयक कार्यालय ज्ञाप, दिनांक 09 जून, 2004 का स्पष्टीकरण	सं0 1372 'A'/XXVII(3)म0पें0–5/2004, देहरादून, दिनांक–07 अक्टूबर, 2004	297–298
37	Grant of Deamess Relief to State Government Civil/Family Pensioners	No.-1411(1)/XXVII(3)P/2004 Dated : Dehradun :02 November, 2004	299–300
38	पेंशन की अधिकतम सीमा में वृद्धि	सं0 1425/XXVII(3)मं0रा0/2004, देहरादून, दिनांक–11 नवम्बर, 2004	301–302
39	राज्य के पेन्शनर्स की पेंशन में दिनांक 1–4–04 से 50 प्रतिशत महंगाई राहत का मूल वेतन में विलय के उपरान्त पेन्शन की न्यूनतम सीमा में संशोधन के विषय में स्पष्टीकरण	सं0 75/XXVII(3)म0पें0/2005, देहरादून, दिनांक–17 फरवरी, 2005	303–304
40	राज्य सरकार के चालकों के लिए वर्ष में एक बार देय मानदेय हेतु दिनांक 1–4–04 से 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता का मूल वेतन में विलय में आगणन विषयक	सं0 119/XXVII(3)/(6)मा/2005, देहरादून, दिनांक–23 मार्च, 2005	305–306
41	चिकित्सकों के एन0पी0ए0 के विषय में महंगाई भत्ते के विलय की प्रक्रिया	सं0 168/XXVII(3)म0पें0/2005, देहरादून, दिनांक–30 अप्रैल, 2005	307–308
42	Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners	No.-174(A)/XXVII(3)P/2005 Dated : Dehradun : 11 May, 2005	309–310

43	अविभाजित उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त/सेवा अवधि सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि के मूल पेंशन में 50 प्रतिशत के बराबर महंगाई राहत का महंगाई पेंशन में परिवर्तन	सं0 471/XXVII(3)/2005, देहरादून, दिनांक–07 अक्टूबर, 2005	311–312
44	Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners	No.-9'A'/XXVII(7)P/2005, Dated : Dehradun : 22 October, 2005	313–314
45	प्रदेश से बाहर कार्यरत राज्य कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते में महंगाई वेतन की देयता के विषय में निर्देश	सं0 01/XXVII(7)म0कि0/2006, देहरादून, दिनांक–04 अप्रैल, 2006	315–316
46	महंगाई राहत का मूल पेंशन में मर्जर की सुविधा	सं0 12/XXVII(7)/2006, देहरादून, दिनांक–15 अप्रैल, 2006	317–318
47	Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners	No.-29(A)/XXVII(7)P/2006, Dated : Dehradun :26 April, 2006	319–320
48	लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एवं अन्य विभाग जहां कार्यप्रभारित अधिष्ठान की पूर्व से व्यवस्था है, के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अधीन उपदान संदाय के सम्बन्ध में	सं0 112/XXVII(7)का0प्र0ग्रै0/2006, देहरादून, दिनांक–13 जुलाई, 2006	321–328
49	Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners	No.-215/XXVII(7)P/2006, Dated : Dehradun : 04 October, 2006	329–330
50	Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners	No.-30/XXVII(7)P : Dehradun : 2007, Dated : Dehradun : 24 April, 2007	331–332
51	Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners	No.-280/XXVII(7)P : Dehradun : 2007, Dated : Dehradun : 01 October, 2007	333–334
52	राज्य सरकार के चालकों के लिए वर्ष में एक बार देय मानदेय हेतु 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते का मूल वेतन में विलय	सं0 15/XXVII(7)/2008, देहरादून, दिनांक–20 मार्च, 2008	335–336
53	Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners	No.-19/XXVII(7)P 2008, Dated : Dehradun : 21 March, 2008	337–338
54	राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को केन्द्रीय छठे वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में 1–1–2006 से लागू पुनरीक्षित महंगाई राहत स्वीकृत किया जाना	सं0 420/XXVII(7)/म0रा0/2008, देहरादून, दिनांक–27 अक्टूबर, 2008	339–340
55	Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners	No.-153/XXVII(7)DR/2009 Dated : Dehradun : 28 May, 2009	341–342
56	छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर दिनांक 1–1–2006 के पूर्व एवं बाद के राज्य सरकार के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में स्पष्टीकरण	सं0 221/XXVII(7)/2009, देहरादून, दिनांक–08 अक्टूबर, 2009	343–346

57	छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर दिनांक 1–1–2006 के पूर्व एवं बाद के राज्य सरकार के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में स्पष्टीकरण	सं0 305/XXVII(7)/2009, देहरादून, दिनांक–08 अक्टूबर, 2009	347–350
58	दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2009 से महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण	सं0 297/XXVII(7)म0भ0/2009, देहरादून, दिनांक–15 अक्टूबर, 2009	351–352
59	दिनांक 1–1–2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों/स्थानीय निकाय तथा न्यायिक सेवा के अधिकारियों को दिनांक 01–01–09 से महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण	सं0 299/XXVII(7)म0भ0/2009, देहरादून, दिनांक–15 अक्टूबर, 2009	353–354
60	राज्य के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 60 वर्ष की अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त होने पर समान रूप से सेवानैवृत्तिक लाभों की अनुमन्यता के संबंध में	सं0 310/XXVII(7)म0भ0/2009, देहरादून, दिनांक–15 अक्टूबर, 2009	355–356
61	Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners	No.-298/XXVII(7)DR/2009, Dated : Dehradun : 15 October, 2009	357–358

संख्या- 008(वजट)/वि.वि. 3/ मैप /2001

प्रेषक,

श्री इन्दु कुमार पान्डे,
सचिव वित्त
उत्तरांचल शासन

सेवा में

1. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल.
2. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राजय विश्वविद्यालय, उत्तरांचल.
3. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तरांचल

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग देहरादून: दिनांक 10 जनवरी, 2001

विषय: राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्तें का भुगतान दिनांक 01 जुलाई, 2000 से लागू दर।

पठित निम्नलिखित:-

1. शासनादेश संख्या-वे.आ.-1-377/ दस- 2000 -42(एम)/97 दिनांक 28 जुलाई, 2000
2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग कार्यालय ज्ञापन-एफ-सं.1(6)/ 2000- ई-II(बी)/1050, दिनांक 26 सितम्बर, 2000.

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्र.स. (1) उल्लिखित शासनादेश दिनांक 28 जुलाई, 2000 के कम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के नियमित एंव पूर्णकालिक कर्मचारियों व यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारार्कें को दिनांक 1 जुलाई, 2000 से निम्नानुसार संशोधित दर मंहगाई भत्तें के भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है।

तिथि जिस दिन से देय है	प्रतिमाह मंहगाई भत्तें की दर
01 जुलाई, 2000	वेतन का 41 प्रतिशत

2. इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्तें के संबंध में शासनादेश संख्या-वे.आ.-1-1599/ दस-42(एम)/97, दिर्नाक 23 नवम्बर 1998 के प्रस्तर-3, 4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेंगें।

3. ऐसे अधिकारी/ कर्मचारी जिनके वेतनमानों का दिनांक 01 जनवरी 1996 से पुनरीक्षण नहीं हुआ है, के मामलों में दिनांक 01 जुलाई, 2000 से मंहगाई भत्ते के भुगतान हेतु उपर्युक्त विषयांकित क्र.स.(1) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 28 जुलाई, 2000 केप्रस्तर-3 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे मामलों में दिनांक 01 जुलाई, 2000 से प्रभावी मंहगाई भत्ता वेतन के 33 प्रतिशत के आधार पर शासनादेश दिनांक 02 जून, 1998 के प्रस्तर-5 में दी गयी प्रकिया के आधार पर आगणित किया जायेगा।

4. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत संशोधित दरों पर मंहगाई भत्तें की दिनांक 01 जुलाई, 2000 से दिनांक 31 जनवरी, 2001 तक की देय अवशेष धनराशि संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी के भविष्य निधि खाते

में जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 फरवरी 2001 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर व्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2002 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नही है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सार्टिफिकेट (एन.एस.सी.) के रूप में दी जायेगी,परन्तु धनराशि के जिस अंश का सार्टिफिकेट उपलब्ध न हो व उसे नकद दी जायेगी. मंहगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा की जाने वाली अवशेष से संबंधित बिल/ शैडयूल/ चालान पर शासनादेश संख्या-सा.4-/ 12-97-500(1)-97, दिनांक 07 अक्टूबर, 1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिए।

5. इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान अधिकारियों/ कर्मचारियों को दिनांक 01 फरवरी 2001 (भुगतान दिनांक 01 मार्च 2001 को देय) से नकद किया जायेगा।

6. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के भुगतान की प्रकिया, जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

7. जिन अधिकारियों/ कर्मचारियों की सेवाऐं इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गयी हों अथवा जो अधिकारी/ कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मई, 2001 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय मंहगाई भत्ते के बकाया की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,

(इन्दु कुमारी पाण्डे)
सचिव, वित्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल, 5-ए थार्नहिल रोड, 'सत्यनिष्ठ भवन' इलाहाबाद।
2. समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा न.261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001।
4. सचिव, राज्यपाल महोदय देहरादून।
5. सचिव, विधान सभा उत्तरांचल देहरादून।
6. निबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल।
7. रीजनल प्राविडेण्ट फण्ट कमिश्नर, कानपुर/देहरादून।
8. संयुक्त निदेशक, कोषागार शिविर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल), कचहरी रोड इलाहाबाद तथा अन्य विभागीय वेतन पर्ची प्रकोष्ठ (इरला चेक)।
9. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तरांचल, देहरादून।
10. स्थानिक आयुक्त उत्तरांचल, नई दिल्ली।
11. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल, विकास भवन, सचिवालय परिसर लखनऊ, उ.प्र.।

(के.सी. मिश्र)
अपर सचिव.

संख्या : 2090 / वि0सं0शा0 / 2001

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे

वित्त सचिव,

उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
2. वित्त अधिकारी / कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तरांचल।
3. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतों, उत्तरांचल।

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग देहरादून : दिनांक 28 जून, 2001

विषय : राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान 01 जनवरी, 2001 से लागू दर।

पठित निम्नलिखित :–

1. शासनादेश संख्या : वि0आय–व्य0 08 / सि0वि0उ0 / कै / 2001, दिनांक 10 जनवरी, 2001
2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग कार्यालय ज्ञापन एफ–1 (1)2001 / ई–11 (बी) 379 दिनांक 4 अप्रैल, 2001

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्रम संख्या 1 उल्लिखित शासनादेश संख्या 10 जनवरी, 2001 के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्ण कालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पद धारकों को दिनांक 01 जनवरी, 2001 से निम्नानुसार संशोधित दर महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है।

तिथि जिस दिन से देय है	प्रतिमाह महंगाई भत्ते की दर
जनवरी, 2001	43 प्रतिशत

2–इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या वे0आ0–1–1599/दस–42 (एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर 3, 4, 5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

3–ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके वेतनमानों का दिनांक 01 जनवरी, से पुनरीक्षण नहीं हुआ है, के मामलों में दिनांक 01 जनवरी, 2001 से महंगाई भत्ते के भुगतान हेतु उपर्युक्त विषयांकित क्र0सं0 (1) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 28 जुलाई, 2000 के प्रस्तर–3 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे मामलों में दिनांक 01 जनवरी, 2001 से प्रभावी महंगाई भत्ता वेतन के 33 प्रतिशत के आधार पर शासनादेश दिनांक 02 जून, 1998 के प्रस्तर–5 में दी गयी प्रक्रिया के आधार पर आगणित किया जायेगा।

4–इन आदेशों द्वारा स्वीकृत संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जनवरी, 2001 से दिनाक 30 जून, 2001 तक की देय अवशेष धनराशि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 जुलाई, 2001 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गयी अवशेष धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2002 तक सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी, महंगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा की जाने वाली अवशेष से सम्बन्धित बिल/शैड्यूल/चालान पर शासनादेश संख्या सा0–4–12–97–500 (1) 97, दिनांक 07 अक्टूबर, 1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिए।

5–इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2001 (भुगतान दिनांक 01 अगस्त, 2001 को देय) से नकद किया जायेगा।

6–इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया, जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

7—जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने के तिथि से पूर्व समाप्त हो गयी हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 30 नवम्बर, 2001 तक सेवा निवृत्त होने वाले हों, उनको इस महंगाई भत्ते के बकाया, की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे
सचिव, वित्त।

संख्या 2090/वि0सं0शा0/2001, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल, 5ए, थार्न हिल रोड, सत्यनिष्ठा भवन, इलाहाबाद।
2. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) कमरा नं0 261, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली—110001
4. सचिव, राज्यपाल महोदय, देहरादून।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
6. निबंधक, उच्च न्यायालय, नैनीताल।
7. रीजनल प्राविडेण्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून।
8. संयुक्त निदेशक, कोषागार शिविर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल), कचहरी रोड, इलाहाबाद तथा अन्य विभागीय वेतन पर्ची प्रकोष्ठ (इरला चेक)।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
10. स्थानीय आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली।
11. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल, विकास भवन सचिवालय परिसर, लखनऊ।
12. वित्त अधिकारी, उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून।

आज्ञा से,

के0सी0 मिश्र
अपर सचिव।

संख्या–75 / वित्त अनुभाग–3 / 2001

प्रेषक,

श्री इन्दु कुमार पाण्डे,
सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
2–वित्त अधिकारी / कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तरांचल।

वित्त अनु भाग–3 देहरादूनः दिनांक 24 अक्टूबर, 2001

विषयः–राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01 जुलाई, 2001 से लागू दर।

पठित निम्नलिखितः–

1–शासनादेश संख्या 2690 / वि0सं0शा0 / 2001 दिनांक 28 जून, 2001।
2– भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग कार्यालय ज्ञापन–एफ–1(6) / 2001 / ई–11(बी)983 दिनांक 21 सितम्बर, 2001।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्र0सं0–1 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 28 जून, 2001 के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को दिनांक 01 जुलाई, 2001 से निम्नानुसार संशोधित दर मंहगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:

तिथि जिस दिन से देय है	प्रति माह मंहगाई भत्ते की दर
01 जुलाई, 2001	वेतन का 45 प्रतिशत

2–इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 वे0आ0–1–1599 / दस–42(एम) / 97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर–3, 4, 5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

3–ऐसे अधिकारी / कर्मचारी जिनके वेतनमानों का दिनांक 01 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षण नहीं हुआ है, के मामलों में दिनांक 01 जुलाई, 2001 से मंहगाई भत्ते के भुगतान हेतु उपर्युक्त विषयांकित क्र0सं0(1) पर उलिलिखित शासनादेश दिनांक 28 जून, 2001 के प्रस्तर–3 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे मामले में दिनांक 01 जुलाई, 2001 से प्रभावी मंहगाई भत्ता वेतन के 33 प्रतिशत के आधार पर शासनादेश दिनांक 02 जून, 1998 के प्रस्तर–5 में दी गयी प्रक्रिया के आधार पर आगणित किया जायेगा।

4–इन आदेशों द्वारा स्वीकृत संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते की दिनांक 01 जुलाई, 2001 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2001 तक की देय अवशेष धनराशि संबंधित अधिकारी / कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 जनवरी, 2002 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गयी अवशेष धनराशि दिनांक 31 दिसम्बर, 2002 तक संबंधित अधिकारी / कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है, तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी, मंहगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा की जाने वाली अवशेष से संबंधित बिल / शेड्यूल / चालान पर शासनादेश संख्या–सा, 4–12–97–500(1)–97, दिनांक 07 अक्टूबर, 1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिए।

5—इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2002 (भुगतान दिनांक 01 फरवरी, 2002 को देय) से नकद किया जायेगा।

6—इन आदेशों द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया, जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

7—जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गयी हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 30 अप्रैल, 2002 तक सेवा निवृत्त होने वाले हों, उनको देय मंहगाई भत्ते के बकाया की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे,
सचिव, वित्त।

संख्या—75(1)/वित्त अनुभाग—3/2001 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल, 5ए—थार्नहिल रोड, सत्यनिष्ठा भवन, इलाहाबाद।
2—समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
3—वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) कमरा नं0 261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली—110001।
4—सचिव, राज्यपाल महोदय, देहरादून।
5—सचिव, विधान सभा उत्तरांचल, देहरादून।
6—निबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल।
7—रीजनल प्राविडेण्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून।
8—संयुक्त निदेशक, कोषागार शिविर कार्यालय नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल) कचहरी रोड, इलाहाबाद तथा अन्य विभागीय वेतन पर्ची प्रकोष्ठ (इरला चैक)।
9—निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तरांचल, देहरादून।
10—स्थानिक आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली।
11—पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल विकास भवन, सचिवालय परिसर लखनऊ, उ0प्र0।
12—वित्त अधिकारी, उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून।
13—गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

के0 सी0 मिश्र,
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 12 वित्त (सामान्य)/742—29—10—2001—1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

संख्या: 277/वि0अनु03/2002

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डें,
प्रमुख सचिव, वित्त ।
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।

2. समस्त अध्यक्ष जिला पंचायतें, उत्तरांचल ।

वित्त अनुभाग-3 देहरादून: दिनांक: 01 मार्च, ,2002

विषय:- राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के कर्मियों का 1 जनवरी, 2001 व 1 जुलाई, 2001 के शासनादेशों के प्रस्तर 3 में संशोधन विषयक ।

-----x-------

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-75/ वित्त अनुभाग-3 /2001 दिनांक 24.10.2001 मे प्रेषण समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें उत्तरांचल. छूट गया है। अतः शासनादेश के प्रेषण में समस्त अध्यक्ष जिला पंचायतें, उत्तरांचल भी पढा जाय ।

2. उक्त शासनादेश केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(इन्दु कुमार पाण्डें)
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या: ______/वित्त अनुभाग-3 /2002/ तद्दिनांक: ____________

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) उत्तरांचल, 5-ए थार्नहिल रोड, सत्य निष्ठा भवन इलाहाबाद ।

2. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल देहरादून ।

3. रीजनल प्राविडेण्ट फण्ड कमीशनर, कानपुर/देहरादून ।

4. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक) भा./स. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) कमरा नं. 261 नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली 110001

5. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(के0 सी0 मिश्र)
अपर सचिव वित्त ।

प्रेषक,

श्री इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव (वित्त),
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
2–वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तरांचल।
3–समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग–3

देहरादूनः दिनांक 29 मई, 2002

विषय :– राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01 जनवरी, 2002 से लागू दर।

पठित निम्नलिखित :–

1–शासनादेश संख्या 75/वित्त अनुभाग–3/2001, दिनांक 24–10–2001
2–शासनादेश संख्या 277/वि0अनु0–3/2002, दिनांक 01–03–2002
3–भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञापन–1(1) 2002/ई–11 (बी)/237, दिनांक 20 मार्च, 2002।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्र0सं0 1 व 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक क्रमशः 24–10–2001 एवं 01–03–2002 के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व यू0 जी0 सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को दिनांक 01 जनवरी, 2002 से निम्नानुसार संशोधित दर मंहगाई भत्ते के भुगतान की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है।

तिथि, जिस दिन से देय है	प्रतिमाह मंहगाई भत्ते की दर
01 जनवरी, 2002	वेतन का 49 प्रतिशत

2–इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–वे0 आ0–1–1599/दस–42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर–3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

3–ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके वेतनमानों का दिनांक 01 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षण नहीं हुआ है, के मामलों में दिनांक 01 जनवरी, 2002 से मंहगाई भत्ते के भुगतान हेतु उपर्युक्त विषयांकित क्र0सं0 (1) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 24 अक्टूबर, 2001 के प्रस्तर–3 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे मामले में दिनांक 01 जनवरी, 2002 से प्रभावी मंहगाई भत्ता वेतन के 33 प्रतिशत के आधार पर शासनादेश दिनांक 2 जून, 1998 के प्रस्तर–5 में दी गयी प्रक्रिया के आधार पर आगणित किया जायेगा।

4–इन आदेशों द्वारा स्वीकृत संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते की दिनांक 01 जनवरी, 2002 से दिनांक 31 मई, 2002 तक की देय अवशेष धनराशि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 जून, 2002 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गयी अवशेष धनराशि दिनांक 30 जून, 2003 तक सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है, तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0 एस0 सी0) के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो उसे नकद दी जायेगी, मंहगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा की जाने वाली अवशेष से सम्बन्धित बिल/शेड्यूल/चालान पर शासनादेश संख्या–सा0 4–12–97–500(1)–97, दिनांक 7 अक्टूबर, 1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिये।

5–इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 जून, 2002 (भुगतान दिनांक 01 जुलाई, 2002 को देय) से नकद किया जायेगा।

6—इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

7—जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी किये जाने की तिथि से पूर्व समाप्त हो रही हों, अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 अक्टूबर, 2002 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय मंहगाई भत्ते के बकाया की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या—413 (1)/वि0अनु0—3/2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल, 5ए—थार्न हिल रोड, सत्यनिष्ठा भवन, इलाहाबाद।

2— समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।

3— वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय {व्यय विभाग}, कमरा नं0 261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली—110001।

4— सचिव, राज्यपाल महोदय, देहरादून।

5— सचिव, विधान सभा उत्तरांचल, देहरादून।

6— निबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल।

7— रीजनल प्राविडेण्ड फण्ड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून।

8— संयुक्त निदेशक, कोषागार शिविर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल) कचहरी रोड, इलाहाबाद तथा अन्य विभागीय वेतन पर्ची प्रकोष्ठ {इरला चैक} ।

9— निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल, देहरादून।

10—स्थानिक आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली।

11—पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल विकास भवन, सचिवालय परिसर, लखनऊ।

12—वित्त अधिकारी, उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून।

13—गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0 अपठनीय,
(के0 सी0 मिश्रा),
अपर सचिव, वित्त।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 07 वित्त सामान्य/197—6—2002—1,000 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

संख्या: 639 /वि0अनु03/2002

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

1. समस्त विभागाध्यक्ष एंव प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल ।
2. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्व विधालय, उत्तरांचल ।
3. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तरांचल ।

वित्त अनुभाग-3 देहरादून: दिनांक 18, दिसम्बर, 2002

विषय: राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एंव प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महँगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01 जुलाई, 2002 से लागू दर।

-----0-----

पठित निम्नलिखित:-

1- शासनादेश संख्या 413/वि0अनु03/2002 दिनांक 29 मई, 2002
2- भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञाप 1(6)2002 संस्था-11(ख) 789 दिनांक 30 अक्टूबर, 2002

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्र.सं. 1 व 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 29 मई 2002 के क्रम में राज्यपाल महोदय, प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एंव प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के नियमित एंव पूर्णकालिक कर्मचारियों व यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को दिनांक 1 जुलाई 2002 से निम्नानुसार संशोधित दर महगाई भत्ते के भुगतान की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है ।

तिथि जिस दिन से देय है	प्रतिमाह मँहगाई भत्ते की दर
01 जुलाई, 2002	वेतन का 52 प्रतिशत

2. इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मँहगाई भत्ते के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या- वे0आ0-1-1599/दस-42(एम)/97 दिनांक 23 नवम्बर 1998 के प्रस्तर-3,4, 5 एंव 7 मे उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेगें ।

3. ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके वेतनमानों का दिनांक 1 जुलाई 1996 से पुनरीक्षित नहीं हुआ है के मामलें मे दिनांक 1 जुलाई 2002 से मंहगाई भत्ते के भुगतान हेतु उपर्युक्त विषयांकित क्र.सं. (1) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक

दिनांक 29 मई 2002 के प्रस्तर-3 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे मामले में दिनांक 1 जुलाई 2002 से प्रभावी मंहगाई भत्ता वेतन के 44 प्रतिशत के आधार पर शासनादेश दिनांक 2 जून 1998 के प्रस्तर-5 मे दी गयी प्रक्रिया के आधार पर आगणित किया जायेगा ।

4. इन आदेशों द्वारा स्वीकृतसंशोधित दरों पर महंगाई भत्ते की दिनांक 1 जुलाई 2002 से 30 नवम्बर 2002 तक की देय अवशेष धनराशि सम्बन्धित अधिकारी कर्मचारी के भविष्य निधि खाते मे जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते मे दिनांक 1 दिसम्बर 2002 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा । इस प्रकार भविष्य निधि खाते मे जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 30नवम्बर 03 तक सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तों उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन. एस. सी के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हों वह नकद दी जायेगी, मंहगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा की जाने वाली अवशेष से सम्बन्धित बिल/शेडयूल/चालान पर शासनादेश संख्या-सा-4-12-97-500(1)-97 दिनांक 7 अक्टूबर 1997 मे निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगाई जानी चाहिए ।

5. इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत महगांई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 दिसम्बर 2002 (भुगतान दिनांक 31 दिसम्बर, 2002 को देय) से नकद किया जायेगा ।

6. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत मँहगाई भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी

7. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी किए जाने की तिथि से पूर्व समाप्त हो रही हों, अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 30 नवम्बर 2002 तक सेवा निवृत होने वाले हो, उनको देय मंहगाई भत्ते के बकाया की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा ।

भवदीय

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या: 639 /वि0अनु03/2002 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तरांचल देहरादून ।
2. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तरांचल ।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक) भारत सरकार वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) कमरा नं0 261 नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली 110001
4. सचिव राज्यपाल महोदय उत्तरांचल देहरादून ।
5. सचिव विधान सभा उत्तरांचल, देहरादून ।
6. निबंधक, उच्च न्यायालय नैनीताल ।
7. रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमीशनर, कानपुर/देहरादून ।
8. संयुक्त निदेशक, कोषागार शिविर कार्यालय नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल) कचहरी रोड इलाहाबाद तथा अन्य विभागीय वेतन पर्ची प्रकोष्ठ (इरला चेक)
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें 23 लक्ष्मीरोड, देहरादून ।
10. स्थानीय आयुक्त उत्तरांचल, नई दिल्ली ।
11. पुर्नगठन आयुक्त, उत्तरांचल विकास भवन, सचिवालय परिसर लखनऊ ।
12. वित्त अधिकारी, उत्तरांचल सचिवालय देहरादून ।
13. उप निदेशक राजकीय मुद्रणालय रूडकी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित वे कृपया इस शासनादेश की पाँच सौ प्रतियाँ मुद्रित कर वित्त अनुभाग-3 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
14. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से
17/12/2002
(एल0 एम0 पंत)
अपर सचिव, वित्त

संख्या 648/वि0अनु0 3/2002

प्रेषक,

के0 सी0 मिश्र,
अपर सचिव (वित्त),
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
2–वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तरांचल।
3–समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तरांचल।

देहरादूनः दिनांक 21 दिसम्बर, 2002

वित्त अनुभाग–3

विषय :– राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के कर्मियों का 01 जनवरी, 2001, 01 जुलाई, 2001 एवं 01 जनवरी, 2002 से देय मंहगाई भत्तों के शासनादेशों के प्रस्तर–3 में संशोधन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2690/वि0सं0शा0/2001, दिनांक 28 जून, 2001 के प्रस्तर–3 में 33 प्रतिशत के स्थान पर 35 प्रतिशत, शासनादेश संख्या 75/वि0 अनु0 3/2001, दिनांक 24 अक्टूबर, 2001 के प्रस्तर–3 में 33 के स्थान पर 37 एवं शासनादेश संख्या 413/वि0 अनु0 3/2002, दिनांक 29 मई, 2002 के प्रस्तर–3 में 33 के स्थान पर 41 प्रतिशत पढ़ा जाय। उक्त दरें केवल उन पदों के वेतनमानों में ही लागू होंगी जिनके वेतनमान दिनांक 01 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं अथवा जो पुराने वेतनमान में ही विकल्प के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

2–उपरिउल्लिखित शासनादेश केवल इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

के0 सी0 मिश्र,
अपर सचिव, (वित्त)।

संख्या 648 (1)/वि0अनु0 3/2002, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तरांचल, देहरादून।
2– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
3– वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं0 261, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली–110001।
4– सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल, देहरादून।
5– सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
6– निबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल।
7– रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून।
8– संयुक्त निदेशक, कोषागार शिविर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल) कचहरी रोड, इलाहाबाद तथा अन्य विभागीय वेतन पर्ची प्रकोष्ठ (इरला चैक)।
9–निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
10–स्थानीय आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली।
11–पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल विकास भवन, सचिवालय परिसर, लखनऊ।
12–वित्त अधिकारी, उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून।
13–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

के0 सी0 मिश्र,
अपर सचिव, (वित्त)।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 16 वित्त सामान्य/632–31–12–2002–500 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

संख्या–923 /दि0अनु–3/ 2003

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1.समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
2.वित्त अधिकारी/ कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तरांचल।
3 समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग–3 देहरादून :: दिनांक:: 16 जून, 2003

विषय– **राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महँगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01 जनवरी, 2003 से लागू दर।**

पठित निम्नलिखित:–

1–शासनादेश संख्या–639/विअनु–3/2002 दिनांक 18 दिसम्बर 2002

2–भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञाप 1(1)2003 संस्था–।।(ख) 284, दिनांक 04 अप्रैल, 2003

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क0सं0 1 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 18 दिसम्बर 2002 के क्रम में राज्यपाल महोदय, ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व यू0जी0सी0वेतनमानों में कार्यरत पद धारकों को दिनांक 01 जनवरी 2003 से निम्नानुसार संशोधित दर महँगाई भत्ते के भुगतान की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है।

तिथि जिस दिन से देय है	प्रतिमाह महँगाई भत्ते की दर
01 जनवरी, 2003	वेतन का 55 प्रतिशत

2– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–वे0आ0–1–1599/दस–42(एम)/97,दिनांक 23 नवम्बर 1998 के प्रस्तर–3,4, 5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

3– ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके वेतनमानों का दिनांक 01 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित नहीं हुआ है, के मामलों में दिनांक 01 जनवरी, 2003 से महँगाई भत्ते के भुगतान हेतु उपर्युक्त विषयांकित क0सं0 (1) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 18 दिसम्बर 2002 के प्रस्तर–3 के क्रम में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे मामले में दिनांक 01 जनवरी, 2003 से प्रभावी महँगाई भत्ता वेतन के 44 प्रतिशत के आधार पर शासनादेश दिनांक 02 जून,1998 के प्रस्तर–5 में दी गयी प्रकिया के आधार पर आगणित किया जायेगा।

4– इन आदेशों द्वारा स्वीकृत/ संशोधित दरों पर महँगाई भत्ते की दिनांक 01 जनवरी 2003 से 30 जून, 2003 तक की देय अवशेष धनराशि सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी के भविष्य निधि

खाते में जमा की जायेगी, और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्यनिधि खाते में दिनांक 01 जुलाई, 2003 से जमा माना जायेगा, और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गयी अवशेष धनराशि दिनांक 31 जुलाई, 2004 तक सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी, और इसे उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी/ कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सार्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सार्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह नकद दी जायेगी, महँगाई भत्ते के सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा की जाने वाली अवशेष से सम्बन्धित बिल/ शिड्यूल /चालान पर शासनादेश संख्या–सा–4–12–97–500(1)97, दिनांक 07 अक्टूबर 1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिये।

5– इन आदेशो के द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2003 (भुगतान दिनांक 31 जुलाई, 2003 को देय) से नकद दिया जायेगा।

6– इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते के भुगतान की प्रकिया जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है, अखिल.भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

7– जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी किये जाने की तिथि से पूर्व समाप्त हो रही हों, अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 30 जून, 2003 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय महँगाई भत्ते के बकाया की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव ।

संख्या– 923 (1)/वि0अनु–3/ 2003, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तरांचल, देहरादून।

2– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।

3– वरिष्ठ अनुशंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक) भारत सरकार वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) कमरा नं0–261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली– 110001 ।

4– सचिव,राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल, देहरादून।

5– सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।

6– महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल।

7– रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/ देहरादून।

8– संयुक्त निदेशक, कोषागार, शिविर कार्यालय नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल) कचहरी रोड इलाहाबाद तथा अन्य विभागीय वेतनपर्ची प्रकोष्ठ (इरला चैक) ।

9– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।

10– स्थानिक आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली।

11– पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल, विकास भवन, सचिवालय परिसर, लखनऊ।

12– वित्त अधिकारी, उत्तरांचल सचिवालय देहरादून।

13– उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियॉ मुद्रित कर वित्त अनुभाग–3 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

14– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(के0 सी0 मिश्र),
अपर सचिव।

प्रेषक,

के0 सी0 मिश्र,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

1. समस्त विभागाध्यक्ष एंव प्रमुखकार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
2. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तरांचल ।
3. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तरांचल ।

वित्त अनुभाग-3 देहरादून: दिनांक: 18-10-2003,

विषय:- राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के कर्मियों का । जनवरी, 2003 से लागू महगाई भत्ते के शासनादेश के प्रस्तर-3 में संशोधन विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-923/वि0अनु03/2003 दिनांक. 16 जून, 2003 के प्रस्तर-3 में महंगाई भत्ते की दर 44 प्रतिशत के स्थान पर 47 प्रतिशत पढी जाय। उक्त दरें केवल उन पदों के वेतनमानों में ही लागू होंगी जिनके वेतनमान दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित नहीं हुए है अथवा जो पुराने वेतनमान में ही विकल्प के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

2. उपरिउल्लिखित शासनादेश केवल इस सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

भवदीय

(के0 सी0 मिश्र)
अपर सचिव, वित्त।

संख्या: 1053/वि0अनु03/2003 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(लेखा एंव हकदारी) उत्तरांचल देहरादून ।
2. समस्त वरिष्ठ/कोषाधिकारी उत्तरांचल ।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
4. रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून ।
5. स्थानीय आयुक्त उत्तरांचल नई दिल्ली ।
6. निदेशक, कोषागार एंव वित्त सेवायें, उत्तरांचल देहरादून ।
7. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(के0 सी0 मिश्र)
अपर सचिव, वित्त ।

संख्या– 1065 / वि0अनु0–3 / 2003

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव,वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1.समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तरांचल।
2. वित्त अधिकारी / कुल–सचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उत्तरांचल।
3.समस्त अध्यक्ष,जिला पंचायतें,उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग–3

देहरादूनः दिनांक 24 अक्टूबर,2003

विषयः **राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महँगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01 जुलाई,2003 से लागू दर।**

पठित निम्नलिखितः–

1. शासनादेश संख्या–923 / वि0अनु0–3 / 2003,दिनांक 16 जून,2003
2. शासनादेश संख्या–1053 / वि0अनु0–3 / 2003,दिनांक 18 अक्टूबर,2003
3. भारत सरकार वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप 1(6)2003 संस्था–II(ख) 654,दिनांक 05 सितम्बर,2003

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्रम संख्या–1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 16 जून, 2003 एवं 18 अक्टूबर ,2003 के क्रम में राज्यपाल महोदय, ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालित कर्मचारियों व यू0 जी0 सी0 वेतनमानों में कार्यरत पद धारको को दिनांक 01 जुलाई, 2003 से नियमानुसार संशोधित दर महँगाई भत्ते के भुगतान की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है।

तिथि जिस दिन से देय है	प्रतिमाह महँगाई भत्ते की दर
01 जुलाई,2003	वेतन का 59 प्रतिशत

2. इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–वे0आ0–1– 1599 / दस–42 (एम) / 97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर–3, 4, 5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेगे।

3. ऐसे अधिकारी / कर्मचारी जिनके वेतनमानों का दिनांक 01 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित नहीं हुआ है,के मामलों में दिनांक 01 जुलाई, 2003 से महँगाई भत्ते के भुगतान हेतु उपर्युक्त विषयांकित क्रम संख्या–(1) एवं (2) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 16 जून, 2003 के प्रस्तर–3एवं दिनांक 18 अक्टूबर ,2003 के क्रम में,मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे मामले में दिनांक 01 जुलाई, 2003 से प्रभावी महँगाई भत्ता वेतन के 51 प्रतिशत के आधार पर शासनादेश दिनांक 02 जून, 1998 के प्रस्तर–5 में दी गयी प्रक्रिया के आधार पर आगणित किया जायेगा।

4. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत / संशोधित दरों पर महँगाई भत्ते की दिनांक 01 जुलाई, 2003 से 30 नवम्बर, 2003 तक की देय अवशेष धनराशि सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी, और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 दिसम्बर, 2003 से जमा माना जायेगा,और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा।

इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गयी अवशेष धनराशि दिनांक 30 नवम्बर, 2004 तक सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी, और इसे उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रुप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह नगद दी जायेगी,महँगाई भत्ते के सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा की जाने वाली अवशेष से सम्बन्धित बिल/शिड्यूल/चालान पर शासनादेश संख्या–सा–4–12–97–500 (1) 97, दिनांक 07 अक्टूबर, 1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगाई जानी चाहिए।

5– इस आदेशों के द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते की बढ़ी हुयी धनराशि का भुगतान अधिकारियों / कर्मचारियों को दिनांक 01 दिसम्बर, 2003 (भुगतान दिनांक 01 जनवरी, 2004 को देय) से नगद दिया जायेगा।

6– इन आदेशो द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है,अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

7– जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाये इस शासनादेश के जारी किये जाने की तिथि से पूर्व समाप्त हो रही हों,उनको देय महँगाई भत्ते के बकाया की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव।

संख्या–1065(1)/वि0अनु0–3/2003, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तरांचल, देहरादून।
2– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
3– वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) कमरा नम्बर–261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली– 110001।
4– सचिव राज्पाल महोदय, उत्तरांचल, देहरादून।
5– सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
6– महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल।
7– रीजनल प्राविडैन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून।
8– संयक्त निदेशक, कोषागार, शिविर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथमतल) कचहरी रोड, इलाहाबाद तथा अन्य विभागीय वेतन पर्ची प्रकोष्ठ (इरला चैक)।
9– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
10– स्थानिक आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली।
11– पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल, विकास भवन, सचिवालय परिसर, लखनऊ।
12– वित्त अधिकारी, उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून।
13– उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित कर वित्त अनुभाग–3 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

टी0एन0 सिंह
अवर सचिव

संख्या : 1261/XXVII(3)ग/2004

प्रेषक,

एल0एम0 पन्त,

अपर सचिव वित्त,

उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
2. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय।
3. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग–3 देहरादून : दिनांक 07 जून, 2004

विषय : राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01 जनवरी, 2004 से लागू दर।

पठित निम्नलिखित :–

1. शासनादेश संख्या : 1065/वि0अनुभाग, 2001 दि0 24 अक्टूबर, 2001।
2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या सं0 (1)/2003–संस्था–11(ख)/दिनांक 01 मार्च, 2004।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्रम संख्या 1 व 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 24 अक्टूबर, 2003 एवं 01 मार्च, 2004 के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्ण कालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पद धारकों को दिनांक 01 जनवरी, 2004 से निम्नानुसार संशोधित दर महंगाई भत्ते के भुगतान की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है :–

तिथि जिस दिन से देय है	प्रतिमाह महंगाई भत्ते की दर
01 जनवरी, 2004	वेतन का 61 प्रतिशत

2–इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1–1599/दस–42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर–3, 4, 5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

3–ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके वेतनमानों का दिनांक 01 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षण नहीं हुआ है, के मामलों में दिनांक 01 जनवरी, 2004 से महंगाई भत्ते के भुगतान हेतु उपर्युक्त विषयांकित क्र0सं0 (1) व (2) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 24 अक्टूबर, 2003 के प्रस्तर–3 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे मामलों में दिनांक 01 जनवरी, 2004 से प्रभावी महंगाई भत्ता वेतन के 53 प्रतिशत के आधार पर शासनादेश दिनांक 02 जून, 1998 के प्रस्तर–5 में दी गयी प्रक्रिया के आधार पर आगणित किया जायेगा।

4–इन शासनादेशों द्वारा स्वीकृत/संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जनवरी, 2004 से 30 जून, 2004 तक की देय अवशेष धनराशि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी, और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 जुलाई, 2004 से जमा माना जायेगा, और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा।

इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गयी अवशेष धनराशि दिनांक जुलाई, 2005 तक सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी, बिल/शैड्यूल/चालान पर शासनादेश संख्या सा0–4–12–97–500 (1) 97, दिनांक 07 अक्टूबर, 1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिए।

5–इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2004 (भुगतान दिनांक 31 2004 को देय) से नकद किया जायेगा।

6–इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

7–जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने के तिथि से पूर्व समाप्त हो रही हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 30 जून, 2004 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय भत्ते के अवशेष की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,

एल0एम0 पन्त,

अपर सचिव।

संख्या 1261/XXVII(3)ग/2004, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल, देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) कमरा नं0 261, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली–110001।
4. सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल, देहरादून।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
6. महानिबंधक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल।
7. रीजनल प्राविडेण्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
9. स्थानिक आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली।
10. उप निदेशक, राजकीयमुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां तत्काल मुद्रित कर वित्त अनुभाग को उपलब्ध कराने
11. निदेशक एन0आई0सी0, उत्तरांचल, देहरादून।

आज्ञा से,

एल0एम0 पन्त,

अपर सचिव।

संख्या– /411 /XXVII(3)म/2004

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
सचिव,वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तरांचल।
2– वित्त अधिकारी/कुल–सचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उत्तरांचल।
3– समस्त अध्यक्ष,जिला पंचायतें,उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग–3 देहरादून,दिनांक 02 नवम्बर,2004

विषयः राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01 जुलाई,2004 से लागू दर।

पठित निम्नलिखित :–

1– शासनादेश संख्या–1261/ XXVII(3)म/2004,दिनांक 07 जून,2004
2– भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप संख्या–फा0सं01(2)/2004, संस्था–11(ख)/625,22 सितम्बर,2004।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 07 जून,2004 एवं 22 सितम्बर,2004 के पूर्व निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0–1267/XXVII(3)म0पें/2004,दिनांक 09 जून,2004 के द्वारा 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ते का मूल वेतन में विलय कर दिया गया था और उसके बाद 11 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता देया था,के कम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को दिनांक 01 जुलाई,2004 से निम्नानुसार संशोधित दर से मंहगाई भत्ते के भुगतान की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है :–

तिथि,जिस दिन से देय है	प्रतिमाह मंहगाई भत्ते की दर
01 जुलाई,2004	वेतन का 14 प्रतिशत

2– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या–1–1599/दस–42(एम)/97,दिनांक 23 नवम्बर,1998 के प्रस्तर–3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

3– ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके वेतनमानों का दिनांक 01 जनवरी,1996 से पुनरीक्षण नहीं हुआ है,के मामलों में दिनांक 01 जुलाई,2004 से मंहगाई भत्ते के भुगतान हेतु उपर्युक्त विषयांकित कमांक–(1) एवं (2) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 07 जून,2004 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे मामलों में 01 जुलाई,2004 से प्रभावी मंहगाई भत्ता वेतन के 56 प्रतिशत के आधार पर शासनादेश दिनांक 02 जून,1998 के प्रस्तर–5 में दी गयी प्रकिया के आधार पर आगणित किया जायेगा।

4– इन शासनादेशों द्वारा स्वीकृत/संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते की दिनांक 01 जुलाई,2004 से 31 अक्टूबर,2004 तक की देय अवशेष धनराशि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी,और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 नवम्बर,2004 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा।

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\vit 3.doc

इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गयी अवशेष धनराशि दिनांक 30 नवम्बर,2005 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी) के रूप में दी जायेगी,परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो,वह नकद दी जायेगी,बिल/शैड्यूल/चालान पर शासनादेश संख्या–सा–4–12–97–500(1)97,दिनांक 07 अक्टूबर,1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिये।

5– इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 नवम्बर,2004(भुगतान दिनांक 30 नवम्बर,2004 को देय) से नकद किया जायेगा।

6– इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के भुगतान की प्रकिया जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है,अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

7– जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी किये जाने की तिथि से पूर्व समाप्त हो रही हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मार्च,2005 तक सेवानिवृत होने वाले हों,उनको देय मंहगाई भत्ते के अवशेष की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,

राधा रतूड़ी
सचिव।

संख्या : 141/ XXVII(3)म/2004, एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनेार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी,उत्तरांचल,देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं–261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली–110001।
4. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तरांचल,देहरादून।
5. सचिव,विधान सभा,उत्तरांचल,देहरादून।
6. महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तरांचल,देहरादून।
7. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देहरादून।
8. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तरांचल,देहरादून।
9. स्थानिक आयुक्त,उत्तरांचल,नई दिल्ली।
10. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तरांचल,देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्या–174/XXVII(3)म/2005

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
सचिव,वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तरांचल।
2– वित्त अधिकारी/कुल–सचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उत्तरांचल।
3– समस्त अध्यक्ष,जिला पंचायतें,उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग–3

देहरादून,दिनांक 11 मई, 2005

विषय: राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01 जनवरी, 2005 से लागू दर।

पठित निम्नलिखित :–

1– शासनादेश संख्या–1411/ XXVII(3)म/2004,दिनांक 02 नवम्बर, 2004
2– भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप संख्या–फा0सं01(1)/2005, संस्था–11(ख)/263, दिनांक 31 मार्च, 2005।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्र0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 02 नवम्बर, 2004 एवं 31 मार्च, 2005 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को दिनांक 01 जनवरी, 2005 से निम्नानुसार संशोधित दर से मंहगाई भत्ते के भुगतान की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है :–

तिथि,जिस दिन से देय है	प्रतिमाह मंहगाई भत्ते की दर
01 जनवरी, 2005	वेतन का 17 प्रतिशत

2– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या–1–1599/दस–42(एम)/97,दिनांक 23 नवम्बर,1998 के प्रस्तर–3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

3– ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके वेतनमानों का दिनांक 01 जनवरी,1996 से पुनरीक्षण नहीं हुआ है, के मामलों में दिनांक 01 जनवरी, 2005 से मंहगाई भत्ते के भुगतान हेतु उपर्युक्त विषयांकित कमांक–(1) एवं (2) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 02 नवम्बर, 2004 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे मामलों में 01 जनवरी, 2005 से प्रभावी मंहगाई भत्ता वेतन के 59 प्रतिशत के आधार पर शासनादेश दिनांक 02 जून,1998 के प्रस्तर–5 में दी गयी प्रक्रिया के आधार पर आगणित किया जायेगा।

4– इन शासनादेशों द्वारा स्वीकृत/संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते की दिनांक 01 जनवरी, 2005 से 31 मई, 2005 तक की देय अवशेष धनराशि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की

vit 3

जायेगी,और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते मे दिनांक 01 जून, 2005 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा।

इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गयी अवशेष धनराशि दिनांक 30 जून, 2006 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी) के रूप में दी जायेगी,परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह नकद दी जायेगी, बिल/शैड्यूल/चालान पर शासनादेश संख्या–सा–4–12–97–500(1)97,दिनांक 07 अक्टूबर,1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिये।

5– इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 जून, 2005 (भुगतान दिनांक 30 जून, 2005 को देय) से नकद किया जायेगा।

6– इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के भुगतान की प्रकिया जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है,अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

7– जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी किये जाने की तिथि से पूर्व समाप्त हो रही हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 30 मई, 2005 तक सेवानिवृत होने वाले हों, उनको देय मंहगाई भत्ते के अवशेष की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,
(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या : I I / XXVII(3)म/2005, एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी,उत्तरांचल,देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं–261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली–110001।
4. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तरांचल,देहरादून।
5. सचिव,विधान सभा,उत्तरांचल,देहरादून।
6. महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तरांचल,देहरादून।
7. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देहरादून।
8. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तरांचल,देहरादून।
9. स्थानिक आयुक्त,उत्तरांचल,नई दिल्ली।
10. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तरांचल,देहरादून।

आज्ञा से,
(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

vit 3

संख्या– 09 /XXVII(7)म/2005

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
2– वित्त अधिकारी/कुल–सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तरांचल।
3– समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तरांचल।

वित्त (सामान्य नियम – वेतन आयोग) अनुभाग–3 देहरादून,दिनांक 22 अक्टूबर, 2005

विषयः राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान दिनांक : 01 जुलाई, 2005 से लागू दर।

पठित निम्नलिखित :–

1– शासनादेश संख्या–174/ XXVII(3)मं/2004,दिनांक : 11 मई, 2004
2– भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप संख्या–फा0सं01(5)/2005, संस्था–11(ख)/746, दिनांक : 07 अक्टूबर, 2005।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक : 11 मई, 2005 एवं 07 अक्टूबर, 2005 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को दिनांक : 01 जुलाई, 2005 से निम्नानुसार संशोधित दर से मंहगाई भत्ते के भुगतान की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है :–

तिथि,जिस दिन से देय है	प्रतिमाह मंहगाई भत्ते की दर
01 जुलाई, 2005	वेतन का 21 प्रतिशत

2– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या–1–1599/दस–42(एम)/97,दिनांक : 23 नवम्बर,1998 के प्रस्तर–3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

3– ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके वेतनमानों का दिनांक : 01 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षण नहीं हुआ है, के मामलों में दिनांक : 01 जनवरी, 2005 से मंहगाई भत्ते के भुगतान हेतु उपर्युक्त विषयांकित क्रमांक–(1) एवं (2) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 02 नवम्बर, 2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे मामलों में 01 जुलाई, 2005 से प्रभावी मंहगाई भत्ता वेतन के 63 प्रतिशत के आधार पर शासनादेश दिनांक 02 जून, 1998 के प्रस्तर–5 में दी गयी प्रकिया के आधार पर आगणित किया जायेगा।

4– इन शासनादेशों द्वारा स्वीकृत/संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते की दिनांक : 01 जनवरी, 2005 से 31 अक्टूबर, 2005 तक की देय अवशेष धनराशि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की

जायेगी,और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक : 01 नवम्बर, 2005 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा।

इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गयी अवशेष धनराशि दिनांक : 31 अक्टूबर, 2006 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी) के रूप में दी जायेगी,परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह नकद दी जायेगी, बिल/शैड्यूल/चालान पर शासनादेश संख्या–सा–4–12–97–500(1)97,दिनांक 07 अक्टूबर,1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिये।

5– इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक : 01 नवम्बर, 2005 (भुगतान दिनांक 30 नवम्बर, 2005 को देय) से नकद किया जायेगा।

6– इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के भुगतान की प्रकिया जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है,अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

7– जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी किये जाने की तिथि से पूर्व समाप्त हो रही हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक : 31 अक्टूबर, 2005 तक सेवानिवृत होने वाले हों, उनको देय मंहगाई भत्ते के अवशेष की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 09 (1)/XXVII(7)म/2005, एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल,देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं–261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली–110001।
4. सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल, देहरादून।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
6. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, देहरादून।
7. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देहरादून।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल,देहरादून।
9. स्थानिक आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल,देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

vit 3

संख्या–29/XXVII(7)/2006

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव,वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तरांचल।
2– वित्त अधिकारी/कुलसचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उत्तरांचल।
3– समस्त अध्यक्ष,जिला पंचायतें,उत्तरांचल।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7 देहरादून,दिनांक 26 अप्रैल,2006

विषय: राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू दर।

पठित निम्नलिखित :–

1– शासनादेश संख्या–09/ XXVII(7)म/2005,दिनांक 22अक्टूबर,,2005
2– भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप संख्या–फा0सं01(2)/2006, संस्था–II(ख)/166, दिनांक 29मार्च, 2006।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 22अक्टूबर,2005 एवं 29 मार्च, 2006 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से निम्नानुसार संशोधित दर से मंहगाई भत्ते के भुगतान की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है :–

तिथि,जिस दिन से देय है	प्रतिमाह मंहगाई भत्ते की दर
01 जनवरी, 2006	वेतन का 24 प्रतिशत

2– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या–1–1599/दस–42(एम)/97,दिनांक 23 नवम्बर,1998 के प्रस्तर–3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

3– ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके वेतनमानों का दिनांक 01 जनवरी,1996 से पुनरीक्षण नहीं हुआ है, के मामलों में दिनांक 01.07.2005 से मंहगाई भत्ते के भुगतान हेतु उपर्युक्त विषयांकित कमांक–(1) एवं (2) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक. 22अक्टूबर,,2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे मामलों में 01 जनवरी, 2006 से प्रभावी मंहगाई भत्ता वेतन के 66 प्रतिशत के आधार पर शासनादेश दिनांक 02 जून,1998 के प्रस्तर–5 में दी गयी प्रकिया के आधार पर आगणित किया जायेगा।

4– इन शासनादेशों द्वारा स्वीकृत/संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते की दिनांक 01 जनवरी, 2006से 30अप्रैल,2006 तक देय अवशेष धनराशि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की

जायेगी,और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 मई, 2006 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा।

इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गयी अवशेष धनराशि दिनांक 30 अप्रैल, 2007 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी) के रूप में दी जायेगी,परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह नकद दी जायेगी, बिल/शैड्यूल/चालान पर शासनादेश संख्या–सा–4–12–97–500(1)97,दिनांक 07 अक्टूबर,1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिये।

5– इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 मई, 2006 (भुगतान दिनांक 31 मई, 2006 को देय) से नकद किया जायेगा।

6– इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के भुगतान की प्रकिया जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है,अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

7– जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी किये जाने की तिथि से पूर्व समाप्त हो रही हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मई, 2006 तक सेवानिवृत होने वाले हों, उनको देय मंहगाई भत्ते के अवशेष की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव।

संख्या :29(1)/ XXVII(7)म/2006, एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी,उत्तरांचल,देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग),कमरा नं–261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली–110001।
4. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तरांचल,देहरादून।
5. सचिव,विधान सभा,उत्तरांचल,देहरादून।
6. महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तरांचल,देहरादून।
7. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देहरादून।
8. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तरांचल,देहरादून।
9. स्थानिक आयुक्त,उत्तरांचल,नई दिल्ली।
10. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तरांचल,देहरादून।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्या– 29(1) /XXVII(7)/म0भ0/2006

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
2–वित्त अधिकारी/कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तरांचल।
3–समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तरांचल।

वित्त (सा0नि0–वे0आ0)अनुभाग–7, देहरादून : दिनांक 29 सितम्बर, 2006

विषय : राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जुलाई, 2006 से भुगतान।

पठित निम्नलिखित :–

1–शासनादेश संख्या–29/XXVII(7)/2006, दिनांक 26 अप्रैल, 2006
2–भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1(13)/2006–संस्था–II(ख)/523, दिनांक 11 सितम्बर, 2006

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्रमांक–1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 26 अप्रैल, 2006 तथा दिनांक 11 सितम्बर, 2006 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को दिनांक 01 जुलाई, 2006 से महंगाइ भत्ता 24 प्रतिशत् से बढ़ाकर 29 प्रतिशत् करने का निर्णय लिया है।

2– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1–1599/दस–42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर–3, 4, 5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

3– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत/संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते को दिनांक 01 जुलाई, 2006 से, उन कर्मचारियों जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर, 2005 या उसके बाद हुई हो अर्थात् अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित हैं, को छोड़कर शेष कर्मचारियों को देय धनराशि नकद में भुगतान की जायेगी परन्तु 01 अक्टूबर, 2005 या उसके बाद के कर्मचारियों के अवशेष (एरियर) भुगतान से 10 प्रतिशत् पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ पेंशन सम्बन्धी सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा।

4– इस आदेश के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

5– ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों, जिनके वेतनमान दिनांक 01.01.1996 से पुनरीक्षित नहीं किये गये हैं, के प्रकरण में दिनांक 01 जुलाई, 2006 से महंगाई भत्ता वेतन के 71 प्रतिशत् के आधार पर शासनादेश दिनांक 02 जून, 1998 के प्रस्तर–5 में दी गयी प्रक्रिया के आधार पर आगणित किया जायेगा।

भवदीय,
(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव।

2

संख्या–29(1)(1)/XXVII(7)/मं0भ0/2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार उत्तरांचल, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2– समस्त कोषाधिकारी उत्तरांचल, देहरादून।
3– वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग), कमरा नं0 261, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली–110001 ।
4– सचिव, राज्यपाल महोदय उत्तरांचल, देहरादून।
5– सचिव, विधान सभा उत्तरांचल, देहरादून।
6– महा निबन्धक, उच्च न्यायालय उत्तरांचल, नैनीताल।
7– रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून।
8– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तरांचल, देहरादून।
9– स्थानिक आयुक्त उत्तरांचल, नई दिल्ली।
10–निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल एकक, देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव।

संख्या --29/XXVII (7)/2007

प्रेषक,

राधा रतूडी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
2– वित्त अधिकारी/कुलसचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उत्तराखण्ड।
3– समस्त अध्यक्ष,जिला पंचायतें,उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7 — देहरादून:,दिनांक: 24अप्रैल,2007

विषय:– राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का दिनांक 01 जनवरी, 2007 से भुगतान।

पठित निम्नलिखित :–

1– शासनादेश संख्या–29 (1)/ XXVII (7) म0भ0/2006, दिनांक 29 सितम्बर, 2006.
2– भारत सरकार,के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञाप संख्या–1(2)/2007. संस्था–II(ख)/64 दिनांक 22 मार्च, 2007.

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 29 सितम्बर, 2006 एवं दिनांक 22 मार्च, 2007 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों का दिनांक 01 जनवरी, 2007 से महगाई भत्ता 29 प्रतिशत से बढाकर 35 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

2– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या–1–1599/दस–42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर,1998 के प्रस्तर–3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

3– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत/संशोधित दरों पर महगाई भत्ते को दिनांक 01जनवरी,2007 से उन कर्मचारियों जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर, 2005 या उसके बाद हुई हो अर्थात् अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित है, के अवशेष (एरियर) भुगतान से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ पेंशन सम्बन्धी सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा।

4– उक्त कर्मचारियों को छोडकर शेष अधिकारियों/कर्मचारियों को इस शासनादेशों द्वारा स्वीकृत/संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते की दिनांक, 01 जनवरी, 2007, से 30 अप्रैल,2007 तक देय अवशेष धनराशि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी, और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 मई, 2007 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गयी अवशेष धनराशि दिनांक 30 अप्रैल, 2008 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे

उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी) के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह नकद दी जायेगी, बिल/शैड्यूल/चालान पर शासनादेश संख्या–सा–4–12–97–500 (1) 97, दिनांक 07 अक्टूबर, 1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिये। स्वीकृत मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 मई, 2007 (भुगतान दिनांक 31 मई, 2007 को देय) से नकद किया जायेगा।

5– इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के भुगतान की प्रकिया जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

6– ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों जिनके वेतनमान दिनांक 01–01–1996 से पुनरीक्षित नही किये गये है, के प्रकरण में दिनांक 1 जनवरी 2007 से महगाई भत्ता वेतन के 77 प्रतिशत के आधार पर शासनादेश दिनांक 2 जून,1998 के प्रस्तर–5 में दी गई प्रकिया के आधार पर आगणित किया जायेगा।

7–जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी किये जाने की तिथि से पूर्व समाप्त हो रही हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मई, 2007 तक सेवानिवृत होने वाले हों, उनको देय मंहगाई भत्ते के अवशेष की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीया,

राधा रतूडी
सचिव।

संख्या : (1)/ XXVII(7)म/2007, एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार,उत्तराखण्ड ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग),कमरा नं–261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली–110001।
4. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
5. सचिव,विधान सभा,उत्तरांखण्ड,देहरादून।
6. महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देहरादून।
8. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. स्थानिक आयुक्त,उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
10. निदेशक, एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,एकक देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्या:29/ XXVII(7)म.भ./2007

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
2– वित्त अधिकारी/कुलसचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उत्तराखण्ड शासन।
3– समस्त अध्यक्ष,जिला पंचायतें,उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7 देहरादून:दिनांक 01 अक्टूबर,2007

विषयः– राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का दिनांक 01 जुलाई 2007 से भुगतान।

पठित निम्नलिखितः–

1–शासनादेश संख्या–29/ XXVII(7)/2007,दिनांक 24 अप्रैल, 2007.
2–भारत सरकार,के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञाप संख्या–1(8)/2007 संस्था–II(ख)/212 दिनांक:11सितम्बर, 2007.

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क0 सं01 एवं 2में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 24 अप्रैल,,2007 एवं दिनांकः 11सितम्बर, 2007 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों का दिनांकः 01 जुलाई 2007 से मंहगाई भत्ता 35 प्रतिशत से बढाकर 41 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

2– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबध में शासनादेश संख्या–1–1599/दस–42 (एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर,1998 के प्रस्तर–3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

3– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत /संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांकः 01 जुलाई 2007, से उन कर्मचारियों जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद हुई हो अर्थात् अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित है, को छोड़कर शेष कर्मचारियों को देय धनराशि नकद भुगतान की जायेगी परन्तु 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद के कर्मचारियों के अवशेष (एरियर) भुगतान से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ पेंशन सम्बधी सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा।

4– इस आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर लागू होगी।

5– ऐसे अधिकारियों /कर्मचारियों जिनके वेतनमान दिनांक 01–01–1996 से पुनरीक्षित नहीं किये गये हैं,के प्रकरण में दिनांक 01 जुलाई,2007 से मंहगाई भत्ता, वेतन के 83 प्रतिशत के आधार पर शासनादेश दिनांक 02 जून,1998 के प्रस्तर–5 में दी गई प्रकिया के आधार पर आगणित किया जायेगा।

भवदीया,
(राधा रतूड़ी)
सचिव वित्त।

संख्या:2790/XXVII(7)/2007,एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार,उत्तराखण्ड ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय(व्यय नियंत्रण विभाग),कमरा नं—261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली—110001 ।
4. सचिव, राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
5. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देहरादून।
8. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
9. स्थानिक आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
10. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्या–317/XXVII(7)पें./2007

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
2– वित्त अधिकारी/कुल–सचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उत्तराखण्ड
3– समस्त अध्यक्ष,जिला पंचायतें,उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7 देहरादून,दिनांक 15 अक्टूबर,, 2007

विषयः राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को मंहगाई राहत का भुगतान दिनांकः 01 जुलाई,2007 से लागू दर के शासनादेश दिनांकः 01 अक्टूबर,2007 के हिन्दी रूपान्तर की तृतीय पंक्ति एवं अंग्रेजी रूपान्तर की द्वितीय पंक्ति में "दिनांक/ Dated" में संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय शासनादेश संख्याः280/xxvii(7)पें./2007 दिनांकः 01 अक्टूबर,2007 के हिन्दी रूपान्तर की तृतीय पंक्ति में दिनांक"**04 अक्टूबर,2007**" एवं अंग्रेजी रूपान्तर की द्वितीय पंक्ति मे "Dated:30April,2007"त्रुटिवश अंकित हो गया है । अतः इसे अब उक्त के स्थान पर हिन्दी रूपान्तर में दिनांक"**24 अप्रैल,2007**" एवं अंग्रेजी रूपान्तर में"Dated: 24April, 2007" पढ़ा जाय ।

2.उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 01 अक्टूबर,2007 केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय और इसके शेष सभी प्राविधान यथावत् रहेगें ।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 317/ XXVII(7)पें./2007, एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं–261 नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली–110001।
4. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड देहरादून।
5. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देहरादून।
8. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
9. स्थानिक आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
10. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्या :18/ XXVII(7)म.भ./2008

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
2– वित्त अधिकारी/कुलसचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उत्तराखण्ड शासन।
3– समस्त अध्यक्ष,जिला पंचायतें,उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7 देहरादून:दिनांक 21 मार्च,2008

विषयः– राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का दिनांक 01 जनवरी 2008 से भुगतान।

पठित निम्नलिखितः–

1–शासनादेश संख्या–279/ XXVII(7)म.भ./2008,दिनांक 01 अक्टूबर, 2007.

2–भारत सरकार,के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञाप संख्या–1(1)/2008संस्था–II (ख)/ दिनांकः17 मार्च,2008.

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्र0 सं01 एवं 2में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 01अक्टूबर,,2007 एवं दिनांकः17मार्च,2008 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों का दिनांकः 01 जनवरी,2008 से मंहगाई भत्ता 41 प्रतिशत से बढाकर 47 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

2– इस शासनादेश द्वरा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबध में शासनादेश संख्या–1–1599/दस–42 (एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर,1998 के प्रस्तर–3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

3– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत /संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांकः 01 जनवरी, 2008, से उन कर्मचारियों जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद हुई हो अर्थात् अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित है, को छोड़कर, शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी,2008 से दिनांक 31मार्च,2008 तक की बढ़ी धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा माह 01 अप्रैल,2008 का वेतन देय 30 अप्रैल,2008, से वेतन के साथ नकद भुगतान किया जाएगा। परन्तु 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद के कर्मचारियों के अवशेष (एरियर) भुगतान से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ पेंशन सम्बधी सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा।

4– इस आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के भुगतान की प्रकिया जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर लागू होगी।

5– ऐसे अधिकारियों /कर्मचारियों जिनके वेतनमान दिनांक 01–01–1996 से पुनरीक्षित नहीं किये गये हैं,के प्रकरण में दिनांक 01 जनवरी,2008 से मंहगाई भत्ता, वेतन के 89 प्रतिशत के आधार पर शासनादेश दिनांक 02 जून,1998 के प्रस्तर–5 में दी गई प्रकिया के आधार पर आगणित किया जायेगा।

भवदीय

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव वित्त।

संख्या 18 /xxvii(7)/2008,एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार,उत्तराखण्ड ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय(व्यय नियंत्रण विभाग),कमरा नं–261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली–110001 ।
4. सचिव, राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
5. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देहरादून।
8. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
9. स्थानिक आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
10. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्या:396 / xxvii(7) / 2008
देहरादून:दिनांक:17 अक्टूबर,2008

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–केन्द्र सरकार के छठे वेतन आयोग के क्रम में लागू मंहगाई भत्ते की दरे राज्य कर्मचारियों को पुनरीक्षित दर पर उपलब्ध कराया जाना ।

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में केन्द्र सरकार के समतुल्य वेतनमान दिये जाने विषयक राज्य वेतन समिति की संस्तुतियों के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या395 /xxvii(7)/2008दिनांक:17अक्टूबर/2008 द्वारा अनुमन्य किये गये वेतनमानों पर निम्नानुसार मंहगाई भत्ता अनुमन्य कराया जायः–

मंहगाई भत्ते की दरें लागू करने की तिथि	उक्त तिथि से मूल वेतन पर अनुमन्य कुल मंहगाई भत्ते का प्रतिशत
1–1–2006से	मंहगाई भत्ता देय नहीं है
1–7–2006 से	मूल वेतन का 2 प्रतिशत
1–1–2007से	मूल वेतन का 6 प्रतिशत
1–7–2007 से	मूल वेतन का 9 प्रतिशत
1–1–2008 से	मूल वेतन का 12 प्रतिशत
1–7–2008	मूल वेतन का 16 प्रतिशत

2– उपरोक्त तिथियों तथा दरों पर मंहगाई भत्ते का भुगतान पूर्व में शासनादेश संख्या सख्याः 29/xxvii(7)/2006 दिनांक 26 अप्रैल,2006 द्वारा दिनांक 1–1–2006 से शासनादेश संख्या 29(1)/xxvii(7)/2006 दिनांक 29 सितम्बर 2006, द्वारा दिनांक 1–7–2006से शासनादेश संख्या 29/xxvii(7)/2007 दिनांक 24 अप्रैल 2007 द्वारा 1–1–2007 से एवं शासनादेश संख्या 279/ xxvii (7) मं0 भ0 /2007 दिनांक 1अक्टूबर 2007 द्वारा दिनांक 1–7–2007 से, शासनादेश संख्या 18/xxvii(7)मं0भ0/2008 दिनांक 21 मार्च 2008 द्वारा दिनांक 1–1–2008 से स्वीकृत किये गये मंहगाई भत्ते का समायोजन करने के उपरान्त किया जाएगा ।

3– दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमान में मूल वेतन का तात्पर्य निर्धारित वेतन बैण्ड में वेतन का स्तर तथा अनुमन्य ग्रेड–वेतन को जोड़कर

जो धनराशि होगी उसे ही मूल वेतन माना जायेगा । इसमें किसी भी प्रकार के विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन या अन्य वेतन मंहगाई भत्ते हेतु सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

4–मंहगाई भत्ते के निर्धारित प्रतिशत की स्वतन्त्र अनुमन्यता है, इसे मूल नियम 9(21) में परिभाषित वेतन का भाग नहीं मान्य जायेगा ।

5–मंहगाई भत्ते के आंगणन के समय 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड दिया जायेगा और यदि आंगणन 50 पैसे य, उससे अधिक है तो इसे अगले रूपये में मान लिया जाय।

आज्ञा से

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव,वित्त

संख्या:396(1)/xxvii(7)/2007 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन ।
2.समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,उत्तराखण्ड ।
3..महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून।
4.रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड,नैनीताल ।
5.स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
6.सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड ।
7.सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
8.उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9.समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड ।
10.निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल ।
11.निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
12.गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव ।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 7 वित्त/449–25–10–2008–100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

संख्याः 152/xxvii(7)म.भ./2009

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
2– वित्त अधिकारी/कुल–सचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उत्तराखण्ड।
3– समस्त अध्यक्ष,जिला पंचायतें,उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून,दिनांक 27 मई, 2009

विषयः दिनांक 1–1–2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों, निगमों/सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/यू0जी0सी0 वेतनमान में कार्यरत पदधारकों तथा न्यायिक सेवा के अधिकारियों को दिनांक 01–07–2008 से मंहगाई भत्ता का पुनरीक्षण।

पठित निम्नलिखित :–

1– शासनादेश संख्याः18/xxvii(7)म.भ./2008 दिनांक 21 मार्च,2008।
2– भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप संख्या–1(3)/2008–EII(B) दिनांक 3 अक्टूबर,2008,

महोदय,

उपर्युक्त विषयक छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमानों पर दिनांक 1–7–2008 से महंगाई भत्ता मूल वेतन के 16 प्रतिशत की दर से अनुमन्य है, परन्तु जिन कर्मचारियों को अभी पुनरीक्षित वेतनमानों का लाभ अनुमन्य नहीं हुआ है उन्हें दिनांक 1–1–2008 से 47 प्रतिशत की दर पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य है किन्तु दिनांक 1–7–2008 से उक्त श्रेणी के कर्मचारियों बढ़ी हुयी दर पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य नहीं हुआ है।

2– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांकः 21 मार्च,2008 एवं 3 अक्टूबर,2008 के कम में राज्यपाल महोदय ने दिनांक 1–1–2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों, निगमों/सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/यू0जी0सी0 वेतनमान में कार्यरत पदधारकों तथा न्यायिक सेवा के अधिकारियों का दिनांक 01–07–2008 से मंहगाई भत्ते में 7 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 47 प्रतिशत से बढ़ाकर 54 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

3– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या–1–1599/दस–42(एम)/97,23नवम्बर,1998 के प्रस्तर–3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेगे।

4– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृति/संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांक 01 जुलाई,,2008, से उन कर्मचारियों जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद हुई हो अर्थात अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित है, को छोड़कर, शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई,2008 से 31मई,2009 तक की बढ़ी धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा माह 01जून,2009 से नकद भुगतान किया जाएगा। परन्तु 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष(एरियर) भुगतान से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ पेंशन संबंधी सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा तथा शेष धनराशि एन0एस0सी0 के रूप में भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)

संख्या : ✓ / xxvii(7)म.भ. / 2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं–261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली–110001।
4. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
5. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर / देहरादून।
8. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
9. स्थानिक आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
10. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्याः / xxvii(7)म.भ. / 2009

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
2– वित्त अधिकारी/कुल–सचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उत्तराखण्ड।
3– समस्त अध्यक्ष,जिला पंचायतें,उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून,दिनांक 28 मई, 2009

विषयः राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2009 से मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण ।

पठित निम्नलिखित :–

1– शासनादेश संख्याः396/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008।
2– भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप संख्याः1(1)/2009–संस्था–II(ख) दिनांक 13 मार्च,2009।,

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 के शासनादेश संख्या 396/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 द्वारा दिनांक 1–7–2008 से महंगाई भत्ता मूल वेतन के 16 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।

2– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश शासनादेश संख्याः396/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008,भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप संख्याः1(1)/2009–संस्था–II(ख) दिनांक 13 मार्च,2009 के कम में राज्यपाल महोदय ने दिनांक 1–1–2009 से प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते में 6 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 22 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

3– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या–1–1599/दस–42(एम)/97,23नवम्बर,1998 के प्रस्तर–3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेगे।

4– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृति/संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांक 01 जनवरी,2009, से उन कर्मचारियों जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद हुई हो अर्थात अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित है, को छोड़कर, शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी,2009 से 31मई,2009 तक(सेवा निवृत्त एवं 6 माह के अधीन सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्तियों को छोड़कर) की बढ़ी धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा माह 01जून,2009 से नकद भुगतान किया जाएगा। परन्तु 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष(एरियर) भुगतान से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ पेंशन संबंधी सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा तथा शेष धनराशि एन0एस0सी0 के रूप में भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या : 145 / xxvii(7)म.भ./2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं–261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली–110001।
4. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
5. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देहरादून।
8. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
9. स्थानिक आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
10. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्याः164/xxvii(7)म.भ./2009

प्रेषक,

टी0एन0सिंह
अपर सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
2– वित्त अधिकारी/कुल–सचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उत्तराखण्ड।
3– समस्त अध्यक्ष,जिला पंचायतें,उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून,दिनांक 26 अगस्त, 2009

विषयः दिनांक 1–1–2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत स्थानीय निकाय/विश्वविद्यालय के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा न्यायिक सेवा के अधिकारियों को दिनांक 01–01–2009 से मंहगाई भत्ता का पुनरीक्षण।

पठित निम्नलिखित :–

1– शासनादेश संख्याः152/xxvii(7)म.भ./2008 दिनांक 27मई,2009।
2– भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप संख्या–1(3)/2008–EII(ख) दिनांक 19 मार्च,2009।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत कार्मिकों को वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7 के शासनादेश संख्या संख्याः152/xxvii(7)म.भ./2008 दिनांक 27मई,2009 द्वारा दिनांक 1– 7 –2008 से मंहगाई भत्ता मूल वेतन के 54 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।

2– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कम संख्या 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांकः 27मई,2009 एवं 19मार्च,2009 के कम में दिनांक 1–1–2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत स्थानीय निकाय/विश्वविद्यालय के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा न्यायिक सेवा के अधिकारियों का दिनांकः 01–01–2009 से मंहगाई भत्ते में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 54 प्रतिशत से बढ़ाकर 64 प्रतिशत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या–1–1599/दस–42(एम)/97,23नवम्बर,1998 के प्रस्तर–3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

4– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृति/संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांक 01 जनवरी,2009, से उन कर्मचारियों जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद हुई हो अर्थात अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित है, को छोड़कर, शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी,2009 से 31मई,2009 तक की बढ़ी धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा माह 01जून,2009 से नकद भुगतान किया जाएगा। परन्तु 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष(एरियर) भुगतान से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ पेंशन संबंधी सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा तथा शेष धनराशि एन0एस0सी0 के रूप में भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,
(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्या : 164 / xxvii(7)म.भ. / 2009 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कुमरा नं–261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली–110001। प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन,
4. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
5. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर / देहरादून।
8. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
9. स्थानिक आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
10. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्या:219/xxvii(7)म.भ./2009

प्रेषक,

टी0एन0सिंह
अपर सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
2– वित्त अधिकारी/कुल–सचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उत्तराखण्ड।
3– समस्त अध्यक्ष,जिला पंचायतें,उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून,दिनांक 15 अक्टूबर, 2009

विषयः दिनांक 1–1–2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों/स्थानीय निकाय तथा न्यायिक सेवा के अधिकारियों को दिनांक 01–01–2009 से मंहगाई भत्ता का पुनरीक्षण।

पठित निम्नलिखित :–

1– शासनादेश संख्याः164/xxvii(7)म.भ./2008 दिनांक 26अगस्त,2009।
2– भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप संख्या–1(3)/2008–EII(बी) दिनांक 29 सितम्बर,2009।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत कार्मिकों को वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7 के शासनादेश संख्या संख्याः164/xxvii(7)म.भ./2008 दिनांक 26अगस्त,2009 द्वारा दिनांक 1–1–2009 से मंहगाई भत्ता मूल वेतन के 64 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।

2– उक्त के संबंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कम संख्या 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांकः 26 अगस्त,2009 एवं 29सितम्बर,2009 के कम में दिनांक 1–1–2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों/स्थानीय निकाय में कार्यरत कर्मचारियों तथा न्यायिक सेवा के अधिकारियों का दिनांकः 01–07–2009 से मंहगाई भत्ते को 64 प्रतिशत से बढाकर 73 प्रतिशत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या–1–1599/दस–42(एम)/97,23नवम्बर,1998 के प्रस्तर–3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेगे।

4– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृति/संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांक 01 जुलाई 2009, से उन कर्मचारियों जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद हुई हो अर्थात अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित है, को छोड़कर, शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई,2009 से 31 अक्टूबर,2009 तक की बढ़ी धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा माह 01नवम्बर,2009 से नकद भुगतान किया जाएगा। परन्तु 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष(एरियर) भुगतान से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ पेंशन संबंधी सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा तथा शेष धनराशि एन0एस0सी0 के रूप में भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्या : 299 / XXVII(7)म.भ. / 2009 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं--261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली-110001।
4. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
5. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर / देहरादून।
8. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
9. स्थानिक आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
10. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।
11. - प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम उत्तराखण्ड शासन

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

Government of Uttaranchal
Finance Section-3

No-76-Finance Section-3/2001
Dated: Dehradun: October 24, 2001

Office Memorandum

Subject:-Grant of Dearness Relief to state Government Civil/ Family Pensioners

The undersigned is directed to refer to this office Memo No. 6047/Vi Sa V/2001, Dated June 30, 2001 on the subject mentioned above sanctioning an installment of Dearness Relief with effect from Jan 1, 2001 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of Dearness Relief admissible to all Civil/Family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average Consumer price Index 306.33 (as on 1.1.1996) at the rate of 2% (Two Percent) with effect from July 01, 2001 in super session of the rates mentioned in the O.M. dated June 30, 2001 referred to above. Accordingly the rate of Dearness Relief of pension/Family Pension w.e.f. 01.07.2001 has risen to 45%.

2- Payment of Dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of Local Bodies and Public Undertakings/Corporation etc. in respect of who separate orders will have to be issued by respective departments.

4- These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State Fund under the Education/Technical "Education Departments whose pension/family pension is at par with the pensioners of the State Government.

5- As per order issued in O.M. No. A-I-252/X-10(3)-81, dated April, 27, 1982 the Accountant Generals Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under this O.M. shall be made by the authorities/Public Sector Banks.

6- Other terms and conditions regarding grant of Dearness Relief laid down in earlier Government order shall remain applicable as usual.

INDU KUMAR PANDEY
Secretary

No. 76Vitt. Anu-3/2001 the dated

Copy forwarded to following for information and necessary action:-

1- All Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttaranchal
2- All Heads of Departments/Offices, Uttaranchal.
3- Regional Addl. Director Treasury and Pension, Garhwal/Kumaon Division.
4- Director, Treasury and Finance Services, Uttaranchal.
5- All Treasury Officers, Uttaranchal.
6- Accountant General U.P. and Uttanchal, 5A- Thorn Hill Road, Satynishtha Bhawan, Allahabad alongwith 50 extra Copies with the request that Account Officers of other States be also informed please.
7- Depute Director, Govt. Press Roorkee with the request that 1000 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt Please.

By Order,

K.C. Misra
Addl. Secretary

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3

संख्या 414 / वि0अ0–3 / 2002
देहरादूनः दिनांक 29 मई, 2002

कार्यालय ज्ञाप

विषय : राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों आदि को मंहगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 76 / वि0 अ0–3 / 2001, दिनांक 24 अक्टूबर, 2001 के द्वारा मंहगाई राहत की एक किश्त 01 जुलाई, 2001 से स्वीकृत की गयी थी, के क्रम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01 जुलाई, 2001 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जनवरी, 2002 से मंहगाई राहत की एक और किश्त 04 प्रतिशत (चार प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। तद्नुसार दिनांक 01 जनवरी, 2002 से राहत की दर बढ़कर 49 प्रतिशत हो गई है।

2–मंहगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये से गुणांक में आंगणित होगी, उसे अगले रुपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3–यह आदेश न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4–यह आदेश शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन / पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5–शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 ए–1–252 / दस–10(3)–81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों / सार्वजनिक बैंकों पर इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत मंहगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

Government of Uttaranchal
Finance Section-3

No. 414/Fin.Sec.-3/2002
Dated: Dehradun May 29, 2002

Office Memorandum

Subject : Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No. 76/Vitt.Anu-3/2001, dated October 24, 2001 on the subject mentioned above sanctioning on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from July 1, 2001 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of Dearness Relief admissible to all Civil/Family pensioners of this Government to Compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index 306.33 (as on 1-1-1996) at the rate of 4% (Four Per cent) with effect from January 01, 2002 in supersession of the rates mentioned in the O.M. dated 25-9-2001 referred to above accordingly the rate of Dearness Relief of Pension/Family Pension w.e.f. 01-01-2002 has risen to 49%.

2. Payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3. These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertakings/Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4. These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the education/Technical Education Department whose pension/Family pension is at par with the pensioners of the State Government.

5. As per orders issued in O.M.No. A-1-252/X-10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6—मंहगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव।

संख्या 414(1)/वि०अ०—3/2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।

2—समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।

3—क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल मण्डल/कुमायूं मण्डल।

4—निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।

5—महालेखाकार, उ० प्र० एवं उत्तरांचल, 5—ए, थार्न—हिल रोड, सत्यनिष्ठा भवन, इलाहाबाद को सूचनार्थ तथा 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6—समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

(के० सी० मिश्रा)
अपर सचिव।

6. Other terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

INDU KUMAR PANDE,
Principal Secretary.

No. 414(1)/Fin.Sec.-3/2002 the dated

Copy forwarded to following for information and necessary action :--

1. All Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttaranchal.
2. All Head of Departments/Offices, Uttaranchal.
3. Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/Kumaon Division.
4. Director, Treasury and Finance Services, Uttaranchal.
5. Accountant General U.P. and Uttaranchal 5-A Thorn Hill Road, Satyanistha Bhawan, Allahabad alongwith 50 extra copies with the request that Account Officers of other States be also informed please.
6. All Treasury Officers, Uttaranchal.

By Orders,

(K.C. MISHRA)
Addl. Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 08 वित्त सामान्य/196—3—6—2002—1,000 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

उत्तरांचल शासन

वित्त अनुभाग–3

संख्या 640/वि0अनु0–3/2002
देहरादून : दिनांक 18 दिसम्बर, 2002

कार्यालय ज्ञाप

विषय : राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को मंहगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 414/वि0 अनु0–3/2002, दिनांक 29 मई, 2002 के द्वारा मंहगाई राहत की एक किस्त 01 जनवरी, 2002 से स्वीकृत की गयी थी, के क्रम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01 जनवरी, 2002 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जुलाई, 2002 से मंहगाई राहत की एक और किस्त 03 प्रतिशत (तीन प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। तद्नुसार दिनांक 01 जुलाई, 2002 से राहत की दर बढ़कर 52 प्रतिशत हो गई है।

2–मंहगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये से गुणांक में आंगणित होगी, उसे अगले रुपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3–यह आदेश न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4–यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5–शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 ए–1–252/दस–10(3)–81, दिनांक 07 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार–पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत मंहगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

Government of Uttaranchal

Finance Section-3

No. 640/Fin.Sec.-3/2002
Dated Dehradun, December 18, 2002

Office Memorandum

Subject : Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo no. 414/Vitta.Anu-3/2002, dated May 29, 2002 on the subject mentioned above sanctioning on instalment of Dearness Relief with effect from January 01, 2002 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of Dearness Relief admissible to all Civil/Family Pensioners of this Government to Compensate them for the rise in the cost of living beyond average Consumer Price Index 306.33 (as on 01-01-1996) at the rate of 3% (Three Per cent) with effect from January 01, 2002 in supersession of the rates mentioned in the O.M., dated 29-05-2002 referred to above accordingly the rate of Dearness Relief of Pension/Family Pension w.e.f. 01-07-2002 has risen to 52%.

2. Payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3. These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of Local Bodies and Public undertakings/Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4. These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family pension is at par with the pensioners of the State Government.

5. As per orders issued in O.M.no. A-1-252/X-10(3)-81, dated April 07, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying Authorities/Public Sector Banks.

6—मंहगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

आज्ञा से,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव।

6. Other terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

By Order,

INDU KUMAR PANDE,
Principal Secretary.

संख्या 640/वि0अनु0—3/2002, तद्दिनांक

No. 640/Fin.Sec.-3/2002, the dated

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

Copy forwarded to following for information and necessary action :--

1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।

1. All Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttaranchal.

2—समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।

2. All Head of Departments/Offices, Uttaranchal.

3—क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल मण्डल/कुमायूं मण्डल।

3. Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/Kumaon Division.

4—निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।

4. Director, Treasury and Finance Services, Uttaranchal.

5—महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5. Accountant General, Uttaranchal, Oberoy Motor Building, Saharanpur Road, Mazara, Dehradun alongwith 50 extra copies with the request that Account Officers of other States be also informed please.

6—समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।

6. All Treasury Officers, Uttaranchal.

आज्ञा से,

एल0 एम0 पन्त,
अपर सचिव।

By Order,

L. M. PANT,
Addl. Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 14 वित्त सामान्य/620—26—12—2002—1,000 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्या–924 /वि0अनु0–3 / 2003
देहरादून : दिनांक : 16 जून, 2003

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–640 / वि0अनु0–3 / 2002 दिनांक 18 दिसम्बर, 2002 द्वारा महंगाई राहत की एक किश्त 01 जुलाई, 2002 से स्वीकृत की गयी थी, के क्रम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18 दिसम्बर, 2002 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुये 01 जनवरी, 2003 से महंगाई राहत की एक और किश्त 03 प्रतिशत (तीन प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2003 से राहत की दर बढ़कर 55 प्रतिशत हो गई है।

2– महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणांक में आंगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3– यह आदेश न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नही होगें, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4– यह आदेश शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन / पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होगें।

5– शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0–ए–1–252 / दस–10(3)–81 दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

Government of Uttaranchal
Finance Section-3
No- 924 /Fin.Sec.-3/2003
Dated : 16 June, 2003

Office Memorandum

Subject: Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No 640/Vitt. Anu-3/2002 dated 18 December 2002 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from 1 July 2002 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of Dearness Relief admissible to all Civil/ Family pensioners of this Government to Compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index 306.33 (as on 1.1.1996) at the rate of 3%(percent) with effect from 01 January, 2003 in super session of the rates mentioned in the O.M. dated 29.5.2002 referred to above accordingly the rate of dearness of pension/Family Pension w.e.f. 01-01-2003 has risen to 55%.

2- Payment of Dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service comission, employees of local bodies and Public undertaking/ Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the education/Technical Education Department whose Pension/Family pension is at par with the pensioners of the State Government.

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/x-10(3)-81 dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6– महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबंध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत लागू रहेगें।

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव

6- Other terms and conditions regarding of deamess relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

Indu Kumar Pande
Principal Secretary

संख्या 924/ वि0अनु0–3 / 2003 / तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :
1–समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन।

2–समस्त जिलाधिकारी / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।

3– क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन गढ़वाल मण्डल / कुमायें मण्डल।
4– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।

5– महालेखाकार, उत्तरांचल, ओवेराय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस आशय से प्रषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।

7– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियाँ मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से
(के0 सी0 मिश्र)
अपर सचिव।

No 924 /Fin.Sec.-3/2003 the date

Copy forwarded to following for information and necessary action:
1. All Principal Secretaries/ Secretaries. Government of Uttaranchal.
2. All Head of Departments/Offices, Uttaranchal.
3. Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/Kumaon Division.
4. Director, Treasury and Finance Services, Uttaranchal.
5. Accountant General Uttaranchal, Oberoy Motor Building, Saharanpur Road, Mazara, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other States be also informed please.
6. All Treasury Officers, Uttaranchal.
7. Deputy Director, Govt. Press Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.

By order
(K.C. Misra)
Addl. Secretary

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्या–1066 वि0अनु0–3/2003
देहरादून : दिनांक 24 अक्टूबर, 2003

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः राज्य सरकार के सिविल/ पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–924/वि0अनु0–3/2002 दिनांक 16 जून,2003 द्वारा महंगाई राहत की एक किश्त 01 जनवरी, 2003 से स्वीकृत की गयी थी, के क्रम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूंचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16 जून, 2003 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुये 01जुलाई, 2003 से महंगाई राहत की एक और किश्त 04 प्रतिशत (चार प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। तद्नुसार दिनांक 01 जुलाई,2003 से राहत की दर बढ़कर 59 प्रतिशत हो गई है।

2– महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणांक में आंगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3– यह आदेश न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नही होगें, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4– यह आदेश शिक्षा/ प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होगें।

5– शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0–ए–1–252/दस–10(3)–81 दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

Government of Uttaranchal
Finance Section-3
No- 1066 /Fin.Sec.-3/2003
Dated :24 October, 2003

Office Memorandum

Subject: Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No-924/Vitt. Anu-3/2002 dated 16 June, 2003 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from 1 January, 2003 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of Dearness Relief admissible to all Civil/ Family pensioners of this Government to Compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index 306.33 (as on 1.1.1996) at the rate of 4%(percent) with effect from 01 July, 2003 in super session of the rates mentioned in the O.M. dated 16.06.2003 referred to above accordingly the rate of dearness of pension/Family Pension w.e.f. 01-07-2003 has risen to 59%.

2- Payment of Dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service commission, employees of local bodies and Public undertaking/ Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the education/Technical Education Department whose Pension/Family pension is at par with the pensioners of the State Government.

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/x-10(3)-81 dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6– महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबंध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत लागू रहेगें।

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव

6- Other terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

(Indu Kumar Pande)
Principal Secretary

संख्या-1066/वि0अनु0–3/2003 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।

2–समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।

3– क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन गढ़वाल मण्डल/कुमायें मण्डल।

4– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।

5– महालेखाकार, उत्तरांचल, ओवेराय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियॉ इस आशय से प्रषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियॉ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।

7– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियॉ मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से
(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव।

No. 1066/Fin.Sec.-3/2003 the date

Copy forwarded to following for information and necessary action:

1. All Principal Secretaries/ Secretaries. Government of Uttaranchal.
2. All Head of Departments/Offices, Uttaranchal.
3. Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/Kumaon Division.
4. Director, Treasury and Finance Services, Uttaranchal.
5. Accountant General Uttaranchal, Oberoy Motor Building, Saharanpur Road, Mazara, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other States be also informed please.
6. All Treasury Officers, Uttaranchal.
7. Deputy Director, Govt. Press Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.

By order

(T.N. Singh)
Add. Secretary

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्या– 1260 XXVII(3)पे0/2004
देहरादून:दिनांक 07 जून,2004
कार्यालय–ज्ञाप

विषयः–राज्य सरकार के सिविल/ पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त अनुभाग– 3,उत्तरांचल शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1066/वि0 अनु0–3/2003, दिनांक 24 अक्टूबर,2003 द्वारा महंगाई राहत की एक किश्त 01 जुलाई,2003 से स्वीकृत की गयी थी, के क्रम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों/ पारिवारिक पेशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 अक्टूबर, 2003 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जनवरी,2004 से महंगाई राहत की एक और किश्त 02 प्रतिशत (दो प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। तद्नुसार दिनांक 01 जनवरी, 2004 से राहत की दर बढ़कर 61 प्रतिशत हो गई है।

2– महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3– यह आदेश न्यायालय के न्यायिधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होगें, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4–यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होगें।

Government of Uttaranchal
Finance Section-3
N0- 1260 / XXVII(3)P/2004
Dehradun: Dated 07 June,2004

Office Memorandum

Subject: Grant of Dearness Relief to state Government civil/ family pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No-1066/ Vitt.Anu-3/2003,dated 24 October, 2003 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from 01 July,2003 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index 306.66 (as on 01.01.1996) at the rate of 2% (percent) with effect from 01 July,2004 in super session of the rates mentioned in the O.M. dated 24-10-2003 reffered to above accordingly the rate of dearness of pension/family pension w.e.f. 01-01-2004 has risen to 61%.

2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service commission, employees of local bodies and Public undertaking/ corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4- These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from state under the education/ Technical Education Department whose Pension/ Family pension is at par with the pensioners of the state Government.

5— शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—ए—1—252/दस—10(3)—81,दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

5- As per orders issued in O.M. NoA-1-252/X-10(3)-81 dated April 27 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorites/ Public Sector Banks.

6—महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत लागू रहेगें।

6- Other terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

(एल0एम0पंत)
अपर सचिव

(L.M.Pant)
Addl. Secretary

संख्या— 1260 XXVII(3)पें/2004,तददिनांक।

No-1260 / XXVII(3)P/2004, the date.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

copy forwarded to following for information and necessary action.

1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांलच शासन।
2—समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
3—क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल।
4— निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।
5—महोल्लखाकार, उत्तरांचल, ओबराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियॉ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6—समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
7—उप—निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियॉ मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1-All Principal Secretaries/ Secretaries, Government of Uttaranchal.
2-All Head of Department/Offices, Uttaranchal.
3-Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Division.
4-Director, Treasury anf Finance services, Uttaranchal.
5-Accountant General Uttaranchal, Oberoy Building, Saharanpur Road, Mazra, Dehradun. along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
6- All Treasury Officers, Uttaranchal.
7-Deputy Director, Govt.Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.

आज्ञा से,
(एल0एम0पंत) 7/6/2004
अपर सचिव

By Order,
7/6/2004
(L.M.Pant)
Addl. Secretary

उत्तरांचल शासन

वित्त अनुभाग–3

संख्या–1311 XXVII(3)म-पें/2004

देहरादूनःदिनांक 13 जुलाई,2004

कार्यालय–ज्ञाप

विषय : राज्य सरकार के कर्मचारियों /पेंशनर्स के वेतन/ पेंशन में दिनांक 1.4.04 से 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता /मंहगाई राहत को मूल वेतन में आमेलन विषयक व्यवस्था में संशोधन।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 1267– XXVII(3)म-पें/2004 ,दिनांक 9 जून,2004के द्वारा 1.4.04 से 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता /मंहगाई राहत का मूल वेतन में आमेलन की व्यवस्था किए जाने के उपरान्त प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न सेवा संघों के द्वारा उक्त शासनादेश में कतिपय संशोधन किए जाने की मांगों पर शासन स्तर पर समयक विचारोपरान्त लिए गए निर्णय के उपरान्त अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर–2 में मूल वेतन मे विलय किए गऐ उक्त मंहगाई भत्ते को सेवानैवृत्तिक लाभ,सामान्य भविष्य निधि अंशदान एंव विभिन्न प्रकार के अग्रिमों के लिए आगणित किए जाने की व्यवस्था को संशोधित करते हुए **इसे अब केवल सेवानैवृत्तिक लाभ एंव विभिन्न प्रकार के अग्रिमों के लिए ही आगणित किए जाने** की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती हैं अर्थात **उक्त आमेलित मूल वेतन को सामान्य भविष्य निधि अंशदान के लिए आगणित नहीं किया जायेगा और कर्मी** द्वारा **प्राप्त हो रहे मूल वेतन के आधार पर ही उक्त अंशदान में कटौती पूर्ववत् की जायेगी।**

2.उपरिउल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 9 जून,2004 केवल उपरोक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय और इसके शेष सभी प्राविधान यथावत लागू रहेगे

राधा रतूड़ी

सचिव,वित्त।

1311

संख्या– XXVII(3)पें/2004,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांलच शासन।

2 समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।

3 सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल देहरादून।

4 सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल देहरादून।

5. महानिबंधक,उच्च न्यायालय,उत्तरांचल,नैनीताल।
6. निदेशक, लेखा एंव हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।
8. क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/ कुमाऊ मण्डल।
9. महोलखाकार, उत्तरांचल, ओबराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियॉं इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियॉं उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. रिजनल प्रविडेन्ट फण्ड कमीशनर,कानपुर/देहरादून।
11. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
12. वित्त अधिकारी/कुल–सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तरांचल।
13. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आश्य के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियॉं मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें
14. निदेशक एन0आई0सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र शर्मा)
उप सचिव,वित्त।

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्या 1341 / xxvii(3) मं0पें0 / 2004
देहरादून : दिनांक 06 अगस्त, 2004

कार्यालय ज्ञाप

विषयः **राज्य सरकार के कर्मचारियों / पेंशनर्स के वेतन / पेंशन में दिनांक 1.4.2004 से 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता / राहत को मूल वेतन / पेंशन हेतु बजट आवंटन एव भुगतान की प्रकिया।**

राज्य सरकार के कर्मचारियों / पेंशनर्स के वेतन / पेंशन में दिनांक 1 अप्रेल 2004 से 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता / राहत को मूल वेतन में विलय करने विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या 1267 / xxv ii (3)मं0पें0 / 2004 दिनांक 6 जून 2004 के प्रस्तर–8 में धनराशि के आवंटन एवं भुगतान की प्रकिया के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि मंहगाई वेतन / मंहगाई पेंशन के विषय में बजट आवंटन एवं भुगतान की प्रकिया निम्नवत होगी :–

1– मंहगाई वेतन का भुगतान आय व्ययक में खोली गयी मानक मद 48– मंहगाई वेतन में किया जायेगा जिसे विभागाध्यक्षों के निवर्तन पर अविलम्ब रख दिया जायेगा।

2– पेंशन भोगियों को मंहगाई पेंशन का भुगतान संगत विस्तृत हेड में 49–मंहगाई पेंशन मद में प्राविधानित धनराशि से भुगतान किया जायेगा।

3– कर्मचारियों को देय सकल वेतन की बचनबद्ध मदों यथा 01– देतन, 03–मंहगाई भत्ता, 06–अन्य भत्ते एवं 48–मंहगाई वेतन में प्राविधानित धनराशि का योग करते हुये धनराशि उपलब्ध है तो उक्त मदों में से किसी भी यथावश्यक मद में धनराशि का उपयोग सकल वेतन के भुगतान हेतु कोषागार द्वारा भुगतान हेतु देयक स्वीकार किया जायेगा। इसी प्रकार की व्यवस्था पेंशन भुगतान के सम्बन्ध में पेंशन के विस्तृत हेड में खुली मानक मदें 33–पेंशन / अनुतोषिक एवं 49–महंगाई पेंशन के विषय में होगी। बजट नियंत्रक अधिकारी / प्रशासनिक विभाग वेतन सम्बन्धी मदों में बचत / व्ययाधिक्य के प्रकरण का अन्तिम समायोजन पुनर्विनियोग के द्वारा वित्त विभाग की सहमति से यथासमय करेंगे तथा उसकी प्रति महालेखाकार एवं सम्बन्धित प्राधिकारी / कोषागार को भी भेजी जायेगी।

4– जिन विभागों में अंशदायी भविष्य निधि (सी0पी0एफ0) की योजना लागू है, उन विभागो में दिनांक 1.4.2004 से मूल वेतन में 50% मंहगाई भत्ते को विलय करने के उपरान्त निर्धारित मूल वेतन के अनुसार ही अंशदायी भविष्य निधि का अंशदान नियोक्ता एवं कर्मचारी के वेतन से काटा जायेगा।

5– शासनादेश संख्या–(449 / 04) / 248 / नौ–3–ऊ0 / पेंशन / 02 दिनांक 9 मार्च, 2004, के द्वारा विद्युत परिषद के पेंशन से जिनका भुगतान कोषागार से किया जा रहा है के लिये भी मंहगाई वेतन की वही व्यवस्था होगी जो राज्य सरकार के कर्मियों के सम्बन्ध में है निदेशक, लेखा एवं हकदारी द्वारा इस श्रेणी के पेशनर्स हेतु अनन्तिम पेंशन के विषय में उसी प्रकार से निश्चित

अवधि का पेंशन भुगतान आदेश जारी किया जायेगा। जैसा नियमित अवधि के लिय पी0पी0ओ0 निर्गत होता है।

6– जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रकरणों में 50%मंहगाई वेतन को जोड कर पेंशन की गणना की गयी है, उसका स्पष्ट उल्लेख पृथक से पेशन भुगतानादेश में किया जाये, ताकि कोषागार स्तर से पेंशन में 50 प्रतिशत मंहगाई राहत जोड़ कर निर्धारण न किया जा सके।

7– 1–4–2004 से मंहगाई वेतन/मंहगाई पेंशन (50 प्रतिशत) के सामायोजन के बाद देय मंहगाई भत्ता/ मंहगाई राहत (1–4–2004 को मात्र 11 प्रतिशत) का ही भुगतान किया जाये। जिन प्रकरणों में दिनांक 1–4–2004 के बाद 61 प्रतिशत मंहगाई भत्ता / मंहगाई राहत भुगतान किया गया हो उसे पुनः निर्धारण कर मंहगाई वेतन/ मंहगाई पेंशन को मंहगाई भत्ते/ मंहगाई राहत का निर्धारण एवं भुगतान किया जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार बजट आवंटन एवं भुगतान की कार्यवाही अपने स्तर से अविनम्ब सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

राधा रतूडी
सचिव, वित्त

संख्या /xxii(3)मं0पें0/2004 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन ।
2– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
3– सचिव राज्यपाल महोदय उत्तरांचल, देहरादून।
4– सचिव विधन सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
5– महानिबंधक उच्च न्यायालय, उत्तराचल, नैनीताल।
6– निदेशक लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
7– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।
8– क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढवाल/कुमाऊ मण्डल।
9– महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय भवन, सहारनपुर रोड माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10– रिजनल प्रविडेन्ट फण्ड कमीशनर, कानपुर /देहरादून।
11– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
12– वित्त अधिकारी/कुल–सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तरांचल।
13– उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुडकी को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित करा कर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14– निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव, वित्त

संख्या–979/XXVII (3)पे/2004

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयध्यक्ष
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांक 10 अगस्त, 2004

विषयः–सेवानैवृत्तिक लाभ का समय से भुगतान, न्यायिक/विभागीय कार्यवाही की समाप्ति पर ग्रेच्यूटी के विलम्ब से अदायगी के भुगतान पर ब्याज का भुगतान।

महोदय,

आप अवगत है कि राज्य सरकार द्वारा पेन्शनरों/पारिवारिक पेन्शनरों को अनुमन्य देयों का भुगतान समय से करने के सम्बन्ध में समय–समय पर विस्तृत आदेश निर्गत किए गये है । प्रशासनिक कारणों से "ग्रेच्यूटी" की अनुमन्य धनराशि के समय से भुगतान न होने पर भुगतान अनुमन्य होने की तिथि से तीन माह की अवधि के बाद ब्याज दिये जाने की व्यवस्था की गई है। इस सन्दर्भ में शासनादेश संख्या–सा–3–684/दस–971/80 दिनांक29.04.1983,शासनादेश संख्या–सा –3–1776/दस–971/80 दिनांक 30–11–1984 शासनादेश संख्या –सा–3–2102/दस–971/80 दिनांक 06–12–1994 एवं अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–सी–3–002/ दस–99–303/99 दिनांक 28–9–1999 द्वारा निर्देश निर्गत किए गये हैं ।

2. शासन के संज्ञान में यह बात आई है कि प्रायः कर्मचारियों द्वारा ग्रेच्यूटी के भुगतान में विलम्ब होने पर चक्रवृद्धि ब्याज दिये जाने की मांग की जाती है । उक्त के परिप्रेक्ष्य में स्थिति को स्पष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रेच्यूटी पर ब्याज के भुगतान की दर वही रखी गई है जो संगत अवधि में सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि पर ब्याज की हो, किन्तु चक्रवृद्धि ब्याज दिए जाने का कोई प्राविधान नहीं है। अतः ग्रेच्यूटी पर तीन माह से अधिक विलम्ब पर भुगतान की अवधि में नियमानुसार साधारण ब्याज का ही भुगतान अनुमन्य होगा और उसकी दर संगत अवधि में सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि पर अनुमन्य ब्याज की दर के समान होगी।

3. जिन कर्मचारियों के विरूद्ध न्यायिक/विभागीय कार्यवाही लम्बित होने के कारण उपादान एवं राशिकृत धनराशि के भुगतान में विलम्ब हो जाता है, उन प्रकरणों में ब्याज किस प्रकार अनुमन्य होगा, इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि:–

(1) यदि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि को उसके विरूद्ध अनुशासनिक अथवा न्यायिक कार्यवाही लम्बित है तो उसे ग्रेच्यूटी की धनराशि का भुगतान तब तक नहीं किया जाता है, जब तक उक्त कार्यवाही समाप्त करके अन्तिम आदेश निर्गत नहीं हो जाते हैं। ऐसे प्रकरणों में यदि ग्रेच्यूटी के भुगतान का निर्णय लिया जाता है तो भुगतान की तिथि वही होगी जिस तिथि में सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश निर्गत किए जाते हैं। जिन प्रकरणों में सरकारी सेवक के विरूद्ध चल रही कार्यवाही में अन्तिम निर्णय के फलस्वरूप उसे पूर्णतः दोषमुक्त किया जाता है, उन प्रकरणों में सेवानिवृत्ति की तिथि से ग्रेच्यूटी की अनुमन्यता मानी जायेगी और ऐसे तीन

माह से अधिक के विलम्ब की अवधि हेतु ब्याज अनुमन्य हो जायेगा। परन्तु जिन प्रकरणों में विभागीय/न्यायिक कार्यवाही चलते हुए सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाती है तथा मात्र मृत्यु के कारण विभागीय/न्यायिक कार्यवाही समाप्त की जाती है, ऐसे प्रकरणों में ब्याज अनुमन्य नहीं होगा।

(2) उपरोक्त व्यवस्था केवल उन प्रकरणों में लागू होगी जो अभी तक निर्णीत नहीं हो सके है, परन्तु जिन प्रकरणों में निर्णय लिया जा चुका है उन्हें पुर्नउद्घाटित नहीं किया जायेगा।

(3) सेवानिवृत्त कर्मचारी के सेवानैवृत्तिक लाभों के भुगतानादेश सेवानिवृत्ति की तिथि को ही निर्गत किए जाने के प्राविधान है तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर शासनादेश भी निर्गत किए गये हैं। सेवानैवृत्तिक लाभों को समय से भुगतान करने के सन्दर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन उत्तरांचल पेन्शन के मामलों का (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन) उत्तरांचल नियमावली, 2003 अधिसूचना संख्या–1033/वित्त अनु0–4/2003, दिनांक 10 नवम्बर, 2003 को निर्गत की जा चुकी है। उक्त नियमावली में पेन्शन प्रकरणों के निस्तारण हेतु समय सारणी भी निर्धारित है तथा विलम्ब के लिए दोषी कार्मिकों के विरूद्व दण्ड दिए जाने की भी व्यवस्था है। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त नियमावली का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि को सेवानैवृत्तिक लाभों के भुगतानादेश निर्गत किए जॉय तथा यदि पेन्शन निर्धारण में विलम्ब की सम्भावना हो तो उस स्थिति में अनन्तिम पेन्शन का भुगतान किया जाय। यदि सेवानैवृत्तिक लाभों के भुगतानादेश सम्बन्धित कार्मिक की सेवानिवृत्ति की तिथि को नहीं हो सके तो उसकी जानकारी भुगतानादेश निर्गत न हो जाने के कारणों सहित उच्चस्तर अधिकारी को दिया जाना अपेक्षित होगा, जो पेन्शन प्रकरण का सीधे निस्तारण सुनिश्चित करेंगें।

4. यदि प्रशासनिक कारणों से ग्रेच्यूटी का भुगतान निर्धारित तिथि से तीन माह बाद किया जाता है तो भुगतान अनुमन्य होने की तिथि से तीन माह के अवधि के बाद से निर्धारित दर पर ब्याज दिया जायेगा। यदि यह निर्णीत हो जाता है कि ग्रेच्यूटी का भुगतान किया जाना है तो इसका भुगतान तुरन्त कर दिया जाय और ब्याज की मद पर शीघ्र निर्णय लेकर कार्यवाही की जाय। ऐसा करने से ब्याज की मद में दी जाने वाली धनराशि में बचत की जा सकेगी। परन्तु यह ब्याज केवल उन्हीं परिस्थितियों में दिया जायेगा जहॉ यह स्पष्ट रूप से सिद्व हो कि ग्रेच्यूटी के भुगतान में विलम्ब प्रशासनिक त्रुटि के कारण अथवा उन कारणों से हुआ है जो सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी के नियंत्रण के बाहर हो । ब्याज के भुगतान के प्रत्येक मामले में शासन के प्रशासनिक विभाग द्वारा विचार किया जायेगा और ब्याज का भुगतान शासन द्वारा ही प्राधिकृत किया जायेगा। जिन मामलों में ब्याज का भुगतान किया जाना होगा उन सभी मामलों में विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी तथा ब्याज के रूप में भुगतान की गई धनराशि की वसूली दोषी व्यक्तियो से उनके वेतन के अनुपात में की जाये।

5. सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा अपनी पेन्शन के एक भाग के राशिकरण की धनराशि को विलम्ब से भुगतान किए जाने पर यदि ब्याज की मांग करते हैं तब ऐसे प्रकरणों हेतु स्पष्ट किया जाता है कि उक्त नियम के अधीन देय धनराशि को विलम्ब से भुगतान पर कोई ब्याज देय नहीं है, क्योंकि पेन्शन के एक भाग की राशिकृत मूल्य की स्वीकृति हो जाने पर भी उसके भुगतान की तिथि तक पेन्शन एवं देय महगाई राहत का भुगतान होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी कर्मचारी को

वानिवृत्ति की तिथि को उसके विरुद्ध विभागीय/न्यायिक कार्यवाही लम्बित है तो उस कार्यवाही के म्बित रहते पेन्शन के एक भाग का राशिकरण अनुमन्य नहीं होगा।

कृपया उपरोक्त प्रस्तरों में स्पष्ट की गयी स्थिति का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या–979/XxvII (3) पे/2004, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं 23 लक्ष्मीरोड, देहरादून।
2. निदेशक, पेन्शन एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
3. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबरॉय भवन, माजरा, देहरादून.
4. समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तरांचल।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
7. विधान सभा, सचिवालय ।
8. राज्यपाल सचिवालय ।
9. गार्ड फाईल।
10. निदेशक एन० आई० सी० सचिवालय परिसर देहरादून

आज्ञा से

(टी०एन० सिंह)
अपर सचिव, वित्त

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्या।358/XXVII(3) मं0पें0/2004
देहरादून : दिनांक 27, अगस्त,2004

कार्यालय ज्ञाप

विषय : राज्य सरकार के कर्मचारियों/पेंशनर्स के वेतन/पेंशन में दिनांक 1–4–2004 से 50 % मंहगाई भत्ता/राहत को मूल वेतन/पेंशन में विलय हेतु चिकित्सकों के एन0पी0ए0 के विषय में स्पष्टीकरण एवं एक अन्य संशोधन।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 1267–XXVII(3) मं0पें0/2004 दिनांक 9जून,2004द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों/पेंशनरों के मूल वेतन में मंहगाई भत्ता/राहत का 50% जोड़े जाने के विषय में निर्गत दिशानिर्देशों के उपरांत चिकित्सक संवर्ग में चिकित्सकों को अनुमन्य एन0पी0ए0को मूल वेतन अथवा मूल वेतन के साथ 50% मंहगाई भत्ते के आमेलन के विषय में स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने हेतु कोषागार एवं उक्त संवर्ग से ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है।

2– उक्त प्रकरण पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि एन0पी0ए0,वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2 के भाग 2–4 के मूल नियम 9(21)(।) के अनुसार वेतन का ही भाग होता है और कार्यालय ज्ञाप दिनांक 9 जून,2004 के द्वारा लागू व्यवस्था के उपरान्त चिकित्सकों को एन0पी0ए0 का भुगतान मूल वेतन में 50% आमेलित मंहगाई वेतन के अनुसार अनुमन्य प्रतिशत के अनुसार ही भुगतान किया जायेगा। इसके आगणन हेतु उदाहरण नीचे दिया जा रहा है।

मूल वेतन	रू0 10,000
मंहगाई वेतन(मूल वेतन का 50%)	रू0 5,000
	रू0 15,000
एन0पी0ए0(मूल वेतन का 20%)	रू0 3,000
	रू0 18,000
मंहगाई भत्ता (रू0 15000 का 11%)	रू0 1650
	रू0 19,650

कार्यालय ज्ञाप संख्या 1267/XXVII(3) मं0पें0/2004 दिनांक 9 जून,2004 के प्रस्तर–8 में भुगतान की प्रकिया के विषय में कार्यालय ज्ञाप संख्या 1341/XXVII(3)मं0पें0/2004 दिनापंक 6 अगस्त,2004 की तृतीय पंक्ति में इंगित कार्यालय ज्ञाप "दिनांक 6 जून,2004" के स्थान पर "दिनांक 9 जून,2004" पढी जाय। उक्त कार्यालय ज्ञाप के शेष सभी प्राविधान यथावत रहेंगे।

राधा रतूड़ी
सचिव, वित्त

संख्या– 1358. (1)//XXVII(3) मं0पें0/2004 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तरांचल शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल ।
3– सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल, देहरादून।
4– सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
5– महानिबंधक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल।
6– निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
7– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तरांचल।
8– क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाउँ मण्डल।
9– महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय भवन, सहारनपुर रोड माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10– रजिनल प्रविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर/ देहरादून।
11– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
12– वित्त अधिकारी /कुल–सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तरांचल ।
13– उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित करा कर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14– निदेशक, एन0आई0सी0 देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव, वित्त।

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्या।372'A'/xxvii(3)म.पें–5/2004
देहरादून:दिनांक 07 अक्टूबर,2004

कार्यालय ज्ञाप

विषय–राज्य सरकार के पेन्शनर्स के पेन्शन में दिनांक 1.4.2004 से 50 प्रतिशत मंहगाई राहत का मूल पेन्शन में विलय विषयक कार्यालय ज्ञाप दिनांक 9 जून,2004 का स्पष्टीकरण ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 1267/xxvii(3) म.पें./2004 दिनांक 9 जून,2004 द्वारा 50 प्रतिशत की धनराशि का विलय मूल वेतन में किया गया है । विलय किये गये इस मंहगाई भत्ते को सेवानैवृत्तिक लाभों के लिए भी आगणित किये जाने की व्यवस्था उक्त कार्यालय ज्ञाप में की गयी है । दिनांक 1.4.2004 से 31.1.2005 के मध्य सेवानिवृत्त होने वाले पेन्शनभोगियों को पेन्शन निर्धारण में कोई हानि न हो इसके लिए विशेष व्यवस्था के रूप में मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर मंहगाई भत्ता 1.4.2004 से पूर्व उनके द्वारा प्राप्त मूल वेतन के सम्बन्ध में पेन्शन के परिकलन/आकलन के प्रयोजन हेतु मूल वेतन के रूप में माने जाने की व्यवस्था उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर–5 में की गयी है ।

उक्त स्पष्ट व्यवस्था के बावजूद कतिपय क्षेत्रों से यह जिज्ञासा की जा रही है कि दिनांक 1.4.2004 से 31.1.2005 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले पेन्शनभोगियों के मूल वेतन में 50 प्रतिशत के बराबर मंहगाई भत्ता दिनांक 1.4.2004 से पूर्व उनके द्वारा प्राप्त मूल वेतन में पेन्शन के परिकलन/आकलन के लिए जोड़ा जायेगा अथवा नहीं । इस सम्बन्ध में अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 1.4.2004 से 31.1.2005 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले पेन्शनभोगियों के पेन्शन आकलन हेतु 1.4.2004 से पूर्व उनके द्वारा प्राप्त मूल वेतन में मंहगाई भत्ता पूर्व अवधि से इस प्रकार जोड़ा जाएगा ताकि पेन्शन के आकलन हेतु 10 माह के मूल वेतन में मंहगाई भत्ता के 50 प्रतिशत की धनराशि सम्मिलित हो जाय तथा उक्त अवधि के बीच सेवानिवृत्त होने वाले पेन्शनभोगियों को पेन्शन निर्धारण में कोई हानि न हो ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 1267/xxvii(3) म.पें./2004 दिनांक 9 जून,2004 के प्रस्तर–5 की व्यवस्था के अनुक्रम में यह स्पष्टीकरण दिया जा रहा है ।

राधा रतूड़ी
सचिव

.....2/

संख्या।3724/XXVII(3)म.पें.–5/2004 तददिनांक ।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तरांचल शासन ।

2.समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष, उत्तरांचल ।

3.सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तरांचल,देहरादून ।

4.सचिव,विधानसभा,उत्तरांचल,देहरादून ।

5.महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल ।

6.निदेशक,लेखा एवं हकदारी,उत्तरांचल,देहरादून ।

7.निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवायें,उत्तरांचल ।

8.क्षेत्रीय अपर निदेशक,कोषागार एवं पेन्शन, गढवाल/कुमायूँ मण्डल ।

9.महालेखाकार उत्तरांचल, ओबराय भवन,सहारपुर रोड माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

10.रिजनल प्रोविडेन्ट फण्ड कमीशनर, कानपुर/देहरादून ।

11.समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तरांचल ।

12.वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविधालय,उत्तरांचल ।

13.उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित करा कर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

14.निदेशक,एन0आई0सी0 देहरादून ।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्या–14110/ XXVII(3)पें0/2004
देहरादून,दिनांक 12 नवम्बर,2004

कार्यालय ज्ञाप

विषयः राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त अनुभाग–3,उत्तरांचल शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1260/XXVII(3)पें0/2004,दिनांक 07 जून,2004 द्वारा महंगाई राहत की एक किस्त 01 जनवरी,2004 से स्वीकृत की गयी थी,जिसके उपरांत कार्यालय ज्ञाप संख्या–1267/XXVII(3)म0पें0/2004,दिनांक 09 जून,2004 के द्वारा 50 प्रतिशत महंगाई राहत के मूल पेंशन में जोड़े जाने के आदश के क्रम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्वि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून,2004 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जुलाई,2004 से महंगाई राहत की एक और किश्त 3 प्रतिशत (तीन प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। तद्नुसार दिनांक 01 जुलाई,2004 से राहत की दर बढ़कर 14 प्रतिशत हो गई है।

2– महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणांक में आगणित होगी,उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3– यह आदेश न्यायालय के न्यायिधीशों,लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों,स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपकम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होगें,उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4 . यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य हैं,पर भी लागू होगें।

5– शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–1–252/दस/–10(3)–81,दिनांक 27 अप्रैल,1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अंतर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

Government of Uttaranchal
Finance Section-3
No.1411/XXVII(3)P/2004
Dehradun:Dated 12 November,2004

Office Memorandum

Subject: Grant of Dearness Relief to state Government civil/family pensioner.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No.1260/XXVII(3)पें0/2004,dated 07 June,2004 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from 01 Jan.2004 and Office Memorandumno.1267/XXVII(3)म0पें0/2004, dated 09 June,2004 by which 50% dearness relief was added to pension as dearness pension, Governor is pleased to revise the rates of dearness relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index 306.66(as on 01.01.1996) at the rate of 3% with effect from 01 July,2004 in super session of the rates mentioned in the O.M.dated 07 June,2004 refered to above accordingly, the rate of dearness relief of pension/family pension w.e.f. 01.07.2004 has risen to 14%.

2. Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded off to next higher rupee.

3. These orders will not be applicable to the Judges of High Court,Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of whom seperate orders will have to be issued by respective departments.

4. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institution aided from state under the Education/ Technical Education department whose pension /family pension is at par with the pensioners of the state government.

5. As per orders issued in O.M.No. A-1-252/X-10(3)-81,dated April 27,1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under,this O.M. shall be made by the paying authorities/Public Sector Banks.

6– महंगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य प्रतिबंध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे,यथावत लागू रहेगें।

राधा रतूड़ी
सचिव।

संख्या–141(C1)/ XXVII(3)पें0/2004,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तरांचल,दे0दून
2. समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष,उत्तरांचल।
3. क्षेत्रीय अपर निदेशक,कोषागार एवं पेंशन,गढ़वाल /कुमाऊ मण्डल।
4. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तरांचल।
5. महालेखाकार,उत्तरांचल,ओबराय भवन,माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तरांचल।
7. उप–निदेशक,राजकीय मुद्रणालय,रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की
8. निदेशक,एन0आई0सी0,देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव

6. Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

Radha Raturi
Secretary

No.141(C)/XXVII(3)P/2004,the date

Copy forwarded to following for information and necessary action.

1. All Principal Secretaries/Secretaries Governement of Uttaranchal.
2. All Head of eprtment/Offices,Uttaranchal.
3. Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/Kumaon Division.
4. Director, Treasury and Finance services, Uttaranchal.
5. Accountant General Uttaranchal. Oberoy Building, Mazra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
6. All Treasury Officers,Uttaranchal.
7. Deputy Director,Govt.Press,Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.
8. Director,NIC,Dehradun.

By Order,

(T.N.Singh)
Addl.Secretary

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्या:1425/XXVii(3)म.रा./2004
देहरादून:दिनांक 11 नवम्बर,2004

कार्यालय ज्ञाप

वित्त अनु–3 के कार्यालय ज्ञाप सं– 1267/XXVii (3) म0पे0/2004 दिनांक 9 जून,2004 के प्रस्तर–3 में वर्तमान पेन्शन में देय 50प्रतिशत के बराबर मंहगाई राहत को पेन्शन में विलय किया गया था और इस विषय में विभिन्न विभागों द्वारा जिज्ञासायें की जा रही है कि क्या पेन्शन स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा पेन्शन की वर्तमान समय में अधिकतम सीमा रू015,000 ही रहेगी अथवा यह भी इसी के अनुरूप पुनरीक्षित की जायेगी ।

2.अतः इस सम्बन्ध में अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिउल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 9 जून,2004 के प्रस्तर 3 में पेन्शन में 50 प्रतिशत मंहगाई राहत के विलय के उपरान्त अब पेन्शन की अधिकतम सीमा में भी(15,000 का 50 प्रतिशत अर्थात रू07500) की वृद्धि करते हुए दिनांक 01/04/2004 से ही रू0 22,500 निर्धारित की जाती है (अर्थात मूल पेन्शन रू015,000+मंहगाई राहत रू07500=कुल अधिकतम पेन्शन रू022,500)।

3. समस्त पेन्शन स्वीकर्ता अधिकारी व बरिष्ठ कोषाधिकारी उक्तानुसार पेन्शन स्वीकृत करते हुए कोषागार में भुगतान हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें ।

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त

संख्या1426XXVii(3)म.रा./2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तरांचल शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,उत्तरांचल।
3. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तरांचल,देहरादून ।
4. सचिव,विधानसभा,उत्तरांचल,देहरादून ।
5. महानिबंधक,उच्च न्यायालय,उत्तरांचल,नैनीताल ।
6. निदेशक,लेखा एवं हकदारी,उत्तरांचल,देहरादून ।
7. निदेशक,कोषागार वित्त एवं सेवायें,उत्तरांचल ।
8. क्षेत्रीय अपर निदेशक,कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमायूँ ।
9. महालेखाकार उत्तरांचल,ओबैराय भवन,सहारनपुर रोड़,माजरा,देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
10. रिजनल प्रविडेन्ट फण्ड़ कमीशनर,कानपुर/देहरादून ।
11. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तरांचल ।
12. वित्त अधिकारी/कुल सचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उत्तरांचल
13. उप निदेशक,राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 200 प्रतियां मुद्रित करा कर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
14. निदेशक,एन0आई0सी0 देहरादून ।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्या–75/XXVii(3)म.पे./2005
देहरादून:दिनांक 17 फरवरी,2005

कार्यालय ज्ञाप

विषय:– राज्य के पेन्शनर्स के पेन्शन में दिनांक 1/4/04 से 50 प्रतिशत मँहगाई राहत का मूल वेतन में विलय के उपरान्त पेन्शन की न्यूनतम सीमा में संशोधन के विषय में स्पष्टीकरण:–

कार्यालय ज्ञाप सं0–1267/xxvii(3)म.पे./2004 दिनांक 9 जून,2004 द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों/पेन्शनर्स के मूल वेतन/पेन्शन में 50 प्रतिशत मंहगाई वेतन/राहत जोड़े जाने के उपरान्त कार्यालय ज्ञाप सं0 1425/XXVii(3)म.पे./2004 दिनांक 11 नवम्बर,2004 द्वारा राज्य सरकार के पेन्शनर्स के पेन्शन की अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये थे परन्तु राज्य सरकार के पेन्शनर्स की पारिवारिक पेन्शन की न्यूनतम सीमा की स्थिति स्पष्ट करने हेतु कतिपय विभागों द्वारा जिज्ञासा की गयी हैं ।

2.इस सम्बन्ध में अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिउल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 9 जून,2004 के प्रस्तर–3 में राज्य के पेन्शनर्स के मूल पेन्शन का 50 प्रतिशत महंगाई राहत को मूल पेन्शन में विलय किया जाय अतः राज्य सरकार के पेन्शनर्स की श्रेणी में पारिवारिक पेन्शनर्स भी शामिल होगें तथा न्यूनतम पेन्शन हेतु समय–समय पर निर्गत शासनादेश के क्रम में रू0 1275 प्रतिमाह में भी 50 प्रतिशत महंगाई राहत के विलय के उपरान्त आने वाली राशि पर शासन द्वारा समय–2 निर्गत आदेशों के अनुसार अनुमन्य/पुनरीक्षित महंगाई राहत का भुगतान का आगणन कर भुगतान किया जायेगा ।

3.समस्त पेन्शन स्वीकर्ता अधिकारी व वरिष्ठ कोषाधिकारी उक्तानुसार पेन्शन स्वीकृत/निधारित कर तदनुसार भुगतान करना सुनिश्चित करें।

राधा रतूड़ी
सचिव,वित्त

संख्या-75/XXVii(3)म.पे./2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तरांचल शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,उत्तरांचल।
3. सचिव, श्री राज्यपाल,उत्तरांचल,देहरादून ।
4. सचिव,विधानसभा,उत्तरांचल,देहरादून ।
5. महानिबंधक,उच्च न्यायालय,उत्तरांचल,नैनीताल ।
6. निदेशक,लेखा एवं हकदारी,उत्तरांचल,देहरादून ।
7. निदेशक,कोषागार वित्त एवं सेवायें,उत्तरांचल ।
8. क्षेत्रीय अपर निदेशक,कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमायूँ ।
9. महालेखाकार उत्तरांचल,ओबैराय भवन,सहारनपुर रोड़,माजरा,देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
10. रिजनल प्रविडेन्ट फण्ड़ कमीशनर,कानपुर/देहरादून ।
11. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तरांचल ।
12. वित्त अधिकारी/कुल सचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उत्तरांचल ।
13. निदेशक,एन0आई0सी0 देहरादून ।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्या।।७ XXvii(3)/(6)मा./2005
देहरादून:दिनांक23 मार्च,2005

कार्यालय ज्ञाप

विषय:राज्य सरकार के चालकों के लिए वर्ष में एक बार देय मानदेय हेतु दिनांक 1.4. 04 से 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता का मूल वेतन में विलय में आगणन विषयक।

राज्य सरकार के कर्मचारियों/पेंशनर्स के वेतन/पेंशन में दिनांक 1/4/2004 से 50 प्रतिशत महँगाई भत्ता/राहत को मूल वेतन में जोड़ने के विषय में कार्यालय ज्ञाप सं0–1267/XVii(3)म0पें/2004 दिनांक 9 जून,2004 के संदर्भ में प्रदेश के वाहन चालकों को देय मानदेय के भुगतान में 50 प्रतिशत मूल वेतन जोड़कर मानदेय आगणित किये जाने के विषय में जिज्ञासायें की जा रही है । अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत लिए गये निर्णय के कम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ हे कि चालकों को पूरे वर्ष की सेवा के आधार पर देय मानदेय हेतु वेतन का आगणन मूल वेतन में 50 प्रतिशत महँगाई भत्ते को जोड़कर आंकलित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । उदाहरणार्थ उक्त व्यवस्था के लागू होने के उपरांत वित्तीय वर्ष में पूर्ण वर्ष की सेवा पर मूल वेतन यदि रू0 100 है इसमें 50 प्रतिशत महँगाई भत्ते के रू0 50 के मर्जर (विनियन)के बाद अब रू0150 के मूल वेतन के अनुसार चालकों को देय मानदेय का आगणन किया जायेगा ।

अतः यह निर्देशित किया जाता है कि समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी वित्तीय वर्ष 2004–05 तथा अग्रेत्तर अवधि हेतु उपरोक्तानुसार आगणित कर चालकों को देय मानदेय का भुगतान करने का कष्ट करें ।

राधा रतूड़ी
सचिव,वित्त

संख्या॥९ XXVii(3) / (6)मा. / 2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,उत्तरांचल शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष,उत्तरांचल।
3. सचिव, श्री राज्यपाल,उत्तरांचल,देहरादून ।
4. सचिव,विधानसभा,उत्तरांचल,देहरादून ।
5. महानिबंधक,उच्च न्यायालय,उत्तरांचल,नैनीताल ।
6. निदेशक,लेखा एवं हकदारी,उत्तरांचल,देहरादून ।
7. निदेशक,कोषागार वित्त एवं सेवायें,उत्तरांचल ।
8. क्षेत्रीय अपर निदेशक,कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल / कुमायूँ ।
9. महालेखाकार उत्तरांचल,ओबैराय भवन,सहारनपुर रोड़,माजरा,देहरादून
10. रिजनल प्रविडेन्ट फण्ड़ कमीशनर,कानपुर / देहरादून ।
11. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तरांचल ।
12. वित्त अधिकारी / कुल सचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उत्तरांचल ।
13. निदेशक,एन0आई0सी0 देहरादून ।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)

अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्या।60xxvii(3)म.पे./2005
देहरादून:दिनांक 30 अप्रैल,2005

कार्यालय ज्ञाप

अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का यह कहन का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं01267/xxvii(3)म.पे./2004दिनांक 9जून,2004के कम में निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0–1358/xxvii(3)म.पे./2004 दिनांक 27 अगस्त,2004 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों/पेन्शनर्स को वेतन/पेन्शन में दिनांक 01–04–2004 से 50 प्रतिशत मॅहगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय हेतु चिकित्सकों के एन.पी.ए. के विषय में आंगणन हेतु उदाहरण को निम्नवत् पढ़ा जायः–

मद का नाम	धनराशि
मूल वेतन	रू0 10,000
एन.पी.ए.(स्लैब के अनुसार)	रू0 2,000
	रू0 12,000
महॅगाई वेतन	रू0 6,000
(मूल वेतन+एन.पी.ए. का 50 प्रतिशत)	
	रू0 18,000
महॅगाई भत्ता	रू0 2,520
(मूल वेतन+एन.पी.ए.+वेतन का 14 प्रतिशत)	
महायोग–	रू0 20,520

2.उपर्युक्तानुसार आगणित धनराशि में मूल वेतन तथा एन.पी.ए. की पूर्ण सीमा को संशोधित करके मूल वेतन+महॅगाई राहत+एन.पी.ए. के योग का अधिकतम भारत सरकार की बयवस्था के अनुरूप रू044250 प्रतिमाह होगी। उक्त तीनों का योग उक्त सीमा से अधिक नहीं होगा ।

3.कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27अगस्त,2004 के आगणन के स्थान पर अब नया आगणन एन.पी.ए. हेतु उपरोक्तानुसार माना जायेगा ।

राधा रतूड़ी
सचिव,वित्त

संख्या।68/XXVii(3)म.पे./2005 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तरांचल शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,उत्तरांचल।
3. सचिव, श्री राज्यपाल,उत्तरांचल,देहरादून ।
4. सचिव,विधानसभा,उत्तरांचल,देहरादून ।
5. महानिबंधक,उच्च न्यायालय,उत्तरांचल,नैनीताल ।
6. निदेशक,लेखा एवं हकदारी,उत्तरांचल,देहरादून ।
7. निदेशक,कोषागार वित्त एवं सेवायें,उत्तरांचल ।
8. क्षेत्रीय अपर निदेशक,कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमायूँ ।
9. महालेखाकार उत्तरांचल,ओबैराय भवन,सहारनपुर रोड़,माजरा,देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
10. रिजनल प्रविडेन्ट फण्ड़ कमीशनर,कानपुर/देहरादून ।
11. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तरांचल ।
12. वित्त अधिकारी/कुल सचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उत्तरांचल ।
13. निदेशक,एन0आई0सी0 देहरादून ।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3

संख्या 174(A)/XXVII(3)पें0/2005
देहरादून, 11 मई, 2005

कार्यालय ज्ञाप

विषय : राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को मंहगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त अनुभाग–3 उत्तरांचल शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1411(1)पें0/XXVII(3)पें/2004, दिनांक 02 नवम्बर, 2004 द्वारा महंगाई राहत की एक किस्त 01 जुलाई, 2004 से स्वीकृत की गई थी, के क्रम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 02 नवम्बर, 2004 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जनवरी, 2005 से महंगाई राहत की एक और किस्त 03 प्रतिशत (तीन प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। तद्नुसार दिनांक 01 जनवरी, 2005 से राहत की दर बढ़कर 17 प्रतिशत हो गई है।

2–महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3–यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4–यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5–शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या ए–1–252/दस/10(3)–81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार–पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

6–महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

Government of Uttaranchal
Finance Section-3

No. 174(A)/XXVII(3)P/2005
Dehradun, Dated : 11 May, 2005

Office Memorandum

Subject : Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo no. 1411(1)/XXVII(3)P/2004, dated 02 November, 2004 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from 01 July, 2004 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all Civil/Family Pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average Consumer Price Index 306.66 (as on 01.01.1996) at the rate of 3% (Three per cent) with effect from 01 Jan., 2005 in super session of the rates mentioned in the O.M. dated 02 November, 2004 referred to above accordingly the rate of dearness of Pension/Family Pension w.e.f. 01-01-2005 has risen to 17%.

2. Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3. These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, Employees of local bodies and Public undertaking/Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4. These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at per with the pensioners of the State Government.

5. As per orders issued in O.M. no. A-1-252/X-10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the Paying Authorities/Public Sector Banks.

6. Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

7–दिनांक 09.11.2000 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स को उ0प्र0 से अनुमन्य की जा रही महंगाई राहत के समतुल्य धनराशि देय होगी। कार्यालय ज्ञाप सं0 1411(1)/XXVII(3)पें0/2004, दिनांक 02 नवम्बर, 2004 के द्वारा दिनांक 01.07.2004 से पूर्व में स्वीकृत महंगाई राहत में 3% (प्रतिशत) की अतिरिक्त महंगाई राहत को सम्मिलित करते हुए दिनांक 01.07.2004 से 61% (प्रतिशत) से बढ़कर 64% (प्रतिशत) तथा दिनांक : 01.01.2005 से 3% (प्रतिशत) की अतिरिक्त महंगाई राहत को सम्मिलित करते हुए 67% (प्रतिशत) की दर से महंगाई राहत अनुमन्य की जाती है।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
सचिव।

7. Pensioners who retired prior to 09.11.2000 would be eligible for dearness relief as admissible in Uttar Pradesh. Thus w.e.f. dated 01.07.2004 payable of additional dearness relief of 3% (per cent) would be 64% (per cent) instead of 61% (per cent and w.e.f. dated 01.01.2005 that admissible dearness relief would be 67% (per cent) which includes an additional dearness relief of 3% (per cent) sanctioned by O.M.no., 1411(1)/XXVII(3)P/2004, dated 02 November, 2004.

By Order,

RADHA RATURI,
Secretary.

संख्या 174(A)/XXVII(3)पें0/2005, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।

2–समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।

3–क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।

4–निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।

5–महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6–समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।

7–निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

टी0 एन0 सिंह,
अपर सचिव।

No. 174(A)/XXVII(3)P/2005, the date

Copy forwarded to following for information and necessary action :–

1. All Principal Secretaries/Secretaries.
2. All Head of Department/Offices, Uttaranchal.
3. Regional Additional Director, Treasury and Pension, Garhwal/Kumaon Division.
4. Director, Treasury and Finance Services, Uttaranchal.
5. Accountant General, Uttaranchal, Oberoy Building, Saharanpur Road, Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that Account Officers of other States be also informed please.
6. All Treasury Officers, Uttaranchal.
7. Director, N.I.C., Dehradun.

By Order,

T. N. SINGH,
Addl. Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 1 वित्त/122–18–05–2005–500 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्या– 471/xxvii(3)/2005
देहरादूनः दिनाँक 07 अक्टूबर,2005

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– **अविभाजित उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त/सेवा अवधि सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि के मूल पेंशन के 50 प्रतिशत् के बराबर महँगाई राहत का महँगाई पेंशन में परिवर्तन ।**

कार्यालय ज्ञाप संख्या–1484 xxvii(3)मं0रा0/2004,दिनाँकः15 दिसम्बर, 2004 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या--05 xxvii(3)मं0रा0/2005, दिनाँकः 17जनवरी, 2005में यह स्पष्ट किया गया था कि जब तक उत्तर प्रदेश द्वारा 50प्रतिशत महँगाई राहत को महँगाई पेंशन में परिवर्तित करने के आदेश निर्गत नहीं होते अथवा दोनों राज्यों के मध्य आपसी समझौता नहीं होता, उपरोक्त श्रेणी के पेंशनर्स को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या--सा–3–1517/दरा–2005–308/2004, दिनाँकः 22 सितम्बर, 2005 के द्वारा दिनाँकः 01अप्रैल, 2005 से मूल पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर महँगाई राहत को महँगाई पेंशन में परिवर्तित करने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

उपरोक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि 09.11.2000 के पूर्व सेवानिवृत्त अथवा की गयी सेवा पर अनुमन्य पेंशन पर उत्तर प्रदेश के आदेश दिनाँकः 22सितम्बर, 2005 के क्रम में दिनाँकः 01 अप्रैल, 2005 से मूल पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर मँहगाई राहत को महँगाई पेंशन में परिवर्तित/विलयित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं और उक्त के फलस्वरुप अब पेंशन तथा मँहगाई पेंशन के योग पर दिनाँकः 01 अप्रैल, 2005 से 17 प्रतिशत की दर से मँहगाई राहत देय होगी। पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के कर्मचारियों को जिन्हें उत्तरांचल राज्य के कोषागारों से पेंशन भुगतान किये जाने की प्रकिया है,ऐसे पेंशनभोगियों को भी 01 अप्रैल, 2005 से उपरोक्त लाभ अनुमन्य होगा।

भवदीय,
इन्दु कुमार पान्डे
प्रमुख सचिव।

संख्या–471 (1)/xxvii(3)/2005,तद्दिनाँक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित

1– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2– महालेखाकार उत्तराँचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून।
3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराँचल शासन।
4– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराँचल।
5– सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तराँचल।
6– सचिव, विधानसभा, उत्तराँचल।
7– महानिबन्धक, उच्च न्यायालय उत्तराँचल, नैनीताल।
8– निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराँल।
9– निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराँचल।
10– महालेखाकार द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
11–रिजनल प्रोविडेन्ट फन्ड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून।
12–समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराँचल।
13–वित्त अधिकारी/कुलसचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराँचल।
14–क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाँयू।
15–निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराँचल एकक, देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0 एन0 सिंह)
अपर सचिव वित्त।

उत्तरांचल शासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0) अनुभाग–7
संख्या 9'A'/XXVII(7)पें0/2005
देहरादून, दिनांक 22 अक्टूबर, 2005

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त अनुभाग–3 उत्तरांचल शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–174(A)पें/XXVII(3)पें/2005, दिनांकः 11 मई, 2005 द्वारा महंगाई राहत की एक किश्त 01 जनवरी, 2005 से स्वीकृत की गई थी, के क्रम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांकः 11 मई, 2005 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जुलाई, 2005 से महंगाई राहत की एक और किश्त 04 प्रतिशत (चार प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार दिनांकः 01 जुलाई, 2005 से राहत की दर बढ़कर 21 प्रतिशत हो गई है।

2– महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3– यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4– यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5– शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए– 1–252/दस/10(3)–81, दिनांकः 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

Vit-3

Government of Uttaranchal
Finance (G.R.-P.C.) Section -7
N0-9'A'/XXVII(7)P/2005
Dehradun : Dated : 22 October, 2005

Office Memorandum

Subject : Grant of Dearness Relief to state Government Civil/Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No- 174(A)/XXVII(3)P/2005, dated: 11 May, 2005 on the subject mentioned above sanctioning an installment of Dearness Relief with effect from 01 Jan, 2005 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index 306.66 (as on 01.01.1996) at the rate of 4% (Four Percent) with effect from 01 July., 2005 in super session of the rates mentioned in the O.M. dated: 11 May, 2005 refered to above accordingly the rate of dearness of pension/family pension w.e.f. 01-07-2005 has risen to 21%.

2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from state under the education/ Technical Education Department whose Pension/Family pension is at per with the pensioners of the state Government.

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81, dated: April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो सरः पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव

संख्या 9 A /XXVII(7)पें/2005, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2– समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
3– क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
4– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।
5– महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
7– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8– निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0 एन0 सिंह)
अपर सचिव

6- Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

(Indu Kumar Pande)
Principal Secretary

No. /XXVII(7)P/2005, the date

Copy forwarded to following for information and necessary action.

1- All Principal Secretaries/Secretaries.
2- All Head of Department/Offices, Uttaranchal.
3- Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Diveision.
4- Director, Treasury and Finance services, Uttaranchal.
5- Accountant General Uttaranchal, Oberoy Building, Saharanpur Road, Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
6- All Treasury Officers, Uttaranchal.
7- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.
8- Director, N.I.C., Dehradun.

By Order,

(T.N. Singh)
Addl. Secretary

वित्त (वे0आ0–सा0नि0)07
संख्याः 01 / xxvii(7)म.कि. / 2006
देहरादूनः दिनांकः 4 अप्रैल06

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–प्रदेश से बाहर कार्यरत राज्य कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते में महँगाई वेतन की देयता के विषय में निर्देश ।

कार्यालय ज्ञाप संख्याः1267 / xxvii(3)म.पे0. / 2004दिनांकः 9 जून,2004 के द्वारा उत्तरांचल राज्य के कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत महँगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय किये जाने के फलस्वरूप उक्त विलयित महँगाई भत्ते(महँगाई वेतन) को सेवानैवृत्तिक लाभ, जी0पी0एफ0 अशंदान एवं विभिन्न प्रकार के अग्रिमों के लिए आगणित किये जाने की व्यवस्था करते हुए परन्तु इसे एल0टी0सी0,यात्रा भत्ता एवं स्थानान्तरण के समय देय यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता,मकान किराया भत्ते को मूल वेतन को ही आधार मानकर देने के निर्देश निर्गत किये गये थे ।

2.मकान किराये भत्ते की संशोधित दरों के विषय में शासनादेश संख्याः132 / वि0अनु0–3 / 2001 दिनांक 18 दिसम्बर,2001 के प्रस्तर–6 में यह व्यवस्था है कि ऐसे अधिकारियों / कर्मचारियों, जो राज्य के बाहर नियुक्त हैं, को मकान किराया भत्ता उसी दर पर अनुमन्य होगा,जो उस नगर में नियुक्त भारत सरकार के कर्मचारियों को उतने वेतन पर देय हो ।

3.प्रदेश से बाहर कार्यरत उत्तरांचल सरकार के राज्य कर्मचारियों के देय मकान किराया भत्ते की दर के निर्धारण के विषय में प्राप्त प्रत्यावेदन पर विचार विमर्श कर लिए गए निर्णय एवं उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 18 दिसम्बर,2001 के प्रस्तर–6 तथा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 9 जून,2004 के क्रम में अद्योस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के बाहर नियुक्त राज्य कर्मचारियों / अधिकारियों को मकान किराया भत्ता के आगणन हेतु 50 प्रतिशत महँगाई वेतन को वेतन में जोड़कर उस नगर में भारत सरकार के कर्मचारियों को जिस दर से मकान किराया भत्ता देय हो उसी दर से मकान किराया भत्ता अनुमन्य करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

4.उपरिउल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांकः9 जून,2004 के मकान किराया भत्ते विषयक प्राविधान केवल प्रदेश से बाहर कार्यरत कर्मचारियों के लिए उक्त सीमा तक ही संशोधित समझे जॉय ।

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव वित्त

संख्याः 01 / XXVii(7)म.कि. / 2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तरांचल,ओबैराय भवन,सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून ।
2. महानिबंधक,उच्च न्यायालय,उत्तरांचल,नैनीताल ।
3. निदेशक,लेखा एवं हकदारी,उत्तरांचल,देहरादून ।
4. निदेशक,कोषागार वित्त एवं सेवायें,उत्तरांचल ।
5. मुख्य स्थानीय आयुक्त, नई दिल्ली ।
6. सचिव,सचिवालय एवं सामान्य प्रशासन,उत्तरांचल ।
7. भुगतान एवं लेखा कार्यालय,उत्तरांचल निवास,नई दिल्ली ।
8. इरला चेक अनुभाग,उत्तरांचल शासन ।
9. निदेशक,एन0आई0सी0 देहरादून ।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनु–7
संख्याः 12/XXVii(7)/2006
देहरादूनःदिनांकः15अप्रैल,06

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप सं0189/XXVii(7)/2006 दि0:6 मार्च,2006 के द्वारा 9नवम्बर,2000 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनर्स के विषय में 50 प्रतिशत के बराबर महंगाई राहत को महंगाई पेंशन में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन उक्त कार्यालय ज्ञाप के दूसरे प्रस्तर में उक्त तथ्य का स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण कतिपय पेंशनर संघो के द्वारा उक्त कार्यालय ज्ञाप के स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने के अनुरोध के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिउल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांकः 6 मार्च,2006 की व्यवस्था दिनांकः 9 नवम्बर,2000 के पूर्व उत्तरांचल राज्य के भौगोलिक क्षेत्र से सेवानिवृत्त या उत्तरांचल राज्य के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे है उत्तर प्रदेश राज्य के पेशनर्स के लिए 50 प्रतिशत महँगाई राहत के मूल पेंशन में मँहगाई पेंशन के रूप में मर्जर की सुविधा दिनांक 1 अप्रैल,2005 के स्थान पर प्राकल्पित आधार पर दिनांक 1 अप्रैल,2004 से ही अनुमन्य की जायेंगी ।

2.उपरिउल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 6 मार्च,2006 की तृतीय पंक्ति में शब्द" मूल वेतन" के स्थान पर "मूल पेंशन" पढ़ा जाय।"

3.उपरोक्त स्पष्टीकरण एवं संशोधन के अलावा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 6 मार्च,2006 के शेष सभी प्राविधान यथावत रहेगें ।

भवदीय
राधा रतूड़ी
सचिव

संख्याः12(1)/XXVii(7)/2006 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तरांचल शासन ।
2. प्रमुख सचिव,वित्त विभाग,उत्तर प्रदेश शासन ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,उत्तरांचल।

4. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तरांचल,देहरादून ।
5. सचिव,विधानसभा,उत्तरांचल,देहरादून ।
6. महानिबंधक,उच्च न्यायालय,उत्तरांचल,नैनीताल ।
7. निदेशक,लेखा एवं हकदारी,उत्तरांचल,देहरादून ।
8. निदेशक,कोषागार वित्त एवं सेवायें,उत्तरांचल ।
9. क्षेत्रीय अपर निदेशक,कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमायूँ ।
10. महालेखाकार उत्तरांचल,ओबैराय भवन,सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून ।
12. रिजनल प्रविडेन्ट फण्ड़ कमीशनर,कानपुर/देहरादून ।
13. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तरांचल ।
14. निदेशक,एन0आई0सी0 देहरादून ।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7

संख्या 29(A)/XXVII(7)पें/2006

देहरादून, 26 अप्रैल, 2006

कार्यालय ज्ञाप

विषय : राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को मंहगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या 9(A)/XXVII(7)पें/2005, दिनांक 22 अक्टूबर, 2005 द्वारा महंगाई राहत की एक किस्त 01 जुलाई, 2005 से स्वीकृत की गई थी, के क्रम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 अक्टूबर, 2005 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जनवरी, 2006 से महंगाई राहत की एक और किस्त 03 प्रतिशत (तीन प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। तद्नुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से राहत की दर बढ़कर 24 प्रतिशत हो गई है।

2–महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3–यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4–यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5–शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या ए–1–252/दस/10(3)–81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार–पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

6–महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

आज्ञा से,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव।

Government of Uttaranchal

Finance (P.C.-G.R.) Section-7

No. 29(A)/XXVII(7)P/2006

Dehradun, Dated April 26, 2006

Office Memorandum

Subject : Grant of Dearness Relief to State Government Civil/ Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo no. 9(A)/XXVII(7)P/2005, dated October 22, 2005 on the subject mentioned above sanctioning an installment of Dearness Relief with effect from July 01, 2005 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all Civil/Family Pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average Consumer Price Index 306.66 (as on 01.01.1996) at the rate of 3% (Three per cent) with effect from January 01, 2006 in supersession of the rates mentioned in the O.M. dated October 22, 2005 referred to above accordingly the rate of dearness of Pension/Family Pension *w.e.f.* 01-01-2006 has risen to 24%.

2. Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3. These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, Employees of local bodies and Public undertaking/Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4. These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at per with the pensioners of the State Government.

5. As per orders issued in O.M. no. A-1-252/X-10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the Paying Authorities/Public Sector Banks.

6. Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

By Order,

INDU KUMAR PANDE,
Principal Secretary.

संख्या: 29(A)(1)/XXVII(7)पें / 2006, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन।

2–समस्त जिलाधिकारी / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।

3–क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल / कुमाऊं मण्डल।

4–निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।

5–महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6–समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।

7–निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

टी0 एन0 सिंह,
अपर सचिव।

No. 29(A)(1)/XXVII(7)P/2006, the date

Copy forwarded to following for information and necessary action :--

1. All Principal Secretaries/Secretaries.

2. All Head of Department/Offices, Uttaranchal.

3. Regional Additional Director, Treasury and Pension, Garhwal/Kumaon Division.

4. Director, Treasury and Finance Services, Uttaranchal.

5. Accountant General, Uttaranchal, Oberoy Building, Saharanpur Road, Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that Account Officers of other States be also informed please.

6. All Treasury Officers, Uttaranchal.

7. Director, N.I.C., Dehradun.

By Order,

T. N. SINGH,
Addl. Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 02 वित्त / 71–05–05–2006–500 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो)।

संख्याः 127/XXVII(7)का0प्र0वै0/06

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

(1) प्रमुख सचिव,
वन एवं ग्राम्य विकास
उत्तरांचल शासन।
(2) प्रमुख सचिव,
सिंचाई,
उत्तरांचल शासन।
(3) सचिव,
लोक निर्माण विभाग
उत्तरांचल शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांकः 13 जुलाई, 2006

विषय : लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग /ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एवं अन्य विभाग जहां कार्यप्रभारित अधिष्ठान की पूर्व से व्यवस्था है, के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को "उपदान संदाय अधिनियम, 1972" के अधीन उपदान संदाय के सम्बन्ध में।

महोदय,

लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एवं अन्य विभाग जहां पूर्व से कार्यप्रभारित कर्मचारी कार्यरत हैं, को उपदान के लाभ को उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अधीन उपदान दिये जाने हेतु शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त विभागों की विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत सभी कार्यप्रभारित कर्मचारियों, जो राज्य सरकार के अन्तर्गत किसी पद को धारित न करते हों तथा जिन्हें किसी अन्य अधिनियम या नियम के अन्तर्गत उपदान अनुमन्य न हो और जिन पर "मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936" लागू होता हो, उन्हें अधिनियम के प्राविधानों के अधीन उपदान का संदाय किया जाय।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त एवं अन्य विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों को निम्न शर्तों के अधीन उपदान के संदाय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) दिनांक 1–02–1986 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कार्यप्रभारित कर्मियों को उपदान की सुविधा अनुमन्य होगी.

(2) कार्यप्रभारित कर्मियों को एक वर्ष नियमति सेवा करने अथवा एक वर्ष में क्रम से कम 240 दिन कार्य करने पर ही यह सुविधा अनुमन्य होगी।

(3) कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होने या त्यागपत्र देने पर ही यह सुविधा अनुमन्य होगी।

(4) दुर्घटना में विकलांग या मृत्यु होने पर 5 वर्ष की सेवा की अनिवार्यता नहीं होगी।

(5) मजदूरी से **"न्यूनतम मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936"** में परिभाषित मजदूरी अभिप्रेत है, तथा प्रतिवर्ष 15 दिन के मजदूरी के बराबर अन्तिम मजदूरी के आधार पर उपदान आगणित किये जाने की पात्रता होगी।

(6) प्रतिवर्ष 15 दिन के आधार पर पूर्ण सेवा अवधि हेतु अधिकतम उपदान 20 माह के मजदूरी/वेतन से अधिक नहीं होगी।

(7) उपदान की अनुमन्यता के लिए परिभाषायें, शर्तें एवं अन्य सभी व्यवस्थाओं के लिये **"उपदान संदाय अधिनियम, 1972"** के नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

(8) इस श्रेणी की उपदान प्राप्त करने वाले पात्र व्यक्ति को सरकारी कर्मचारी या उसे देय कोई सेवानैवृत्तिक लाभ अनुमन्य नहीं होगा तथा सरकारी सेवा में नियमितीकरण होने पर यह सुविधा स्वतः समाप्त हो जायेगीं।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय सम्बन्धित विभाग के आय–व्ययक के अनुदान संख्या के उसी मुख्य/लघु/उपशीर्षक की सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा, जहाँ से उसके मजदूरी/वेतन/पारिश्रमिक आदि का भुगतान किया जाता है।

संलग्नक :– उपदान संदाय अधिनियम 1972 के आवश्यक अशं

भवदीय,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्याः 112 (1)/XXVII(7)/का0प्र0गै0/06 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
(2) निदेशक, लेखा एवं कहदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
(3) मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0/सिंचाई विभाग/ग्रा0 अभि0 सेवा विभाग व अन्य सम्बन्धित विभाग।
(4) श्रम एंव सेवायोजन अनुभाग।
(5) वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, समस्त जनपद,उत्तरांचल।
(6) लो0नि0 अनु–1/सिंचाई अनुभाग/ग्राम विकास अनुभाग एवं अन्य सम्बन्धित अनुभाग।
(7) वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनु0 2/3/4
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव वित्त

Annexture of Government Order No. /XXVII(7)/2006

Main Points of Payment of Gratuity Act, 1972

1- Short title, extent, application and commencement –

(1) This Act may be called the Payment of Gratuity Act, 1972.

(2) It extends to the whole of India.

Provided that in so far as it relates to plantations or ports, it shall not extend to the state of Jammu and Kashmir.

(3) It shall apply to –

(a) Every factory, mine, oilfield, plantation, port and railway company;

(b) Every shop or establishment within the meaning of any law for the time being in force in relation to shops and establishments in a State, in which ten or more persons are employed, or were employed, on any day of the preceeding twelve months;

(c) Such other establishments or class of establishments, in which ten or more employees are employed or were employed, on any day of the preceedings twelve months, as the Central Government may, by notification, specify in this behalf.

2- **Definitions** :- In this Act unless the context otherwise requires-

(b) "Completed year of Service" means continuous service for one year ;

(c) "Continuous service" means uninterrupted service and includes service which is interrupted by sickness, accident, leave, lay-off, strike or a lock-out or cessation of work not due to any fault of the employee concerned, whether such uninterruption or interrupted service was rendered before or after the commencement of this Act.

Explanation – I :- In this case of an employee who is not in uninterrupted service for one year, he shall be deemed to be in continuous service if he has been actually employed by an employer during the twelve months immediately preceeding the year for not less than –

(i) 190 days, if employed below the ground in a mine or,

(ii) 240 days, in any other case, except when he was employed in a seasonal establishment.

Vit-3105

Explanation – II :- An employee of a seasonal establishment shall be deemed to be in continuous service if he has actually worked for not less than seventy five percent of the number of days on which the establishment was in operation during the year ;

(h) "Family" in relation to an employee, shall be deemed to consist of –

(i) In the case of a male employee; himself; his wife; his children; whether married or unmarried; his dependent parents and the widow and children of his predeceased son, if any;

(ii) In the case of a female employee, herself her husband, her children, whether married or unmarried, her dependent parents and the dependent parents of her husband and the widow and children of her predeceased son, if any;

Provided that if a female employee, by a notice in writing to the controlling authority, expresses her desire to exclude her husband fom her family, the husband and his dependent parents shall no longer be deemed, for the purposes of this Act, to be included in the family of such female employee unless the said notice is subsequently withdrawn by such female employee.

Explanation – Where the personal law of an employee permits the adoption by him of a child, any child lawfully adopted by him shall be deemed to be included in his family, and where a child of an employee has been adopted by another person and such adoption is, under the personal law of the person making such adoption, lawful, such child shall be deemed to be excluded from the family of the employee;

(q) "retirement" means termination of the service of an employee otherwise than on superannuation.

(r) "superannuation" in relation to an employee, means, –

(i) the attainment by the employee of such age as is fixed in the contract or conditions of service as the age on the attainment of which the employee shall vacate the employment; and

(ii) in any other case, attainment by the employee of the age of fifty-eight years;

(s) "wages" means all emoluments which are earned by an employee while on duty or on leave in accordance with the terms and conditions of his employment and which are paid or are payable to him in cash and includes dearness allowance but does not include any bonus, commission, house rent allowance, overtime wages and any other allowance.

4. PAYMENT OF GRATUITY

(I) Gratuity shall be payable to an employee on the termination of his employment after he has rendered continuous service for not less than five years-

(a) on his superannuation, or

(b) on his retirement or, resignation, or

(c) on his death or disablement due to accident or disease :

Provided that the completion of continuous service of five years shall not be necessary where the termination of the employment of any employee is due to death or disablement :

Provided further that in the case of death of the employee, gratuity payable to him shall be paid to his nominee, or if no nomination has been made to his heirs.

Explanation :- For the purpose of this section, disablement means such disablement as incapacitates an employee for the work which he was capable of performing before the accident or disease resulting in such disablement.

(2) For every completed year of service or part thereof in excess of six months, the employer shall pay gratuity to an employee at the rate of fifteen days wages based on the rate of wages last drawn by the employee concerned :

Provided that in the case of a piece-rated employee, daily wages shall be computed on the average of the total wages received by him for a period of three months immediately proceding the termination of his employment, and, for this purpose, the wages paid for any overtimework shall not been taken into account :

Provided further that in the ease of an employee employed in a seasonal establishment, the employer shall pay the gratuity at the rate of seven days' wages for each season.

(3) The amount of gratuity payable to an employee shall not exceed twenty month's wages.

(4) For the purpose of computing the gratuity payable to an employee who are employed, after his disablement, on reduced wages, his wages for the period preceeding his disablement shall be taken to be the wages received by him during that period and his wages for the period subsequent to his disablement shall be taken to be the wages as so reduced.

(5) Nothing in this section shall effect the right of an employee to receive better terms of gratuity under any award of agreement or contract with the employer.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (I) –

(a) the gratuity of an employee, whose services have been terminated for any act, wilful omission or negligence causing any damage or loss to, or destruction of, property belonging to the employer, shall be forfeited to the extent of the damage or loss so caused;

(b) the gratuity payable to an employee shall be wholly forfeited :-

(i) If the services of such employee have been terminated for his riotous or disorderly conduct or any other act of violence on his part, or

(ii) If the services of such employee have been terminated for any act which constitutes an offence involving moral turpitude provided, that such offence is committed by him in time course of his employment.

NOTES :- If a workmen is guilty of a serious misconduct such as acts of violence against the management or other employees or riotous or disorderly behaviour in or near the place of employment, which though not directly causing damage, is conducive to grave indiscipline, then his grauity can be forefeited in its entirety.

6. **NOMINATION** :-

(1) Each employee, who has completed one year of service, shall make, within such time, in such form and in such manner, as may be prescribed, nomination for the purpose of the second provision to sub section (I) of Section – 4.

(2) An employee may, in his nomination, distribute the amount of gratuity payable to him under this Act amongst more than one nominee.

(3) If an employee has a family at the time of making a nomination, the nomination shall be made in favour of one or more members of his family, and any nomination made by such, employee in favour of person who is not a member of his family, shall be void.

(4) If at the time of making a nomination the employee has no family, the nomination may be made in favour of any person or persons but if the employee subsequently acquires a family, such nomination shall forthwith become invalid and the employee shall make, within such time as may be prescribed, a fresh nomination in favour of one or more members of his family.

(5) A nomination may, subject to the provisions of sub sections (3), and (4), be modified by an employee at any time, after giving to his employer a written notice in such form and in such manner as may be prescribed, of his intention to do so.

(6) If a nominee predeceased the employee, the interest of the nominee shall revert to the employee who shall make a fresh nomination, in the prescribed form, in respect of such interest.

(7) Every nomination, fresh nomination or alteration of nomination, as the case may be, shall be sent by the employee to his employer, who shall keep the same in his safe custody.

(T. N. Singh)
Additional Secretary
Finance

उत्तरांचल शासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0) अनुभाग–7
संख्या 215/XXVII (7) पे 2006
देहरादून, दिनांकः 04 अक्टूबर, 2006

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या–29(A)/ XXVII(7)पें/2006, दिनांकः 26 अप्रैल 2006 द्वारा महंगाई राहत की एक किश्त 01 जनवरी, 2006 से स्वीकृत की गई थी, के कम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों /पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांकः 26 अप्रैल, 2006 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जुलाई, 2006 से महंगाई राहत की एक और किश्त 05 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) की दिये जाने की राहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार दिनांकः 01 जुलाई 2006 से राहत की दर बढ़कर 29 प्रतिशत हो गई है।

2– महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3– यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपकम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4– यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5– शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए– 1–252/दस/10(3)–81, दिनांकः 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

Government of Uttaranchal
Finance (G.R.-P.C.) Section -7
NO- 215 / XXVII (7)P/2006
Dehradun : Dated : 04 october, 2006

Office Memorandum

Subject : Grant of Dearness Relief to state Government Civil/ Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No.29(A)/XXVII(7)P/2006, dated: April 26, 2006 on the subject mentioned above sanctioning an installment of Dearness Relief with effect from January 01, 2006 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of dearness relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index 306.66 (as on 01.01.1996) at the rate of 5% (Five Percent) with effect from July, 01 2006 in supersession of the rates mentioned in the O.M. dated: 26 April, 2006 referred to above accordingly the rate of dearness of pension/family pension w.e.f. 01-07-2006 has risen to 29 %.

2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4- These order will also be applicable to the teaching and non-teaching pensioners of aided Institute from the state fund under the education/ Technical Education Department of the state whose Pension/Family pension is as per the pensioners of the state Government.

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81, dated: April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6– महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव

संख्या : 215/ XXVIII(7) पें/2006, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2– समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
3– क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
4– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।
5– महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
7– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8– निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून।

आज्ञा से,
(टी0 एन0 सिंह)
अपर सचिव

6- Other terms and conditions regarding the dearness relief laid down in earlier Government orders shall be applicable as such .

(Indu Kumar Pande)
Principal Secretary

No: 215 /XXVII(7)P/2006, the dated

Copy forwarded to following for information and necessary action.

1- All Principal Secretaries/Secretaries.
2- All Head of Department/Offices, Uttaranchal.
3- Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Diveision.
4- Director, Treasury and Finance services, Uttaranchal.
5- Accountant General Uttaranchal, Oberoy Building, Saharanpur Road, Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
6- All Treasury Officers, Uttaranchal.
7- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.
8- Director, N.I.C., Dehradun.

By Order,
(T.N. Singh)
Addl. Secretary

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0) अनुभाग–7
संख्या 30/XXVII(7)पें0/2007
देहरादून, दिनांक 24 अप्रैल,2007

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या–215/XXVII(7)पें/2006, दिनांकः 04 अक्टूबर, 2006 द्वारा मंहगाई राहत की किश्त 01 जुलाई २००६ से स्वीकृत की गई थी, के क्रम में श्री राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांकः 04 अक्टूबर, 2006 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जनवरी, 2007 से महंगाई राहत की एक किश्त 06प्रतिशत (छः प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार दिनांकः 01 जनवरी 2007 से राहत की दर 29 प्रतिशत से बढ़कर 35प्रतिशत हो गई है।

2– महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3– यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4– यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5– शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए– 1–252/दस/10(3)–81, दिनांकः 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

Government of Uttarakhand
Finance (P.C.-G.R.) Section -7
N0- 30 /XXVII(7)P/2007
Dehradun : Dated : 24 April,2007

Office Memorandum

Subject : Grant of Dearness Relief to state Government Civil/Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No.215/XXVII(7)P/2006,dated 04 october, 2006 on the subject mentioned above sanctioning an installment of Dearness Relief with effect from july 01, 2006 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of dearness relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index at the rate of 6% (Six Percent) with effect from January.,01 2007 in supersession of the rates mentioned in the O.M. dated:04 October 2006 refered to above accordingly the rate of dearness of pension/family pension w.e.f. 01-01-2007 has been risen from 29% to 35 %

2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc, in respect of such categories separate orders will be issued by the respective departments.

4- These order will also be applicable to the teaching and non-teaching pensioners of educational/Technical Institutions aided by State Government whose Pension/Family pension is at par with the pensioners of the state Government.

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81, dated: April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6– महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

(राधा रतूड़ी)
सचिव

संख्या 30 /XXVII(7)पें/2007, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3– क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
4– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
5– महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8– निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून।

आज्ञा से,
(टी0 एन0 सिंह)
अपर सचिव

6- Other terms and conditions regarding dearness relief laid down in earlier Government orders shall be applicable as such.

Radha Raturi
Secretary

No. 30 /XXVII(7)P/2007, the date

Copy forwarded to following for information and necessary action.

1- All Principal Secretaries/Secretaries.
2- All Head of Department/Offices, Uttarakhand.
3- Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Diveision.
4- Director, Treasury and Finance services, Uttarakhanda.
5- Accountant General Uttarakhand, Oberoy Buil Saharanpur Road, Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of .her. states be also informed please.
6- All Treasury Officers, Uttarakhand.
7- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.
8- Director, N.I.C., Dehradun.

By Order,
(T.N. Singh)
Addl. Secretary

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0) अनुभाग–7
संख्याः 280 /XXVII(7)पें0/2007
देहरादून, दिनांकः 01 अक्टूबर, 2007

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या–30/XXVII(7)पें0/2007, दिनांकः 04 अक्टूबर,2007 द्वारा महंगाई राहत की एक किश्त 01 जनवरी, 2007 से स्वीकृत की गई थी,, के क्रम में श्री राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांकः 24 अप्रैल 2007 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जुलाई, 2007 से महंगाई राहत की एक और किश्त 06 प्रतिशत (छः प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार दिनांकः 01 जुलाई, 2007 से राहत की दर 35 प्रतिशत से बढ़कर 41 प्रतिशत हो गई है।

2– महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3– यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4– यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5– शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए– 1–252/दस/10(3)–81, दिनांकः 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

6– महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

(राधा रतूड़ी)
सचिव

Government of Uttarakhand
Finance (G.R.-P.C.) Section -7
N0- 280 /XXVII(7)P/2007
Dehradun : Dated : 01 October, 2007

Office Memorandum

Subject : Grant of Dearness Relief to state Government Civil/Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No- 30/XXVII(7)P/2007, dated: 30April, 2007 on the subject mentioned above sanctioning an instaliment of Deamess Relief with effect from 01 July, 2007 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of deamess relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index at the rate of 6% (Six Percent) with effect from 01 July, 2007 in supersession of the rates mentioned in the O.M. dated: 30April, 2007refered to above accordingly the rate of dearness of pension/family pension w.e.f. 01-07-2007has been risen to 41%.

2- Payment of deamess relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Utttrakand Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of such categories separate orders will be issued by the respective departments.

4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of education/ Technical Institutions aided by state Government whose Pension/Family pension is at per with the pensioners of the state Government.

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81, dated: April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of deamess relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6- Others terms and conditions regarding deamess relief laid down in earlier Govemment orders shall remain as such.

(Radha Raturi)
Secretary

संख्या: 2804/XXVII(7)पें/2007, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3– क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
4– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
5– महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
7– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8– निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0 एन0 सिंह)
अपर सचिव

No. 2804/XXVII(7)P/2007, the date

Copy forwarded to following for information and necessary action.

1- All Principal Secretaries/Secretaries.
2- All Head of Department/Offices, Uttarakhand.
3- Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Diveision.
4-Director, Treasury and Finance services, Uttarakhand.
5- Accountant General Uttarakhand, Oberoy Building, Saharanpur Road, Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
6- All Treasury Officers, Uttarakhand.
7- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.
8- Director, N.I.C., Dehradun.

By Order,

(T.N. Singh)
Addl. Secretary

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्या 15 /**XXVII** (7)/2008
देहरादून : दिनाँक : 20 मार्च, 2008

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–राज्य सरकार के चालकों के लिए वर्ष में एक बार देय मानदेय हेतु 50% महंगाई भत्ते का मूल वेतन में विलय।

वित्त अनुभाग–3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–119/XXVII(3)/(6) मा. /2005 दिनांक 23 मार्च 2005 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के चालकों को पूरे वर्ष की सेवा के आधार पर देय मानदेय हेतु वेतन का आगणन मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ते को जोड़कर आँकलित किया जाए। राजकीय वाहन चालक महासंघ द्वारा अपने पत्र दिनांक 29 फरवरी 2008 में यह इंगित किया गया है कि उक्त शासनादेश में 50% महंगाई भत्ते का मूल वेतन में विलय के आगणन के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है। अतः संशोधन आदेश निर्गत किया जाए।

इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को कार्मिक अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1710/XXX(2)/2007 दिनांक 13 नवम्बर 2007 के कम में यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि राज्य सम्पत्ति विभाग एवं सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत वाहन चालकों से भिन्न राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य समस्त विभागों में कार्यरत वाहन चालकों को पूरे वर्ष की सेवा के आधार पर देय मानदेय हेतु वेतन का आगणन मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ते को जोड़कर किया जाए।

2– शर्तें कार्मिक अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1710/XXX(2)/2007 दिनांक **13 नवम्बर, 2007** के अनुरूप ही रहेगी।

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव

संख्या 15 /XXVII (7)/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडिटर उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय एकक देहरादून।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0) अनुभाग–7
संख्याः 19 /XXVII(7)पें0/2008
देहरादून, दिनांकः 21 मार्च, 2008

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या–280/XXVII(7)पें0/2007, दिनांकः 01 अक्टूबर,2007 द्वारा महंगाई राहत की एक किश्त 01 जुलाई 2007 से स्वीकृत की गई थी,, के क्रम में श्री राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांकः 01 अक्टूबर 2007 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जनवरी, 2008 से महंगाई राहत की एक और किश्त 06 प्रतिशत (छः प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार दिनांकः 01 जनवरी, 2008 से राहत की दर 41 प्रतिशत से बढ़कर 47 प्रतिशत हो गई है।

2– महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3– यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4– यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5– शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए– 1–252/दस/10(3)–81, दिनांकः 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

6– महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

Government of Uttarakhand
Finance (G.R.-P.C.) Section -7
No- 19 /XXVII(7)P/2008
Dehradun : Dated : 21 March , 2008

Office Memorandum

Subject : Grant of Dearness Relief to state Government Civil/Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No- 280/XXVII(7)P/2007, dated: 01October, 2007 on the subject mentioned above sanctioning an installment of Dearness Relief with effect from 01 July, 2007 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of dearness relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index at the rate of 6% (Six Percent) with effect from 01 July, 2007 in supersession of the rates mentioned in the O.M. dated: 01October, 2007 refered to above accordingly the rate of dearness of pension/family pension w.e.f. 01-01-2008 has been risen to 47%.

2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Utttrakand Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of such categories separate orders will be issued by the respective departments.

4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of education/ Technical Institutions aided by state Government whose Pension/Family pension is at per with the pensioners of the state Government.

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81, dated: April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6- Others terms and conditions regarding dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain as such.

(Alok Kumar Jain)
Principal Secretary

संख्याः 198(1)/XXVII(7)पें/2008, तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3– क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
4– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
5– महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
7– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8– निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0 एन0 सिंह)
अपर सचिव

No.198(1)/XXVII(7)P/2008, the date
Copy forwarded to following for information and necessary action.

1- All Principal Secretaries/Secretaries.
2- All Head of Department/Offices, Uttarakhand.
3- Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Diveision.
4-Director, Treasury and Finance services, Uttarakhand.
5- Accountant General Uttarakhand, Oberoy Building, Saharanpur Road, Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
6- All Treasury Officers, Uttarakhand.
7- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.
8- Director, N.I.C., Dehradun.

By Order,

(T.N. Singh)
Addl. Secretary

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0) अनुभाग–7
संख्याः 420/XXVII(7) मं.रा./2008
देहरादून, दिनांकः 27 अक्टूबर, 2008

कार्यालय ज्ञाप

विषयः राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को केन्द्रीय छठे वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में 1–1–2006 से लागू पुंनरीक्षित महंगाई राहत स्वीकृत किया जाना।

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में केन्द्र सरकार के समतुल्य वेतनमान दिए जाने विषयक राज्य की वेतन समिति की संस्तुतियों के क्रम में निर्गत शासनादेश सं0 419 / XXVII(7)पें/2008 दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 द्वारा अनुमन्य किए गए वेतनमानों पर राज्य सरकार के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को निम्नानुसार महंगाई राहत अनुमन्य कराया जाय।

महंगाई राहत लागू करने की तिथि	उक्त तिथि से मूल वेतन पर अनुमन्य महंगाई राहत का प्रतिशत
1.01.2006 से	महंगाई राहत देय नहीं है।
1.07.2006 से	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 02 प्रतिशत।
1.01.2007 से	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 06 प्रतिशत।
1.07.2007 से	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 09 प्रतिशत।
1.01.2008 से	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 12 प्रतिशत।
1.07.2008 से	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 16 प्रतिशत।

2. उपरोक्त तिथियों तथा दरों पर महंगाई राहत का भुगतान पूर्व में शासनादेश सं0 29(A)/XXVII(7)पें/2006 दिनांक 26 अप्रैल, 2006 द्वारा दिनांक 01.01.2006 से शासनादेश सं0 215/XXVII(7)पें/2006 दिनांक 04 अक्टूबर, 2006 द्वारा दिनांक 01.07.2006 से, शासनादेश 30/XXVII(7)पें/2007 दिनांक 24 अप्रैल, 2007 द्वारा दिनांक 01.01.2007 से, शासनादेश सं0 280/XXVII(7)पें/2007 दिनांक 01 अक्टूबर, 2007 द्वारा दिनांक 01.07.2007 से एवं शासनादेश सं0 19/XXVII(7)पें/2008 दिनांक 21 मार्च, 2008 द्वारा दिनांक 01.01.2008 से स्वीकृत किए गए महंगाई राहत का समायोजन करने के उपरान्त किया जायेगा।

3. दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित पेंशन में मूल पेंशन का तात्पर्य निर्धारित रेडी रैकनर में बेसिक पेंशन तथा महंगाई पेंशन (डी0पी0)को जोड़कर जो धनराशि होगी उसे ही उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 के संलग्नक–1 के कालम–3 के अनुसार मूल पेंशन माना जायेगा।

4. महंगाई राहत के निर्धारित प्रतिशत में स्वतंत्र अनुमन्यता है इसे मूल नियम 9 (21) में परिभाषित वेतन का भाग नहीं माना जायेगा।

5. महंगाई राहत के आंगणन के समय 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड़ दिया जायेगा और यदि आंगणन 50 पैसे या उससे अधिक है तो इसे रूपये में मान लिया जायेगा।

6. दिनांक 01.01.2006 के पूर्व के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स हेतु निर्गत शासनादेश सं0 421 /XXVII(7)पें/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के साथ रेडी रैकनर की तालिका के कालम–3 में पुनरीक्षित पेंशन पर उपरोक्त महंगाई राहत की दरें अनुमन्य होगी।

7. यदि कोई पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर दो पेंशन प्राप्त करने का हकदार है तब न्यूनतम पेंशन धनराशि रू0 3500 (रूपये तीन हजार पांच सौ मात्र) हेतु दोनों पेंशन जोड़कर रू0 3500/– की धनराशि संज्ञान में ली जाय।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

संख्याः 420/XXVII(7) मं.रा./2008 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय नियंत्रण विभाग) कमरा नं0 261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली–110 001
6. सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
9. रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
12. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव

उत्तराखण्डशासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0) अनुभाग–7
संख्या —/XXVII(7)म0रा0/2009
देहरादून, दिनांक २८ मई, 2009

कार्यालय ज्ञाप

विषयः राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः420/XXVII(7)म0रा0/2008 दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 द्वारा दिनांक 1–7–2008 से महंगाई राहत 16 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है, के क्रम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांकः 27 अक्टूबर,2008 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जनवरी, 2009 से महंगाई राहत की एक और किश्त 06प्रतिशत (छः प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार दिनांकः 01 जनवरी, 2009 से राहत की दर बढ़कर 22प्रतिशत हो गई है।

2– महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3– यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4– यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5– शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए– 1–252/दस/10(3)–81, दिनांकः 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

6– महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

राधा रतूड़ी
सचिव

Government of Uttrakhand
Finance (G.R.-P.C.) Section -7
NO- —/XXVII(7)DR/2009
Dehradun : Dated :28 May, 2009

Office Memorandum

Subject : Grant of Dearness Relief to state Government Civil/Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No- 420/XXVII(7)DR/2008, dated: 27 Oct, 2008 on the subject mentioned above sanctioning an installment of Dearness Relief with effect from 01 July, 2008 and to say that the Govemor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index 306.66 (as on 01.01.1996) at the rate of 6% (Six Percent) with effect from 01 Jan, 2009 in super session of the rates mentioned in the O.M. dated: 27 Oct,2008 refered to above accordingly the rate of dearness of pension/family pension w.e.f. 01-01-2009 has risen to 22%.

2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from state under the education/ Technical Education Department whose Pension/Family pension is at per with the pensioners of the state Govemment.

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81, dated: April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6- Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Govemment orders shall remain applicable as usual.

Radha Raturi
Secretary

संख्याः 153/XXVII(7)पें/2009, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3– क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
4– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
5– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8– निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0 एन0 सिंह)
अपर सचिव

No. 153/XXVII(7)P/2009, the date

Copy forwarded to following for information and necessary action.

1- All Principal Secretaries/Secretaries.
2- All Head of Department/Offices, Uttrakhand.
3- Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Diveision.
4- Director, Treasury and Finance services, Uttrakhand.
5- Accountant General Uttrakhand, Oberoy Building, Saharanpur Road, Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
6- All Treasury Officers, Uttrakhand.
7- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.
8- Director, N.I.C., Dehradun.

By Order,

(T.N. Singh)
Addl. Secretary

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या221/xxvii(7)/2009
देहरादून, दिनांक: 08 अक्टूबर, 2009

कार्यालय ज्ञाप

विषयः— छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर दिनांक 1–1–2006 के पूर्व एवं बाद के राज्य सरकार के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में स्पष्टीकरण।

विभिन्न सेवानिवृत्त पेंशनर्स द्वारा छठें केन्द्रीय वेतनमाने की संस्तुतियों के कम में केन्द्र सरकार की भांति दिनांक:1–1–2006 के पूर्व एवं बाद के राज्य सरकार के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में की गई जिज्ञासा के कम में अद्योहस्ताक्षरी को निम्नानुसार स्पष्टीकरण निर्गत करने का निदेश हुआ है।

जिज्ञासायें	स्पष्टीकरण
1.दिनांक 1–1–2006 के बाद सेवानिवृत्त पेंशनर्स के विषय में निर्गत शासनादेश दिनांक 27 अक्टूबर,2008 के प्रस्तर–6 में पेंशन की अनुमन्यता हेतु अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष किंये जाने की व्यवस्था कब से लागू की गई है, क्या यह प्रस्तर–1 में पेंशन/ पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी के समान दिनांक 1–1–2006 से प्रभावी समझे जाएगें?	दिनांक1–1–2006 से पुनरीक्षित की गई पेंशन में जो भी नये नीतिगत निर्णय लिये गये हैं उक्त निर्णय से संबंधित प्रस्तर में उनके लागू किये जाने की तिथि स्पष्ट रूप से इंगित की गई है। पेंशन/पारिवारिक पेंशन का शासनादेश दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 निर्गत होने के पूर्व चूँकि अनेक पेंशनर्स सेवानिवृत्त हो चुके हैं इसीलिए शासनादेश का प्रस्तर–6(2) जो पेंशन की अनुमन्यता हेतु अर्हकारी सेवा के संबंध में है, की अंतिम पंक्ति से स्वतः स्पष्ट है कि पूर्ण पेशन हेतु अर्हकारी सेवा को 33 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष "तात्कालिक प्रभाव" अर्थात शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि दिनांक 27 अक्टूबर,2008 से किया गया है।
2.पेंशन पुनरीक्षण हेतु शासनादेश संख्या 419/xxvii(7)/2008 दिनांक 27 अक्टूबर,2008 के प्रस्तर–11 में वृद्ध पेंशनरों हेतु	उक्त प्रस्तर में आयु के प्रथम स्लैब में 80 वर्ष की आयु परन्तु 85 वर्ष से कम का अर्थ यह है कि 79 वर्ष पूर्ण होने पर 80वॉ वर्ष प्रारम्भ होने पर तथा 84 वर्ष के **अंतिम**

आलोच्य अवधि का आशय क्या है अर्थात प्रथम स्लैब में 80 वर्ष की आयु परन्तु 85 वर्ष से कम का आशय क्या है अर्थात 80 वर्ष प्रारम्भ होने पर देय होगी या 80 वर्ष पूर्ण होने पर अनुमन्य होगी।

दिनं तक 20 प्रतिशत की पेंशन/पारिवारिक पेंशन अतिरिक्त रूप से देय होगी।

3.80 वर्ष या इससे अधिक आयु की गणना किस प्रकार की जाएगी?

3.उपरोक्त कार्यवाही किस स्तर पर की जाएगी ?

पेंशनरों की भांति पारिवारिक पेंशनरों को शासनादेश के अनुसार 80 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर लेने पर अतिरिक्त पेंशन की सुविधा अनुमन्य है। सामान्यतया पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि पेंशन अभिलेखों में अंकित नही है अतएव समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों द्वारा पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि के संबंध में अपने विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को अवगत कराया जाएगा । विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष कार्यालय में अनुरक्षित अभिलेखो से इसका परीक्षण करेगें। कार्यालय अभिलेख यथा सामान्य भविष्य निर्वाह निधि या अन्य प्रयोजन हेतु भरे गये नामांकन प्रपत्र अथवा पेंशन प्रपत्र में पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की आयु से संबंधित कोई विवरण उपलब्ध मिलता है तो उसे ही वे मान्यता प्रदान की जाएगी और तदनुसार कोषागार को उपलब्ध करायेगें। मात्र आयु का उल्लेख होने पर (जन्मतिथि का उल्लेख न होने की दशा में) उस वर्ष की 1 जुलाई को एक वर्ष माना जाएगा, उपर्युक्त अभिलेखों में आयु का उल्लेख न होने पर, पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथि हेतु हाईस्कूल प्रमाण–पत्र और यदि हाईस्कूल का प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेशनरों की जन्मतिथि हेतु ड्राईविंग लाईसेंस/

पैनकार्ड/निर्वाचन पहचान पत्र में अंकित जन्म तिथि यदि कोई हो, को मान्यता दी जाएगी यदि किसी पारिवारिक पेंशनर के पास उपरोक्त मे से कोई भी साक्ष्य या प्रमाण नही है तो ऐसी स्थिति में पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के उक्त आशय का अलग से प्रमाण दिया जायेगा और ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथि हेतु सी0एम0ओ0 द्वारा दिया गया आयु प्रमाण–पत्र मान्य होगा। पेंशन प्रपत्रों में पूर्व से ही पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि पेंशनर की आयु से अधिक अंकित होने पर उसे भी मान्यता प्रदान की जाएगी अन्यथा की स्थिति में पारिवारिक पेंशनर की आयु पेंशनर की आयु से अधिक अवगत कराये जाने पर पेंशनर की आयु को ही पारिवारिक पेंशनर की आयु माना जाएगा।

80वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के शासनादेश के अनुसार अतिरिक्त पेंशन भुगतान किये जाने की कार्यवाही भी कोषाधिकारी स्तर पर की जाएगी ।

4.सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रैच्युटी की गणना में मंहगाई भत्ता किस प्रकार अनुमन्य होगा ।

सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रैच्युटी की गणना हेतु सेवानिवृत्ति/भृत्यु की तिथि को अनुमन्य मंहगाई भत्ते को भी सम्मिलित किया जाएगा।

5.क्या 10 वर्ष की सेवा पर ग्रैच्युटी देय होगी?

सी0एस0आर के अनुच्छेद–474 की व्यवस्था के अधीन ऐसे सरकारी सेवक जो 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने के पूर्व सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उन्हें पेंशन अनुन्य नहीं होती है, परन्तु उक्त श्रेणी के कार्मिक राज्य सरकार के नियमों के अधीन अनुमन्य सर्विस ग्रैच्युटी के पात्र होंगे। शासनादेश दिनांक 17–10–2008 का प्रस्तर–6(1) स्वतः स्पष्ट है।

6.शासनादेश संख्या 413/XXVii (7)/2008 दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 के प्रस्तर 6(3) कि "अंतिम माह में आहरित वेतन जो 10 माह की औसत परिलब्धियां जो भी कर्मचारी को लाभप्रद हो, के 50 प्रतिशत बराबर पेंशन अनुबन्ध होगी",उक्त व्यवस्था कब से लागू होगी	चूँकि उक्त व्यवस्था में परिवर्तन कर अंतिम माह में आहरित वेतन के अनुसार विकल्प की व्यवस्था प्रथम बार की जा रही है अतः उक्त व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से कार्यालय ज्ञाप निर्गत करने की तिथि दिनांक 27 अक्टूबर,2008 में प्रभावी होगी।

2— अतः समस्त पेंशन स्वीकृर्ता अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वे पेंशन के पुनरीक्षण हेतु पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 अक्टूबर,2008 के कम में उक्त निर्गत स्पष्टीकरण के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें और यदि उक्त व्यवस्था के विपरीत व्यवस्था उक्त कार्यालय ज्ञाप निर्गत करने के बाद नये पेंशन प्रकरणों में की जा चुकी है तो उक्तानुसार संशोधन की कार्यवाही भी अविलम्ब सुनिश्चित की जाएगी।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव,वित्त।

संख्या-2(1)/XXVII(7)/2009 तददिनॉक

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,उत्तराखण्ड ।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
7. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
11. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
12 इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
13. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या:305/ xxvii(7) / 2009
देहरादून, दिनांक: 08 अक्टूबर,2009

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर दिनांक 1–1–2006 के पूर्व एवं बाद के राज्य सरकार के पेंशनर / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में स्पष्टीकरण।

विभिन्न सेवानिवृत्त पेंशनर्स द्वारा छठें केन्द्रीय वेतनमान की संस्तुतियों के कम में केन्द्र सरकार की भांति दिनांक:1–1–2006 के पूर्व एवं बाद के राज्य सरकार के पेंशनर / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में की गई जिज्ञासा के कम में अद्योहस्ताक्षरी को निम्नानुसार स्पष्टीकरण निर्गत का निदेश हुआ है।

1–दिनांक1–1–2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स की पारिवारिक पेंशन का अभिनवीकरण / पुनरीक्षणः–

1) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के पेंशन पुनरीक्षण संबंधी प्राधिकार–पत्र निर्गत करने का उत्तरदायित्व पेंशन स्वीर्कता अधिकारी को सौंपा गया है। इस कम में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे पेंशनर जिनकी सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 30–9–1988 अथवा उसके पूर्व की है एवं जिनके पेंशन प्राधिकार–पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 द्वारा निर्गत किये गये है। ऐसे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के पेशन पुनरीक्षण का कार्य कोषाधिकारी स्तर पर किया जायेगा। इस हेतु उक्त शासनादेश के साथ संलग्न प्रारूप–1 पर वॉछित सूचना संबंधित विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित करते हुए संबंधित कोषाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। महालेखाकार स्तर से पुनरीक्षित प्राधिकार–पत्र निर्गत किये जाने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी। अपितु संलग्न–प्रारूप–1 पर प्राप्त सूचना के आधार पर संबंधित कोषागारों द्वारा भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 1–9–2008 के प्रस्तर–42 के अनुसार पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण कर दिया जाएगा।

2) शासनादेश संख्या 421 / xxvii(7) दिनांक 27 अक्टूबर,2008 द्वारा दिनांक:1–1–2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण किया जाना है।उक्त शासनादेश के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण की कार्यवाही

इस शर्त के साथ की जानी है कि पेंशनर की पेंशन की धनराशि सेवानिवृत्ति के समय उसके पुराने वेतनमान के प्रतिस्थापित बैण्ड के न्यूनतम तथा संबंधित ग्रेड–पे योग के 50 प्रतिशत की धनराशि से कम नही होगी। जहॉ अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम है वहॉ यह धनराशि आनुपातिक रूप से कम कर दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में यह रू0 3500/–प्रतिमाह से कम नहीं होगी । इसी प्रकार पारिवारिक पेंशन की धनराशि संबंधित सरकारी सेवक के दिनांक 1–1–2006 के पूर्व सेवानिवृत्त समस्त पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेशन का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण भी कोषागार स्तर पर सुनिश्चित किया जाएगा भले ही पेंशन/पारिवारिक पेंशन स्वीकृता अधिकारी कोई हो।

3) पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण हेतु पेंशनर से संबंधित विवरण संलग्न प्रारूप–1 पर भर कर उसे प्रमाणित करते हुए संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित कोषागार को प्रेषित किया जाएगा । संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष का उत्तरदायित्व होगा कि समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के उक्त विवरण दिनांक 31 दिसम्बर,2009तक प्रत्येक दशा में कोषागार को प्रेषित कर दिया जाय।

4) कोषागार स्तर पर सूचना प्राप्त होने पर पेंशन पुनरीक्षण की कार्यवाही कोषागार द्वारा की जाएगी। पुनरीक्षित पेंशन से संबंधित विवरण संलग्न प्रारूप–2 पर पेंशनर को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाएगी।
पुनरीक्षित पेंशन की एक प्रति पेंशन स्वीकृत अधिकारी को भी अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाएगी । पेंशन स्वीकृत अधिकार उक्त सूचना के आधार पर अपने अभिलेख को अद्यावधिक कर लेगें।

5) 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के अतिरिक्त पेंशन भुगतान किये जाने की कार्यवाही भी कोषाधिकारी स्तर पर की जायेगी। पेंशनरों की भांति पारिवारिक पेंशनरों को शासनादेश के अनुसार 80 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त पेंशनर की जन्म तिथि के संबंध में पेंशनरों की भांति पारिवारिक पेंशनरों को शासनादेश के अनुसार 80 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर लेने पर अतिरिक्त पेंशन की सुविधा अनुमन्य है। सामान्यतया पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि पेंशन अभिलेखों में अंकित नही है अतएव समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों द्वारा पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि के संबंध में अपने विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को अवगत कराया जाएगा । विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष कार्यालय में अनुरक्षित अभिलेखो से इसका परीक्षण करेगें। कार्यालय अभिलेख यथा सामान्य भविष्य निर्वाह निधि या अन्य प्रयोजन हेतु भरे गये नामांकन प्रपत्र अथवा पेंशन प्रपत्र में पेंशनर/पारिवारिक

पेंशनर की आयु से संबंधित कोई विवरण उपलब्ध मिलता है तो उसे ही वे मान्यता प्रदान की जाएगी और तदनुसार कोषागार को उपलब्ध करायेगें। मात्र आयु का उल्लेख होने पर (जन्मतिथि का उल्लेख न होने की दशा में) उस वर्ष की 1 जुलाई को एक वर्ष माना जाएगा, उपर्युक्त अभिलेखों में आयु का उल्लेख न होने पर पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथि हेतु हाईस्कूल प्रमाण–पत्र और यदि हाईस्कूल का प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की जन्मतिथि हेतु ड्राईविंग लाईसेंस/ पैनकार्ड/निर्वाचन पहचान पत्र में अंकित जन्म तिथि यदि कोई हो, को मान्यता दी जाएगी यदि किसी पारिवारिक पेंशनर के पास उपरोक्त मे से कोई भी साक्ष्य या प्रमाण नही है तो ऐसी स्थिति में पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के उक्त आशय का अलग से प्रमाण दिया जायेगा और ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथि हेतु सी0एम0ओ0 द्वारा दिया गया आयु प्रमाण–पत्र मान्य होगा। पेंशन प्रपत्रों में पूर्व से ही पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि पेंशनर की आयु से अधिक अंकित होने पर उसे भी मान्यता प्रदान की जाएगी अन्यथा की स्थिति में पारिवारिक पेंशनर की आयु पेंशनर की आयु से अधिक अवगत कराये जाने पर पेंशनर की आयु को ही पारिवारिक पेंशनर की आयु माना जाएगा।

6) शासनादेश संख्या27/xxvii(7)(स्प0–1)/2009 दिनांक13 फरवरी,2009 द्वारा दिनांक 31–8–2008 तक के समयमान वेतनमान पर भी ग्रेड पे की अनुमन्यता की गयी है अतः दिनांक 31–8–2008 तक अनुमन्य समयमान वेतनमान/प्रोन्नत वेतनमान के प्रकरणों में भी वेतनमान(पे बैण्ड का न्यूनतम एवं ग्रेड पे जोड़कर) के अर्हकारी सेवापूर्ण होने /33 वर्ष पर पेंशन का न्यूनतम 50 प्रतिशत या तदनुसार अनुमन्य पारिवारिक पेंशन का लाभ अनुमन्य कराया गया है। इसके अनुसार दिनांक 1–1–1996 से सभी पेंशन भोगियों के मामले में पेशन का पुनरीक्षण सेवानिवृत्ति के समय 'धारित पद' के स्थान पर **'धारित' वेतनमान** के अनुसार किया जाएगा।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव(वित्त)।

संख्या-०८(1)/XXVII(7)/2009, तददिनॉक

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,उत्तराखण्ड ।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
7. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
11. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
12 इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
13. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)

अपर सचिव।

संख्या:247/xxvii(7)म.भ./2009

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
2– वित्त अधिकारी/कुल–सचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उत्तराखण्ड।
3– समस्त अध्यक्ष,जिला पंचायतें,उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून,दिनांक 15 अक्टूबर, 2009

विषयः दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई,, 2009 से मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण ।

पठित निम्नलिखित :–

1– शासनादेश संख्याः144/xxvii(7)म.भ./2009 दिनांक 28 मई,2009।
2– भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप संख्याः1(6)/2009–ई–II(बी) दिनांक 18 सितम्बर,2009।,

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 के शासनादेश संख्या 144/xxvii(7)म0भ0/2009 दिनांक 28 मई,2009 द्वारा दिनांक 1–1–2009 से महंगाई भत्ता मूल वेतन के 22 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।

2– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश संख्याः144/xxvii(7)म0भ0/2009 दिनांक 28 मई2009 एवं भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप संख्याः1(6)/2009–ई–II(बी) दिनांक 18 सितम्बर,2009 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने दिनांक 1–7–2009 से प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 22 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

3– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या–1–1599/दस–42(एम)/97,23नवम्बर,1998 के प्रस्तर–3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेगे।

4– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृति/संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांक 01 जुलाई,2009, से उन कर्मचारियों, जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद हुई हो अर्थात अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित है, को छोड़कर, शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई,2009 से 31अक्टूबर,2009 तक(सेवा निवृत्त एवं 6 माह के अधीन सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्तियों को छोड़कर), की बढ़ी धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा माह 01नबम्बर,2009 से नकद भुगतान किया जाएगा। परन्तु 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष(एरियर) भुगतान से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ पेंशन संबंधी सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा तथा शेष धनराशि एन0एस0सी0 के रूप में भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या :297 / xxvii(7)म.भ./2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं–261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली–110001।
4. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
8. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देहरादून।
9. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
10. स्थानिक आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
11. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्या:२९९/xxvii(7)म.भ./2009

प्रेषक,

टी0एन0सिंह
अपर सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
2– वित्त अधिकारी/कुल–सचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उत्तराखण्ड।
3– समस्त अध्यक्ष,जिला पंचायतें,उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून,दिनांक 15 अक्टूबर, 2009

विषयः दिनांक 1–1–2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों/स्थानीय निकाय तथा न्यायिक सेवा के अधिकारियों को दिनांक 01–01–2009 से मंहगाई भत्ता का पुनरीक्षण।

पठित निम्नलिखित :–

1– शासनादेश संख्याः164/xxvii(7)म.भ./2008 दिनांक 26अगस्त,2009।
2– भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप संख्या–1(3)/2008–EII(बी) दिनांक 29 सितम्बर,2009।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत कार्मिकों को वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7 के शासनादेश संख्या संख्याः164/xxvii(7)म.भ./2008 दिनांक 26अगस्त,2009 द्वारा दिनांक 1–1–2009 से मंहगाई भत्ता मूल वेतन के 64 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।

2– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्रम संख्या 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांकः 26 अगस्त,2009 एवं 29सितम्बर,2009 के क्रम में दिनांक 1–1–2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों/स्थानीय निकाय में कार्यरत कर्मचारियों तथा न्यायिक सेवा के अधिकारियों का दिनांकः 01–07–2009 से मंहगाई भत्ते को 64 प्रतिशत से बढ़ाकर 73 प्रतिशत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या–1–1599/दस–42(एम)/97,23नवम्बर,1998 के प्रस्तर–3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेगे।

4– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृति/संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांक 01 जुलाई 2009, से उन कर्मचारियों जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद हुई हो अर्थात अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित है, को छोड़कर, शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई,2009 से 31 अक्टूबर,2009 तक की बढ़ी धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा माह 01नवम्बर,2009 से नकद भुगतान किया जाएगा। परन्तु 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष(एरियर) भुगतान से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ पेंशन संबंधी सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा तथा शेष धनराशि एन0एस0सी0 के रूप में भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्या : 299 / XXvii(7)म.भ. / 2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं–261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली–110001।
4. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
5. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर / देहरादून।
8. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
9. स्थानिक आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
10. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।
11. प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम अनुभाग उत्तराखण्ड शासन

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्याः 310/xxvii(7)म.भ./2009

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शसन।
2–सचिव, शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7

देहरादून,दिनांक 15 अक्टूबर, 2009

विषयः– राज्य के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 60 वर्ष की अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति होने पर समान रूप से सेवानैवृत्तिक लाभों की अनुमन्यता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः220/xxvii(3)अ0आ0/2005 दिनांक 18 जून, 2005 के क्रम में निदेशक, विधालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड के पत्रांक अर्थ 5(क)8/1588/ग्रैच्युटी/2007–08 दिनांक 15 अप्रैल,2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के लिए 60 वर्ष की अधिवर्षता की आयु पर आनुतोषिक सहित सेवानैवृत्तिक लाभ दिये जाने के दृष्टिगत राज्य के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के शासन द्वारा सृजित पदों पर तात्कालिक प्रभाव से 60 वर्ष की आयु पर अधिवर्षता पर अधिवर्षता की आयु पूरा होने पर 58 वर्ष एवं 60 वर्ष के अलग–अलग सेवानिवृत्ति लाभ के स्थान पर 60 वर्ष की आयु पर आनुतोषिक सहित सेवानैवृत्तिक लाभ दिये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2.उक्ताहनुसार एक मानक सिद्धान्त होने पर संस्थाओं में 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति पर ग्रैच्युटी न दिये जाने का अन्तर स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा किसी भी प्रकार के विकल्प दिये जाने की आवश्यकता नही होगी।

3.ग्रैच्युटी का लाभ अंशदायी भविष्य निधि खाते के विकल्पधारी उन्हीं शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जो अपने अंशदायी भविष्य निधि खाते में राज्य सरकार के अंशदान के रूप में जमा समस्त धनराशि, उस पर अर्जित एवं संकलित ब्याज की समस्त धनराशि तथा अपने अंशदान की समस्त धनराशि एवं उस पर अर्जित एवं सकलित ब्याज की समस्त धनराशि राजकोष में इस शासनादेश की तिथि से 90 दिना के अन्दर एक मुश्त जमा कर देंगे।

4.60 वर्ष की आयु पूरान करने पर अधिवर्षता की तिथि पर ही समस्त सेवानिवृत्तिक लाभ अनुमन्य कराया जायेगा तथा उसके बाद किसी भी प्रकार का सेवा विस्तार नहीं दिया

जायेगा। जिन शिक्षकों से सत्रांश तक, कार्य लिया जाना आवश्यक हो, ऐसे प्रकरणों में पुर्ननियुक्ति की कार्यवाही पूर्व से स्थापित मानकों के अधीन की जाएगी, तथा अधिवर्षता आयु के बाद सिविल सर्विस रेगुलेशन के प्रस्तर–520 के अनुसार वेतन में पेंशन की धनराशि घटा कर वेतन निर्धारण किया जायेगा तथा मंहगाई भत्ता एवं मंहगाई राहत में से मात्र एक ही लाभ अनुमन्य होगा।

5.उक्त व्यवस्था लागू किये जाने के फलस्वरूप माध्यमिक शिक्षा अधिनियम/नियम आदि में उपरोक्त विषयक यथावांछित संशोधन किया जाना प्रशासनिक विभाग का दायित्व होगा।

6. यह आदेश वि0वि0 के शासनादेश सं0220/xxvii(3)अ.आ./2005 दिनांक 18 जून,2005 के प्रभावी होने की तिथि के अनुसार दिनांक 18,जून 2005 से ही लागू होगा ।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या 310/xxvii(7)म.भ./2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :–

1. महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग),कमरा नं–261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली–110001।
4. निदेशक,कोशागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
5. निदेशक,विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

उत्तराखण्डशासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0) अनुभाग–7
संख्या298 /XXVII(7)म0रा0/2009
देहरादून, दिनांक 15 अक्टूबर, 2009

कार्यालय ज्ञाप

विषयः राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः153/xxvii(7)म0रा0/2009 दिनांक 28 मई, 2009 द्वारा दिनांक 1–1–2009 से महंगाई राहत 22 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है, के क्रम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांकः 28 मई,2009 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जुलाई, 2009 से महंगाई राहत की एक और किश्त 05प्रतिशत (पॉच प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार दिनांकः 01 जुलाई, 2009 से राहत की दर बढ़कर 27प्रतिशत हो गई है।

2– महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3– यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4– यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5– शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए– 1–252/दस/10(3)–81, दिनांकः 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

6– महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

राधा रतूड़ी
सचिव

Government of Uttrakhand
Finance (G.R.-P.C.) Section -7
N0-298 /XXVII(7)DR/2009
Dehradun : Dated : 15 October, 2009

Office Memorandum

Subject : Grant of Dearness Relief to state Government Civil/Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No- 153/XXVII(7)DR/2009, dated: 28,May 2009 on the subject mentioned above sanctioning an installment of Deamess Relief with effect from 01 January, 2009 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of deamess relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index 306.66 (as on 01.01.1996) at the rate of 5% (Five Percent) with effect from 01July, 2009 in super session of the rates mentioned in the O.M. dated: 28,May 2009 refered to above accordingly the rate of dearness of pension/family pension w.e.f. 01-07-2009 has risen to 27%.

2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from state under the education/ Technical Education Department whose Pension/Family pension is at per with the pensioners of the state Government.

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81, dated: April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6- Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

Radha Raturi
Secretary

संख्याः 298 / XXVII(7)पें / 2009, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त जिलाधिकारी / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3– क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल / कुमाऊं मण्डल।
4– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
5– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8– निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0 एन0 सिंह)
अपर सचिव

No.298/XXVII(7)P/2009, the date

Copy forwarded to following for information and necessary action.

1- All Principal Secretaries/Secretaries.
2- All Head of Department/Offices, Uttrakhand.
3- Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Diveision.
4- Director, Treasury and Finance services, Uttrakhand.
5- Accountant General Uttrakhand, Oberoy Building. Saharanpur Road, Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
6- All Treasury Officers, Uttrakhand.
7- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.
8- Director, N.I.C., Dehradun.

By Order,

(T.N. Singh)
Addl. Secretary